लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation
Fumigated
Parliament Library

[खंड 6 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 44, बृहस्पतिवार, 22 जुलाई, 1971/31 आषाढ़, 1893 (शक)
No. 44, Thursday, July 22, 1971/Asadha 31, 1893 (Saka)

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
1291.	सहकारी समितियों की बजाय व्यापारियों के जरिये कृषि उत्पादों की वसूली	Procurement of Agricultural Commodities through Traders instead of Cooperative Societies	1-3
1292.	छोटे किसानों को पट्टेदारी की सुरक्षा	Security of Tenureship to small Farmers	3-5
1294.	कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कृषि योग्य भूमि दिया जाना	Settlement of Cultivable Land in West Bengal with Scheduled Castes/Tribes for increased Agricultural Production	5-6
1296.	भारत में बेरोजगारी के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता संगठन, 'आक्सफेम' की रिपोर्ट	Oxfam Report on Unemployment in India	6-8
1297.	सरकारी क्षेत्र में इस्पात के कारखानों में पिण्डों (इनगाट) का उत्पादन	Production of Ingots in Public Sector Steel Plants	8-9
1299.	अधिक मजूरी बोर्डों की नियुक्ति का विरोध	Opposition of appointment of more Wage Boards	9-11

किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
1300. गेहूं के न उतारे जाने के कारण दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर गेहूं को क्षति	Damage of Wheat at F. C. I. Godown in Delhi due to unloading	11-12
1301. किसान ट्रेड यूनियन संगठन	Farmers Trade Union Organisation	12-14
1302. भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम को कार्यरूप देते समय विधवाओं, वृद्ध व्यक्तियों, आदि के हितों के बारे में राज्य सरकारों को केन्द्रीय निदेश	Central Directive to States regarding Interest of Widows. Old Persons etc. during implementation of Land Reform.	14-16
1303. बंगला देश से आए शरणार्थी बच्चों की शिक्षा	Education of Refugee Children from Bangla Desh.	16-18
1304. मजूरी बोर्डों के कार्य का पुनर्विलोकन	Review of working of Wage Boards.	18-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
1293. विमान द्वारा दवाई छिड़क कर फसल को नष्ट करने वाले कीड़ों बीमारियों का उन्मूलन करने सम्बन्धी योजना	Scheme for Eradication of Pests/Diseases by Aero-Chemical Operations.	22
1295. चौथी पंचवर्षीय योजना में मत्स्य-पालन में अनुसन्धान	Research in Fisheries during Fourth Plan.	22-23
1298. केन्द्रीय श्रम संगठन	Central Labour Organisations.	23-24
1305. बिहार उत्तर प्रदेश, और देश के अन्य भागों में बीज के भंडारों का बनाया जाना	Opening of Seed Stores in Bihar, UP. and other parts of the country.	24
1306. जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के प्रतिनिधियों का आर० एस०—09 ट्रैक्टरों का निरीक्षण करने हेतु जालन्धर जाना	Visit of Representative of G.D.R. Government to Jullundur regarding Inspection of RS—09 Tractors.	25

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
1307.	समाजवादी देशों को इस्पात के निर्यात पर रोक	Prohibition of export of Steel to Socialist Countries.	25-26
1308.	चित्तूर, आंध्र प्रदेश में रेनीगंता में सहकारिता के आधार पर चीनी के कारखाने की स्थापना	Setting up of Sugar Factory on Cooperative basis at Renigunta in Chittor, Andhra Pradesh.	26
1309.	उन देशों को चीनी का निर्यात जिनका उत्पादन कम हो गया है	Export of Sugar to those Countries whose production has fallen down.	26-27
1310.	बीड़ी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड की मांग	Demand for Constitution of Wage Board for Beedi Industry	27
1311.	पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up a Steel Plant in West Bengal.	28
1312.	केरल के लोहे और इस्पात का नियतन	Allocation of Iron and Steel to Kerala	28
1313.	राष्ट्रीय वन सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण	Review of National Forest Policy	28-29
1314.	पश्चिम बंगाल और बंगला देश के शरणार्थी शिविरों को खाद्य की सप्लाई के सम्बन्ध में कठिनाइयां	Difficulties Re : Supply of Food to West Bengal and Bangla Desh Refugee Camps.	29
1315.	काजू की प्रति एकड़ पैदावार में कमी	Fall in Per Acre Yield of Cashew trees	30
1316.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा आटा मिलों को घटिया और वर्षा से खराब हुए गेहूं की सप्लाई	Supply of substandard and Rain Damaged Wheat to Flour Mills by F. C. I.	30-31
1317.	उत्तरी क्षेत्र में निर्धारित मानक पर खरे न उतरने वाले वर्षा से खराब हुए गेहूं को खरीदने के लिए अनुमति	Relaxation in Specification for Procurement of Rainsoaked Wheat in Northern Region	31

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
1318.	रूरकेला इस्पात संयंत्र को हुई हानि	Loss Incurred by Rourkela Steel Plant.	31-32
1319.	चौथी पंचवर्षीय योजना में मत्स्य-पालन के विकास के लिए आंध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Andhra Pradesh for Development of Fisheries during Fourth Plan.	32
1320.	हरियाणा में खाद्यान्नों की वसूली रोकना	Stoppage of Procurement of Food-grains in Haryana.	33
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
5579.	पुनर्वास विभाग की फरीदाबाद, हरियाणा में भूमि	Land owned by Department of Rehabilitation in Faridabad, Haryana.	33-34
5580.	खाद्य समस्या को हल करने के लिए आसाम और मेघालय को अतिरिक्त खाद्यान्नों की सप्लाई	Additional Supplies of Foodgrains to Assam and Meghalaya to meet Food Situation.	34
5581.	बंगला देश के शरणार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains to meet the requirement of Bangla Desh Refugees	34-35
5582.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लौह-अयस्क डिवीजन का हैदराबाद स्थानान्तरित किया जाना	Shifting of Iron Ore Division of National Mineral Development Corporation to Hyderabad.	35
5583.	चण्डीगढ़ में निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों की हड़ताल	Strike by Construction Labour in Chandigarh	35-36
5584.	दिल्ली में कोयले की कमी पैदा करने वाले कोयला व्यापारी	Coal Dealers Creating Shortage of Coal in Delhi.	36
5585.	विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की नियोजन क्षमता	Employment Potential of Visakhapatnam Steel Plant.	36-37
5586.	आसाम में भाण्डागार	Warehouses in Assam.	37

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos			
5587.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा राज्यों को मुर्गी-चारे की सप्लाई	Supply of Poultry Food by I. C. A. R. to States.	37-38
5588.	अण्डे सेने की मशीन का निर्माण	Manufacture of Incubators	38
5589.	पशु पालन का विकास	Development of Animal Husbandry.	38-39
5590.	लन्दन और वाशिंगटन में सप्लाई मिशनों का बन्द किया जाना	Closing down of Supply missions in London and Washington	40
5591.	पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के नीलामकर्ताओं को दिया गया कमीशन	Commission paid to Auctioners of D. G. S. & D.	40
5592.	पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में नीलामकर्ताओं की नियुक्ति के लिये पूर्वापेक्षाएं	Pre-requisites for Appointment of Auctioners in D. G. S. & D.	40-41
5593.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम कालोनी, नई दिल्ली में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Civil Amenities in E. S. I. Corporation Colony, New Delhi.	41
5595.	मैसूर राज्य के कुर्ग जिले में एक गांव के 70 भूमिहीन निवासियों को बेदखली का भय	Threat of evictions to 70 Landless Residents of a Village in Coorg District of Mysore State.	41
5596.	बम्बई में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चूहों द्वारा खाद्यान्नों का खराब किया जाना	Destruction of Foodgrains by Rats in F. C. I. Godown in Bombay.	42
5597.	बंगला देश के शरणार्थियों पर खर्च वहन करने के लिये संसाधनों की सीमा	Limit of Resources to Afford Expenditure of Refugees from Bangla Desh.	24
5598.	लघु उद्योग कारखानों को मूल्य अधिमान	Price Preference to Small Scale Industrial Units.	42-43

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q Nos.

U. S. Q Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5599.	गुजरात में उर्वरक उद्योग समूह	Fertilizer Complex in Gujarat.	43
5600.	मध्य प्रदेश में रोजगार दफ्तरों में मलयालियों का रजिस्ट्रेशन न किया जाना	Non-Registration of Malayalees in Madhya Pradesh in Employment Exchanges.	44
5601.	खराब ट्रैक्टरों के बारे में जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य द्वारा किये गये प्रोटोकोल करार की क्रियान्विति	Implementation of Protocal Agreement signed by German Democratic Republic regarding Defective Tractors.	44-45
5602.	वीरभूम, पश्चिमी बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार जुटाने के द्रुत कार्यक्रम	Crash Scheme for Rural Unemployment in Birbhum, West Bengal.	45
5603.	दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम विभाग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfers of Employees of Provident Fund Organisation and Labour Department Staff in Delhi.	45-46
5604.	मत्स्य बैंकों की क्षमता	Potential of Fishing Banks.	46
5605.	दोषपूर्ण आर० एस०—09 ट्रैक्टरों की बिक्री के लिये अनुमति	Permission for Sale of Defective RS—09 Tractors	46-48
5606.	पारादीप पत्तन के निकट मछली पकड़ने के बन्दरगाह का निर्माण	Construction of a Fishing Harbour near Paradeep Port	48-49
5607.	ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम में बेरोजगार मैट्रिक पास व्यक्तियों का ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के रूप में सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Unemployed Matriculates as Teachers in Rural Elementary Schools in Crash Programme for Rural Employment.	49
5608.	भारत में कृषि विकास के लिए जापान से करार	Agreement with Japan for Agricultural Development in India.	49-50
5609.	त्रिपुरा में बंगला देश के शरणार्थियों के लिए औषधियां तथा दूध	Medicine and Milk for Bangla Desh Refugees in Tripura.	50

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5610. पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिए सहायता कार्य में लगे अन्तर्राष्ट्रीय/अभिकरण फोर्म	International Agencies/Forums Engaged in Relief Measures for Refugees from East Bengal.	50
5611. उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल स्तर के लिये भूमि में प्रायोगिक छिद्रण कार्य	Test Borings for Underground Water Levels in Uttar Pradesh.	51
5612. मैसूर में सहकारी समितियों से ऋण की वसूली	Recovery of Loans from Cooperative Societies in Mysore	51
5613. काजू के पेड़ों को काटे जाने से रोकना	Prevention of Cutting down of Cashew Trees.	51-52
5614. आर०एस०–09 ट्रैक्टरों के बारे में जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ किये गये करार के बारे में राज्य कृषि उद्योग निगमों के विचार	Views of State Agro-Industries Corporations on Agreement Signed with G. D. R. Regarding RS—09 Tractors.	52
5615. भूमि की काश्त के लिये वर्गदार अधिकार की सुरक्षा के लिये केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों को राज्य सरकार पर लागू किया जाना	Enforcement of Recommendation of Central Land Reform Committee to State Government on Protection of Bargadar Right to Cultivate Land	52-53
5616. पुनर्वास उद्योग निगम, सम्पदा, बोन हुगली, कलकत्ता का बन्द होना	Closure of Rehabilitation Industries Corporation Estates, Bonhooghly, Calcutta	53
5617. हिमाचल प्रदेश में भूमि सुधार	Land Reforms in Himachal Pradesh.	54
5618. ग्रामीण तथा नगरीय रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम लागू करने की गुंजाइश	Scope of Crash Programme for Rural and Urban Employment.	54
5619. लौह अयस्क तथा अन्य खनियों का उत्पादन	Production of Iron Ore and Other Minerals.	54-56

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.			

5620.	उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आयोजित ट्रैक्टरों की कमी	Shortage of Imported Tractors in U. P., Bihar and Madhya Pradesh	56
5621.	मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों को दी गई भूमि	Acreage of Land distributed to Scheduled Castes/Tribes of Madhya Pradesh.	56
5622.	पशुओं के नृशंस वध पर रोक	Ban on Merciless Slaughter of Cattle.	57
5623.	बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये स्वीडन सरकार द्वारा मक्खन, बटर आयल और दुग्धचूर्ण की पेशकश	Sweden's Offer of Butter, Butter Oil and Dry Milk for Refugees from Bangla Desh.	57
5624.	उत्तर प्रदेश के जिला बुलन्दशहर में, दादरी में स्थित सहकारी आधार पर एक चीनी का कारखाना खोलना	Licence for starting a Sugar Factory on Cooperative Basis at Dadri District Bulandshahar U. P.	57-58
5625	खाद्यान्नों के मूल्यों में कमी और कृषि उत्पादकों को उचित मूल्य	Decline in Prices of Foodgrains and due Price to Agricultural Producers	58
5626.	बीरभूम, पश्चिम बंगाल में रोजगार कार्यालय में नामों का पंजीकरण	Registration of Names with Employment Exchange in Birbhum, West Bengal.	58-59
5627.	पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में चावल तथा गेहूं की अपर्याप्त सप्लाई के कारण राशन की दुकानों का बन्द होना	Closure of R. R. Shops in Rural Areas of West Bengal due to Inadequate Supply of Rice and Wheat.	59
5628.	शोफहरों (कैश्यू एप्पिल) का उत्पादन तथा खपत	Production and consumption of Cashew apples.	59-60
5629.	बीड़ी उद्योग में कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू करना	Introduction of E. P. F. Scheme in Beedi Industry	60
5630.	राज्यों में उर्वरकों की खपत	Consumption of Fertilisers in States.	60-61

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5632.	बंगला देश से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आगमन में वृद्धि	Increase in influx of refugees from Bangla Desh.	61-62
5633.	कोयला खानों में कोयले का उत्पादन	Production of Coal in Coal-mines	62
5634.	पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक उपक्रमों में हड़तालें और श्रम दिवसों की हानि	Strikes, and man-days lost in Central Industrial Establishments in West Bengal and Uttar Pradesh.	62
5635.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादन में कमी	Fall in production of Durgapur Steel Plant.	62-63
5636.	गेहूं की वसूली में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा तथाकथित गड़बड़ी	Reported bungling by officers of F. C. I. in procurement of wheat.	63
5637.	बुलन्दशहर में स्कूलों, कालिजों तथा निजी गोदामों में गेहूं का रखा जाना	Storing of wheat in schools, Colleges and Private godowns in Bulandshahar	64
5638.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत अस्पतालों का निर्माण	Construction of hospitals under E. S. I. Corporation.	64-65
5639.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में इस्पात की उत्पादन लागत	Production cost of steel in public sector steel plants.	65
5640.	मानवीय उपयोग के लिये अनुपयुक्त खाद्यान्नों की बिक्री हेतु अपनाई गई प्रक्रिया	Procedure followed for disposal of foodgrains unfit for human consumption.	65-66
5641.	मध्य प्रदेश में आदिवासियों द्वारा अधिक उपज देने वाली 'मिलेट' की किस्म तथा उसकी खेती के बारे में अनुसंधान	Research on cultivation of high yielding variety of millets by Adivasis in M. P.	66

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
5642. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अन्तर्गत कोयला खानों के लिये मजदूरों की नियुक्ति	Employment of Labour in Coal Mines under National Coal Development Corporation.	66-67
5643. कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत समितियां	Committees under Ministry of Agriculture	67
5644. कृषकों की कठिनाइयों पर परामर्श देने हेतु कृषि आयोग में संसद-सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of MPs on Agriculture Commission to advice on Farmers' difficulties	67-68
5645. धनबाद कोयला क्षेत्र में स्थित कोयला खानों द्वारा कोयला मजूरी बौर्ड की सिफारिशों को कार्यरूप दिया जाना	Implementation of recommendations of coal wage board by Collieries in Dhanbad Coalfield	68
5646. त्रिपुरा में लोहे की नालीदार चादरों की बिक्री	Sale of corrugated Iron sheets in Tripura	68-69
5647. त्रिपुरा में रुई की खेती	Cotton cultivation in Tripura	69
5648. त्रिपुरा में भूमिहीनों की सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Cooperative Societies of landless in Tripura	69
5649. कोलार गोल्ड माइन्स अन्डरटेकिंग मेडिकल एम्पलाईज एसोसियेशन का पंजीकरण रद्द करना	Cancellation of Registration of Kolar Gold Mines Undertaking Medical Employees Association.	70
5650. कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि अनुसंधान में की गई प्रगति	Progress in Agricultural Research made by Agricultural University	70-72
5651. दिल्ली स्थित किंग्जवै कैंप में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना	Scheme for Rehabilitation of Displaced Persons in Kingsway Camp, Delhi	72
5952. मध्य प्रदेश के जिलों में विकास कार्यों के हेतु धन का आवंटन	Allocations for Development Works in Madhya Pradesh Districts	73
5953. मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और पूर्वी निमाड़ जिले में वर्षा, कीड़ों और पौधों की बीमारी के कारण रुई की फसल को हुई हानि	Damage to Cotton Crop in Hoshangabad and East Nimar Districts of M. P. due to Rains, Insects and Plant Disease	73-74

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
5654.	पंजाब में विकसित गेहूं की गई किस्म को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of New Variety of Wheat development in Punjab	74
5655.	पूर्वी क्षेत्र के चावल उगाने वाले क्षेत्रों में उर्वरकों की खपत में कमी	Fall in Consumption of Fertiliser in Rice Growing Area in Eastern Region	74-75
5656.	पंजाब में चिकोंग की खेती	Cultivation of Chicong in Punjab	76
5657.	पश्चिम बंगाल की कोयला खानों पर बकाया रायल्टी	Arrears of Royalty outstanding against West Bengal Collieries	76
5658.	स्थायी मजूरी बोर्ड	Statutory Wage Boards	76-77
5659.	बोकारो इस्पात लि० के अन्तर्गत लौह अयस्क खान	Iron Ore Mine under Bokaro Steel Ltd.	77
5660.	कृषि-औजारों को बनाने के लिये लोहे की आवश्यकता का निर्धारण	Assessment of Iron Requirements for Manufacture of Agricultural Implements	77
5661.	बेरोजगार शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण	Survey of educated and uneducated unemployed	77-78
5662.	आर० एस०-09 ट्रैक्टरों के लिए फालतू पुर्जों का आयात	Import of spares for RS—09 Tractors	78
5663.	केरल में बेरोजगारी	Unemployment in Kerala	78-79
5664.	1970-71 में बेरोजगारी के बारे में लगाया गया अनुमान	Assessment of unemployment made in 1970-71	79
5665.	पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों का भारी संख्या में आना	Influx of Refugees from East Bengal	79-80
5666.	केन्द्रीय श्रम अनुसंधान संस्था और केन्द्रीय औद्योगिक शिक्षा संस्था की उपलब्धियाँ	Achievements of Central Labour Reserch Institute and Central Industrial Educational Institute	80-81
5667.	पश्चिम बंगाल की एक वनस्पति तेल मिल में मूंगफली के तेल में मिट्टी के तेल की मिलावट	Adulteration of Groundunt Oil with Kerosene Oil in a Vegetable Oil Mill in West Bengal	81

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5668.	मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने वाली कोयला खानों को प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में धनबाद के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Regional Labour Commission Dhanbad Re : Issue of Certificates to coal mines who have not implemented Wage Board recommendations	81-82
5669.	पारगमन हानि सम्बन्धी समिति की 1969 में पेश की गयी रिपोर्ट	Report of transit loss Committee submitted in 1969	82
5670.	विभाजित जोतों वाले क्षेत्रों में संयुक्त फार्मों की स्थापना	Establishment of Collective farms in areas of fragmented holidays	82
5671.	धनबाद कोयला क्षेत्र में ठेका-श्रमिकों में वृद्धि	Increase in contract labour system in Dhanbad coalfield	82-83
5672.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर के एक कर्मचारी की मृत्यु	Death of a Worker of Mining and allied Machinery Corporation, Durgapur	83
5673.	आसका सहकारी चीनी उद्योग लि० उड़ीसा तथा अन्य फैक्टरियों में डिस्टीलरी स्थापित करने के लिये आर्थिक सहायता और उसके लिये मंजूरी	Financial Aid and permission for setting up Distillaries at Aska Cooperative Sugar Industries Ltd. Orissa and other Factories	83-84
5674.	फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिये उड़ीसा में सरकारी दल का दौरा	Visit of Official team to Orissa to Assess Damage to Crop	85
5675.	आंध्र प्रदेश में झींगा और लोब्स्टर की विशेष किस्मों का विकास	Development of Special Variety of Prawns and Lobsters in Andhra Pradesh	85
5676.	उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में अन्वेषी नलकूप खोदने के लिये सर्वेक्षण	Survey for Digging Exploratory Tubewells in Basti, Uttar Pradesh	85-86
5677.	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में अधिक क्षेत्र में चावल की खेती	Bringing of more Areas under Rice Cultivation in Eastern U. P.	86

अता०प्र०संख्या
U.S.Q.Nos.

अता०प्र०संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5678.	खाद्यान्न की वसूली का लक्ष्य और वसूल किए गए खाद्यान्नों को वर्षा से बचाने के लिए की गई कार्यवाही	Procurement Targets and steps taken to protect procured Foodgrains from Rains	86-87
5679.	भूमि अधिग्रहण जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of Land Acquisition Review Committee	87
5680.	संगठित और असंगठित श्रमिकों के बारे में आँकड़े	Date on Organised and Unorganised Labour	87-89
5981.	पाकिस्तान से आये भारतीय एनक्लेव के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु योजना के लिए धन का आवंटन	Allocation for Resettlement Plan of Indian Enclave Displaced Persons from Pakistan	89-90
5682.	पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋण	Loans given to East Pakistan Displaced Persons	90
5683.	उत्तर बंगाल में सिंचाई के प्रयोजन के लिये पिछड़े जिलों का चयन	Selection of Backward Districts in North Bengal for Irrigation Purpose	90-91
5684.	केरल में रूस की सहायता से मत्स्य पालन सम्बन्धी योजना	Plan for Fishing with Soviet Assistance in Kerala	91
5685.	उर्वरकों के वितरण के लिए विपणन समितियों को आवंटित धनराशि	Allocation to Marketing Societies for Distributing Fertilizers	91-92
5686.	कोयला खानों में ठेका पद्धति समाप्त करने सम्बन्धी जांच सम्मिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों का क्रियान्वित किया जाना	Implementing of Recommendations of Enquiry Committee on Abolition of Contract System in Coal Mines	93
5687.	बिहार फ्लाइंग क्लब कर्मचारी संघ द्वारा भविष्य निधि के बारे में ज्ञापन	Memorandum from Bihar Flying Club Employees Union regarding Provident Fund	93

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages

अता०प्र०संख्या
U.S.Q.Nos.

5688.	विकसित खेती की जानकारी प्राप्त करने के लिये मिदनापुर, बाँकुरा और बर्द्धवान में कृषि फार्म की स्थापना	Setting up cf Agricultural Farm in Midnapur, Bankura and Burdwan for imparting Knowledge of improved agriculture	93-94
5689.	पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी	Unemployment in West Bengal	94-95
5690.	केरल में नारियल के पेड़ों के पत्तों के पीले पड़ जाने और गल जाने के रोग को रोकने के लिए विदेशी सहायता	Foreign Aid to Control Yellow Leaf Rot Disease of Coconut Trees in Kerala	95-96
5690.	भारत में विशेष इस्पात का उत्पादन	Production of Special Steel in India	96-97
5692.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सवारी भत्ता	Conveyance Allowance to Central Government Employees	97
5693.	पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में वर्षा से गेहूं को क्षति	Damage of wheat due to rains in Punjab, Haryana, Madhya Pradesh and Uttar Prapesh	97-98
5694.	पश्चिम बंगाल में इस्पात के परमिट-धारी	Permit Holders of Steel in West Bengal	98
5695.	देश में घी का उत्पादन और खपत	Production and Consumption of Ghee in the Country	98-99
5696.	सपरेटा पावडर का उत्पादन	Production of Skimmed Milk Powder	99
5697.	दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से चावल के आयात को देखते हुए चावल के उत्पादन में कमी	Curtailment in Rice Production in view of Imports from South East Asian Countries	99-100
5698.	सूखे वाले वर्ष में अनाज की कमी	Shortfall in Foodgrain during Drought Year	100
5699.	गिरीडीह कोयला खानों सम्बन्धी तकनीकी समिति का प्रतिवेदन	Report of Technical Committee on Giridih Collieries	100-101
5700.	समस्तीपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, बिहार को लाभ तथा हानि	Profit and Loss in Samastipur Sugar Mills Limited Bihar	101-102

अता०प्र०संख्या
U.S.Q.Nos.

5701.	चौथी योजना में विहार में नलकूप लगाने के लिये स्थानों के चयन की कसौटी	Criteria for Selection of Sites for Installation of Tube-wells in Bihar, during Fourth Plan	102
5702.	सौराष्ट्र, गुजरात में नमक श्रमिकों का कल्याण	Welfare of Salt-Workers in Saurashtra, Gujarat	102
5703.	मजूरी बोर्डों को शक्तियां देना	More Powers for Wage Boards	103
5704.	भूमि सुधार क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में विश्व बैंक का प्रतिवेदन	World Bank Report on Implementation of land Reforms	103-104
5705.	रूरकेला इस्पात संयंत्र से प्रतिनियुक्त व्यक्ति	Deputations from Rourkela Steel Plant	104
5706.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विज्ञापनों पर किया गया व्यय	Expenditure on Advertisements by Hindustan Steel Limited	104-105
5707.	रूरकेला इस्पात संयंत्र में आतिथ्य सत्कार व्यय की व्यवस्था	Provision for entertainment expenses in Rourkela Steel Plant	105
5708.	रूरकेला इस्पात संयंत्र की चलती-फिरती प्रदर्शनी	Mobile Exhibition of Rourkela Steel Plant	105
5709.	आंध्र प्रदेश में हीरा-बहुल क्षेत्र के बारे में तकनीकी आर्थिक संभावना-प्रतिवेदन	Techno-Economic feasibility Report on Diamond belt in Andhra Pradesh	105-106
5710.	कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी के बेसिन में खनिजों की खोज	Exploration of minerals in the Kaveri, Krishna, Godavari and Mahanadi River Basins	106-108
5711.	उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध के लिये लोहे की मांग	Demand of Iron for Ram Ganga Dam in U.P.	108
5712.	भूमिहीन कृषि मजदूरों, सहकारी कृषि समितियों तथा संयुक्त कृषि समितियों को वितरित की गई भूमि	Acreage of Land Distributed to Landless Agricultural Labour, Cooperative Farming Societies, and Joint Farming Societies Etc.	108-109

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता०प्र०संख्या U.S.Q.Nos.		
5713. आंध्र प्रदेश में ढलवे लोहे का कारखाना लगाया जाना	Setting up of Pig Iron Plnt in Andhra Pradesh	109
5714. मच्छेरी, सलेम, तामिलनाडु में आस्ट्रेलिया की सहायता से केन्द्रीय भेड़ पालन फार्म की स्थापना	Central Sheep Farm with Australian Assistance at Mecheri, Salem' Tamil Nadu	109
5715. राज्य में सख्त चट्टान वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल सर्वेक्षण परियोजना के लिये कनाडा से सहायता	Canadian Assistance fcr Ground Water Survey Project for Hard Rocks Area in States	109-110
5716. तमिलनाडु में भूमिगत जल खोज योजना के अन्तर्गत नलकूप लगाना	Drilling of Tube-Wells under Ground Water Exploration Scheme in Tamil Nadu	110
5717. शरणार्थियों का विभिन्न स्थानों पर भेजा जाना बन्द करना	Stoppage of Dispersal of Refugees to various Places	110-111
5718. सम्बलपुर, उड़ीसा के लिए द्रुत कार्यक्रम की क्रियान्विति	Implementation of Crash Programme for Sambalpur Orissa	111
5719. झींगरदाह कोयला खान में आग	Fire in Jhingardah Coal Mines	111-112
5720. अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता इत्यादि की शिकायतें	Complaints against Officials for Corruption and irregularities	112
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में	Re. Flood Situation in the country	112
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	112-117
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	117-118
ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बारे में	Re. Calling Attention	118
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	118
विधेयक, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में—सभा-पटल पर रखे गये	Bills as passed by Rajya Sabha Laid on the Table	119

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave Absence from the sittings of the House	119
गुजरात बजट-सामान्य चर्चा और अनुदानों की मांगें	Gujarat Budget—General Discussion and Demands for Grants	119-134
श्री ए. के. साहा	Shri A.K. Saha	119-120
श्री याज्ञिक	Shri Yajnik	120
श्री कमल मिश्र 'मधुकर'	Shri K.M. Madhukar	120-121
श्री जदेजा	Shri Jadeja	121-123
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डे	Dr. Laxminarain Pandey	123-124
श्री के. एस. चावड़ा	Shri K.S. Chavda	124-125
डा. महिपतराय मेहता	Dr. Mahipatray Mehta	125-127
श्री एच. एम. पटेल	Shri H.M. Patel	127-128
श्री बेकारिया	Shri Vekaria	128-129
श्री के. आर. गणेश	Shri K.R. Ganesh	129-130
मैसूर बजट-सामान्य चर्चा और अनुदानों की मांगें	Mysore Budget—General Discussion and Demands for Grants	134-160
श्री कृष्ण हाल्दर	Shri Krishna Halder	136-137
श्री एम. वी. कृष्णप्पा	Shri M.V. Krishnappa	137-139
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	139-141
श्री डी. एस. अफजलपुरकार	Shri Dharamrao Afzalpurkar	142-143
श्री एम. कल्याणसुन्दरम्	Shri M. Kalyanasundaram	143
श्री के. लकप्पा	Shri K. Lakkappa	144
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi	144-145
श्री के. के. शेट्टी	Shri K.K. Shetty	145
श्री एम. सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	145
श्री सी. एम. स्टीफन	Shri C.M. Stephen	145-146
श्री एम. कतामुतु	Shri M. Kathamuthu	146-147
श्री एन. शिवप्पा	Shri N. Shivappa	147-148
श्री जी. विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan	148-149
श्री चन्द्र गौडा	Shri Chandre Gowda	150

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री बालतन्डायुतम	Shri Balathandayutham	151
डा. हैनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	151
श्री पी. आर. शिनाय	Shri P.R. Shenoy	15 -152
श्री के. मालन्ना	Shri K. Mallanna	153
श्री पीलू मोडी	Shri Piloo Mody	153-154
श्री ए.के. कोत्राशट्टी	Shri A.K. Kotrashatti	154
प्रो. एस. एल. सक्सेना	Prof. S.L. Saksena	155
श्री आर.वी.स्वामीनाथन्	Shri R.V. Swaminathan	155
श्री सिद्धरामेश्वर स्वामी	Shri Sidrameshwar Swamy	155-156
श्री के. आर. गणेश	Shri K.R. Ganesh	156-157

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 22 जुलाई, 1971/31 आषाढ़, 1893 (शक)

Thursday, July 22, 1971/Asadha 31, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बज कर दो मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at two minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Procurement of Agricultural Commodities through Traders instead of Co-operative Societies

*1291. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Food Corporation of India procures agricultural commodities like wheat and rice, through big traders instead of Co-operative Societies; and

(b) if so, the reasons therefor?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). यह सरकार की नीति है कि खाद्य निगम अपने कारोबार में यथासम्भव अधिक से अधिक सहकारी समितियों की सेवाओं का उपयोग करे। यह बात खाद्य निगम के बोर्ड द्वारा बार-बार कही गई है। जिन स्थानों पर सहकारी समितियां आगे नहीं आ रही हैं या इस कार्य को प्रभावकारी ढंग से करने में सशक्त नहीं पायी जाती हैं वहां पर खाद्य निगम को विभिन्न परिमाण में प्राइवेट व्यापारियों की सेवाओं का उपयोग करना पड़ता है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम अपने अधिप्राप्ति/खरीददारी कारोबार में अधिक से अधिक सहकारी समितियों को सम्मिलित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है।

Shri Phool Chand Verma : Just now, the Minister has stated that in places where the Co-operatives are not forthcoming for the purchase of agricultural commodities, purchases are made through traders. I would like to know when the Food Corporation and the Co-operatives do not buy from the farmers but the traders buy from them do they pay them cash in lieu of the commodities they sell to them and whether they are paid reasonable prices and whether he has made any arrangements to see to it that they are paid reasonable prices?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : महोदय, माननीय सदस्य ने जिस समस्या को उठाया है, भारतीय स्थितियों के अन्तर्गत वास्तव में यह महत्वपूर्ण समस्या है। हम इस समस्या के प्रमुख तथ्यों से परिचित हैं क्योंकि गांव की अर्थ व्यवस्था पर ऋणदाता और विचौलिये काफी छाये हुए हैं। हमें पता चला है कि अधिकतर खाद्यान्न, बाजार में जो खाद्यान्न आता है उसमें से अधिकतर को विचौलिये या उनके एजेन्ट खरीद लेते हैं अतः सहकारी समितियों को सम्मिलित करने के अतिरिक्त हमें उत्पादकों से अनाज खरीदने के लिये सीधी वसूली एजेन्सियों का गठन करना पड़ेगा, किन्तु उसमें कुछ समय तो लगेगा। हमने इस दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया है।

Shri Phool Chand Verma : May I know whether Government has received any complaints from the states of Madhya Pradesh, Assam, Bihar and Uttar Pradesh to the effect that the traders have compelled the farmers to sell their wheat at the rate of Rs. 68 and 69 per quintal whereas they have been instructed by the Government to purchase wheat @ Rs. 76 per quintal? Have much complaints come to his notice?

In Assam, rice was produced in ample quantity. There also, the traders have earned much more money as commission. What effective steps have been taken by Government so that the farmers are not harassed and they are paid reasonable prices for their products?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम स्थिति का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। हम शीघ्र ही विभिन्न राज्यों के खाद्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुला रहे हैं और माननीय सदस्य ने जिस समस्या को उठाया है उसका इस सम्मेलन में पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा।

श्री बी० आर० कावडे : गैर-सरकारी एजेन्सियों तथा सहकारी समितियों द्वारा की जा रही अनाज की वसूली का प्रतिशत क्या है तथा किस अवधि तक सरकार सारे व्यापार को सहकारी समितियों के अन्तर्गत ले आयेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमारे पास उपलब्ध ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि कुल वसूली का लगभग 24 प्रतिशत अंश सहकारी समितियों द्वारा अथवा सीधे वसूल किया जाता है तथा शेष वसूली राज्य सरकार की एजेन्सियों के माध्यम से की जाती है। यद्यपि इसमें से अधिकतर वसूली निजी व्यापार के माध्यम से की जाती है।

श्री सुबोध हंसदा : अगर सरकार की नीति चावलों की वसूली सहकारी समितियों के माध्यम से करने की है तो क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि सहकारी समितियाँ होने के बावजूद भी कई स्थानों पर गैर-सरकारी व्यापार एजेन्सियों को चावल की वसूली करने की अनुमति दी जाती है क्योंकि सहकारी समितियों को चावल अथवा अन्य अनाज की वसूली करने की अनुमति नहीं दी जाती ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अगर कोई विशेष मामले हमारे सामने प्रस्तुत किये जायें तो मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी। मैं यह नहीं कहता कि इतनी बड़ी संस्था में, जो कि अखिल भारतीय आधार पर कार्य कर रही है कोई कमियां नहीं होंगी। किन्तु हमने खाद्य निगम को निदेश दे रखे हैं कि जहां पर सहकारी समितियां वसूली करने की स्थिति में हैं उन्हें वहां वसूली उनके माध्यम से करनी चाहिये।

श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या उन्हें इस विषय में कोई शिकायत मिली है कि खाद्य निगम के जिला स्तर के कर्मचारी व्यापारियों से सांठ-गांठ करते हैं तथा जब भी किसान अपना धान इन व्यापारियों के पास ले जाते हैं यह कर्मचारी उनके रास्ते में कठिनाईयां उत्पन्न करते हैं क्योंकि व्यापारियों द्वारा अर्जित लाभ में से उन्हें कुछ अंश दिया जाता है। और अगर ऐसा है तो वह इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : समय-समय पर इस तरह की शिकायतें हमारे पास आती रही हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है हमने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वे ऐसी शिकायतों की राज्य की सी० आई० डी० द्वारा जांच करायें। हमें राजस्थान सरकार से भी इस संबंध में शिकायतें मिली हैं और हमने उन्हें सुझाव दिया है कि मंडी स्तर पर उत्पादकों आदि की लोकप्रिय समितियां बनाई जावें ताकि वह ऐसे कार्यों पर निगरानी रख सके।

छोटे किसानों को पट्टेदारी की सुरक्षा

*1292. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1975–76 तक योजनाओं के 1290 लाख टन अनाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भूमि की उत्पादिता बढ़ाने हेतु छोटे किसानों के लिये पट्टेदारी की सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई उपाय किये हैं; और

(ख) सरकार ने किसानों को इस बात का आश्वासन देने के लिये क्या उपाय किये हैं कि उनके द्वारा भूमि पर खर्च किये गये प्रत्येक रुपये का उनको अधिकतम लाभ मिलेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पट्टेदारी कानून में पट्टे की सुरक्षा तथा लगान को नियमित करने की व्यवस्था की गई है।

(ख) पट्टेदारी सुधारों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा विशेषकर छोटे किसानों की सहायता के लिये उन्हें संस्थागत-ऋण तथा आदान उपलब्ध कराने के लिये किये जाने वाले उपायों में छोटे किसानों के विकास के लिये एजेन्सी की स्थापना भी सम्मिलित है।

श्री अर्जुन सेठी : क्या यह सच है कि छोटे किसानों की समितियों को किसानों को ऋण देने में बड़ी कठिनाई होती हैं क्योंकि उनमें से अधिकतर किसानों के पास भूमि अलिखित पट्टे पर है ? क्या यह सच है कि किसानों को उर्वरकों के प्रयोग के बारे में बताने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर भूमि परीक्षण सम्बन्धी प्रयोगशालाओं के अभाव में किन्ही मामलों में उल्टे परिणाम निकलते हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : छोटे किसानों की समितियां सीधे ऋण नहीं देती । वह सहकारी समितियों और व्यापारिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करती हैं । किन्तु यह सच है कि देश के कुछ भागों में, भूमि सम्बन्धी लेखा अद्यतन नहीं होता तथा काश्तकारों के नाम रजिस्टर में लिखे नहीं जाते, अतः काश्तकारों को कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । भूमि परीक्षण के लिये सरकार प्रयोगशाला सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार कर रही है तथा मुझे आशा है कि आगामी दो या तीन वर्षों में देश भर में कुछ हजार प्रयोगशालाओं की स्थापना की जायेगी ।

श्री अर्जुन सेठी : क्या मैं जान सकता हूं कि, क्या सरकार को पता है कि भूस्वामी काश्तकार अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये विभिन्न तरीके अपनाते हैं ? उदाहरण के लिये भूस्वामी जो स्वयं खेती की काश्त नहीं करते वह काश्तकारों को अपने नौकरों के रूप में समझते हैं । अगर ऐसा है तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह तो सर्वविदित तथ्य है । समस्या के इस पक्ष की ओर सरकार ने राज्य सरकारों का ध्यान समय-समय पर आकर्षित किया है । इस सम्बन्ध में हमारी नीति यह रही है कि काश्तकारों को काश्त करने का स्थायी अथवा बपौती अधिकार दिया जाना चाहिये । माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने अभी हाल ही में राज्य सरकारों को उनका ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से लिखा है ।

श्री रनबहादुर सिंह : क्या छोटे किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर पट्टेदारी के अधिकार देने के सम्बन्ध में एकरूपता लाने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस सम्बन्ध में सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर दिया गया है । किन्तु हमारे देश में इस सम्बन्ध में स्थितियों में बहुत अन्तर है । राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि वह उसी आधार पर अपने विधान मण्डलों के माध्यम से कानून बना लें ।

Shri Mool Chand Daga : Will the hon. Minister tell us whether any rules have been formulated with a view to make available credits to cultivators for a period of ten years after allotment of land to them or you do not give these farmers loans until permanent tenancy rights are conferred on them ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि अभी बताया गया है यह राज्य का विषय है । मैंने जैसा कि अभी बताया है काश्तकारों को पट्टा मिलने और पट्टा के अभाव में ऋण प्राप्त करने में कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । विशेषकर जिस क्षेत्र का माननीय सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ भी काश्तकारों को इस कारण से कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।

श्री डी० बसुमतारी : आसाम राज्य में इस सम्बन्ध में जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है कि छोटे काश्तकारों तथा बड़े जमींदारों को सहायता देकर अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रत्येक खंड विकास क्षेत्र में 100 व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी । ऐसे व्यक्तियों की अर्हताएं क्या होंगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : क्या मैं आपका संरक्षण प्राप्त कर सकता हूं ? यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री डी० बसुमतारी : यह प्रचार केन्द्रीय सरकार के नाम पर किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहिये ।

Shri B. S. Bhaura : I want to know from the hon. Minister that as he has just now stated that it is a State Subject but in the States which are at present under President's rule what steps are being taken to solve the land problem property and to confer tenancy rights on the cultivators?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि कुछ राज्यों में, जहां राष्ट्रपति का शासन लागू है, जैसे कि बिहार में, हमने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण देने के विचार से एक कानून बनाया था। पश्चिम बंगाल में भी काश्तकारों को स्थायी पट्टे सम्बन्धी अधिकार देने तथा भूमि की सीमा निर्धारण सम्बन्धी दो कानून राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम के रूप में लागू किये गये थे। अन्य राज्यों में भी, शीघ्र ही चुनाव होने की सम्भावना है। शायद निर्वाचित प्रतिनिधि इन मामलों पर विचार करने के लिये सही प्रतिनिधि होंगे ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कृषि योग्य भूमि का दिया जाना

*1294. **श्री गदाधर साहा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले भूमिहीन लोगो को पश्चिम बंगाल में कृषि योग्य भूमि देने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार को अनुदेश जारी किये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल में समस्त उपलब्ध भूमि भूमिहीन व्यक्तियों तथा 2 एकड़ से कम भूमि रखने वाले व्यक्तियों को वितरित की जाती है। इस योजना से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को लाभ होता है। अभी तक 1,40,000 हैक्टार अधिशेष भूमि तथा 49,000 हैक्टार कृष्य पड़ती भूमि का वितरण किया गया है ।

(ख) भारत सरकार ने राज्य सरकार से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को विशेष वरीयता देते हुए भूमिहीन श्रमिकों में उपलब्ध भूमि के शीघ्र वितरण की सिफारिश की है ।

श्री गदाधर साहा : यह भूमि कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में बांटी गई है ?

श्री अण्णासाहिब शिन्दे : मेरे पास सही आंकड़े नहीं हैं। मैं राज्य सरकार को पत्र लिखकर मालूम करूंगा।

श्री गदाधर साहा : मुझे बताया जाये कि क्या सरकार को मालूम है कि अनेक लोगों के पास अधिकतम सीमा से भी अधिक भूमि है और यदि हाँ, तो सरकार ने उनसे अधिकतम सीमा से अधिक भूमि को लेने के लिये कौन से कारगर उपाय किये हैं ?

श्री अण्णासाहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है, यह तो आँकड़ों से पता लगेगा कि कितनी फालतू भूमि बांटी गई है। अब नये कानून के अनुसार जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, उसके लिये फालतू भूमि का विवरण देने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। तत्पश्चात् फालतू भूमि को घोषित करने के लिये कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

श्री समर गुह : पश्चिम बंगाल का भूमि सुधार अधिनियम बने लगभग एक वर्ष बीत गया है, किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इस अधिनियम के उपबन्धों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इनसे बटाईदारों को लाभ पहुंचा है और मौरूसी जमींदारों की भूमि की सीमा घटाकर 17 एकड़ कर दी गई है। मुझे बताया जाये कि क्या यह सही है कि भूमिहीन श्रमिकों को अधिकांश मात्रा में फालतू भूमि को बांटा जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति के लोगों को भी लाभ पहुंच सकता है और बटाईदारों को अधिक भूमि मिल सकती है और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें विलम्ब क्यों किया गया है और सरकार पश्चिम बंगाल के भूमि सुधार अधिनियम को, विशेष रूप से, भूमिहीन श्रमिकों को भूमि वितरण करने सम्बन्धी उपबन्ध को कब कार्यान्वित करने जा रही है ?

श्री अण्णासाहिब शिन्दे : मैं नहीं समझता कि इसमें देरी होगी। हम इस मामले पर गम्भीरता के साथ विचार कर रहे हैं और हमने राज्य के प्रशासन को सलाह दी है कि वह इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाये। (**व्यवधान**) वहां निर्वाचित सरकार बनने दीजिये। प्रतीक्षा कीजिये।

भारत में बेरोजगारी के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता संगठन, 'आक्सफेम' की रिपोर्ट

*1296. **श्रीकृष्ण हाल्दर : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में विद्यमान बेरोजगारी के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता संगठन 'आक्सफेम' की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्रीकृष्ण हाल्दर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बेरोजगारी में असाधारण वृद्धि हुई है जो शायद 2 करोड़ से भी अधिक बढ़ गई है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये एक जोरदार कार्यक्रम चालू करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न इस प्रकार है "क्या सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय सहायता संगठन की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है" आदि। मंत्री महोदय ने 'नहीं' कहा। यह बड़ा स्पष्ट प्रश्न था।

श्रीकृष्ण हाल्दर : यह बेरोजगारी के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : निस्सन्देह "बेरोजगारी" शब्द प्रश्न में है।

श्रीकृष्ण हाल्दर : अतः मेरा अनुपूरक प्रश्न संगत ही है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस शब्द का सम्बन्ध है, यह संगत ही है। **(व्यवधान)**

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : यह मुख्य प्रश्न से अलग है। सदस्य सामान्य रूप से बेरोजगारी के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं।

कई सदस्य खड़े हुए।

श्री एस० एम० बनर्जी : महोदय, कृपया प्रश्न पढ़िये। वे रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि क्या उनका ध्यान आक्सफाम की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ? मंत्री महोदय को इसे पढ़ना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आप जैसे बड़े एडवोकेट ने सलाह नहीं दी थी।

श्री एस० एम० बनर्जी : कृपया इसे पढिये : "क्या सरकार का ध्यान भारत में विद्यमान बेरोजगारी के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता संगठन "आक्सफाम" की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ?"

श्रीकृष्ण हाल्दर : क्या मैं आक्सफाम की रिपोर्ट से पढ़ूं फिर यह प्रश्न पूछूं ?

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वह रिपोर्ट से पढ़ना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : शांत, शांत। आप बाद में उनके कक्ष में जा सकते हैं।

श्रीकृष्ण हाल्दर : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किसका अनुपूरक प्रश्न है ?

श्रीकृष्ण हाल्दर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिये कोई कदम उठाया है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

श्री आर० के० खाडिलकर : मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय सहायता संगठन, आक्सफाम की रिपोर्ट से है। हमने सम्बन्धित मंत्रालयों से इसकी तलाश की है। हमने इसे देखा नहीं है। किसी मंत्रालय ने इसे नहीं देखा है। यदि माननीय सदस्य के पास इसकी कोई प्रति हो, तो मैं इसे पाकर बहुत प्रसन्न होऊंगा। (**व्यवधान**)

सरकारी क्षेत्र में इस्पात के कारखानों में पिण्डों (इनगाट) का उत्पादन

*1297. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का विचार भिलाई, दुर्गापुर तथा रूरकेला के इस्पात कारखानों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 125 मीटरी टन पिण्ड (इनगाट) का लक्ष्य प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य के कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है; और

(ग) इससे इस्पात के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी और जनशक्ति को किस हद तक सीमित रखा जा सकेगा?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा अगस्त 1965 में नियुक्त की गई इस्पात उत्पादन-लागत समिति (महताब समिति) ने यह मत व्यक्त किया था कि देश के प्रत्येक इस्पात कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्पादन-क्षमता को 125 टन पिण्ड तथा इससे अधिक तक बढ़ाना संभव होना चाहिए इस लक्ष्य की तुलना में सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में श्रमिक-उत्पादिता बहुत कम है। फिर भी हिन्दुस्तान स्टील लि० श्रमिक उत्पादिता को बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। इस्पात कारखाने के उत्पादन को उनकी निर्धारित क्षमता तक बढ़ाकर, औद्योगिक इंजीनियरी अध्ययनों द्वारा निश्चित किये गये स्तर तक श्रमिक संख्या को सीमित रख कर और नई उत्पादन प्रोत्साहन योजना के द्वारा, जिसमें अन्य बातों के अलावा, स्टैण्डर्ड श्रमिक संख्या से काम करने के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने का विचार है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यदि दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई इस्पात कारखाने अपनी मानकीकृत श्रमिक संख्या के साथ क्रमशः 1.6, 1.8 और 2.5 मिलियन टन इस्पात पिण्ड की अपनी निर्धारित क्षमता पर काम करे तो प्रति व्यक्ति की 80 से 100 टन पिण्ड तक की वार्षिक उत्पादन क्षमता प्राप्त की जा सकती है, परन्तु उत्पादन के वर्तमान के स्तर श्रमिकों संबंधी कठिनाइयों और अब तक की अधिकतम उत्पादन दर को देखते हुए, उक्त स्तर के लगभग उत्पादन क्रमिक रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है जिसमें कई वर्ष लगेंगे।

श्री पी० गंगादेव : सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में उपभोग करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, जो कि गत वर्ष 85 प्रतिशत से घटकर 58 प्रतिशत रह गई है और जिससे उत्पादन में 20 लाख टन से अधिक की हानि हुई है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार फिर से यथाशीघ्र अधिकतम उत्पादन करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री मोहन कुमारमंगलम : माननीय सदस्य ने सही आंकड़े नहीं दिये हैं । उत्पादन में कमी 20 लाख टन नहीं है । यह इससे बहुत कम है । यह सत्य है कि उत्पादकता कम है और हमने कई बार इस सभा में इस बारे में यह स्पष्टीकरण दिया है कि एक ओर तो संयंत्रों का रखरखाव और इनकी सामान्य कार्यप्रणाली में और दूसरे, श्रमिक सम्बन्धों में सुधार करने के लिये, उपाय किये जा रहे हैं, जिससे मुझे आशा है कि उत्पादन बढ़ेगा ।

श्री पी० गंगादेव : कोककर कोयले की किस्म में सुधार करने और धुलाई सुविधाओं में विस्तार, जिसके कारण समेकित इस्पात संयंत्रों में उत्पादन में बाधायें उपस्थित हुई हैं के सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय करने का विचार किया है ?

श्री मोहन कुमारमंगलम : इस प्रकार के प्रश्न पर मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री पी० गंगादेव : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार सोख गड्ढों का निर्माण कब तक पूरा कर लेगी, ताकि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र 10 लाख टन पिंड की उत्पादन-क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर सके ।

श्री मोहन कुमारमंगलम : मुझे आशंका है । मुझे इस पर पूर्व-सूचना चाहिये ।

अधिक मजूरी बोर्डों की नियुक्ति का विरोध

*1299. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ केन्द्रीय मजदूर संघ संघठनों ने और अधिक मजूरी बोर्डों की नियुक्ति का विरोध किया है;

(ख) क्या उन्होंने द्विपक्षीय मजूरी समझौतों का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) प्रकट किए गए विचार नोट कर लिए गए हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि मजूरी बोर्ड विशेषकर विद्युत उद्योग से सम्बन्धित मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों को राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है और क्या राज्य सरकारों, विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन सिफारिशों में ऐसे परिवर्तन किये हैं जो, वहाँ के कर्मचारियों के हितों के विपरीत है । क्या उन्हें पता है की सरकारी उपक्रमों में ही अधिकतर ऐसे परिवर्तन किये गये हैं, यदि हां तो मंत्रीजी की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : सिफारिशों में संशोधन किये जाने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मजूरी बोर्ड तो गैर-सांविधिक होते हैं और हम इस स्थिति में नहीं हैं कि बलपूर्वक उन पर कोई बात थोपी जाये, हम तो समझा कर ही उन्हें कोई काम करने के लिए कह सकते हैं। यह समझाने का काम भी राज्य सरकारों का है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न को समझा ही नहीं है। मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों में संशोधित करके राज्य सरकार ने सरकारी उपक्रमों जैसे के०ई०एस०ए० आदि में कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध कार्य किया है और केन्द्र से कोई परामर्श भी नहीं किया है। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : किसी विशिष्ट उद्योग के सम्बन्ध में राज्य द्वारा नियुक्त मजूरी बोर्ड की सिफारिशों में संशोधन किये जाने के किसी मामले की ओर यदि हमारा ध्यान आकर्षित कराया जाता है तो हम सभी समान उपाय करेंगे। मेरे विचार से इस मामले में कोई और कार्यवाही करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : आई०एन०टी०यू०सी० को छोड़ कर अन्य केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों जैसे ए०आई०टी०यू०सी०, सी०आई०टी०यू०, हिन्द मजदूर सभा आदि सभी मजदूर संगठन, मजूरी बोर्डों से तंग आ चुके हैं क्योंकि इन बोर्डों की सिफारिशों को कभी कार्यान्वित नहीं किया जाता। क्या भविष्य में इन मजूरी बोर्डों को नियुक्त करना बंद कर दिया जायेगा ताकि मामलों को सरकारी अथवा पुलिस हस्तक्षेप के बिना बात-चीत द्वारा सुलझाया जा सके।

श्री आर० के० खाड़िलकर : मजूरी बोर्डों के कार्यों का ऐसा अनुभव नहीं है। बहुत से उद्योगों में मजूरी की दर नियत करने सम्बन्धी अच्छी प्रक्रिया लागू कराने में इन बोर्डों ने काफी अच्छा कार्य किया है। सदस्य महोदय ने मजूरी बोर्ड नियुक्त न किये जाने का सुझाव दिया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बहुत से उद्योगों जैसे बीड़ी उद्योग, हथकरघा उद्योग आदि ने मजूरी बोर्ड नियुक्त किये जाने के लिए प्रतिवेदन दिये हैं। सम्भवतः माननीय सदस्य ने अपनी ओर से ही यह सुझाव दिया है।

श्री राजा कुलकर्णी : यदि हथकरघा उद्योग द्वारा मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की मांग की गई है तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

श्री आर० के० खाड़िलकर : रसायन उद्योग के सम्बन्ध में मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की बात थी लेकिन अभी इस बात पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि क्या इस उद्योग के सम्बन्ध में भी सिफारिशें की जा सकती हैं। यदि इस बारे में उपयुक्त रूप से कहा गया तो सरकार उनके अनुरोध पर विचार करेगी।

श्री पी० एम० मेहता : मजूरी बोर्डों का विरोध करने के प्रमुख कारण कौन से हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो अब भी अनुभव करते हैं कि इन बोर्डों ने काफी अच्छा कार्य किया है जिससे श्रमिकों को लाभ हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के भाग (क) में कहा गया है कि क्या कतिपय केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों ने मजूरी बोर्डों की नियुक्ति का विरोध किया है ? सदस्य ने पूछा है कि विरोध के क्या कारण हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : के चाहते हैं कि हम उनके कार्य में हस्तक्षेप न करें, वे स्वयं कर्मचारियों के मामलों से निपट लेंगे । यही एकमात्र कारण है ।

गेहूं के न उतारे जाने के कारण दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर गेहूं की क्षति

*1300. **श्री नरेंद्र कुमार सांघी** :
डा० कर्णी सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दिन प्रतिक्षा करने के बाद भी गेहूं से लदे 250 ट्रकों के दिल्ली स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाली न किये जाने के कारण उनमें लादा गेहूं वर्षा में भीग गया और उसे वापिस हरयाना मंडी भेजना पड़ा;

(ख) क्या बहुत बड़ी मात्रा में अनाज खराब हो गया था, जो मनुष्यों के खाने योग्य नहीं रहा था;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त हानि के बारे में अनुमान लगाया गया है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

खाद्य निगम के कर्मचारियों के एक सैक्शन द्वारा नियमानुसार काम करने के फलस्वरूप हरियाणा से दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के डिपों के लिए गेहूं ला रहे 276 ट्रकों से 26 और 27 जून, 1971 को गेहूं उतारा नहीं जा सका था । केवल 126 ट्रक ही हरियाणा को लौटाने पड़े थे । लेकिन शेष ट्रकों में लदा गेहूं दिल्ली और उसके आस-पास के अन्य भण्डारण स्थानों में उतार लिया गया था । गेहूं से लदा कोई भी ट्रक वर्षा से भीगा हुआ नहीं था ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मंत्री महोदय ने विवादास्पद टिप्पणियां की हैं । तीन दिन तक दिल्ली में पड़े रहने के बाद जब 126 ट्रकों को वापस हरियाणा भेजा गया तो उनमें भरा हुआ गेहूं चाहे वर्षा में न भीगा हो परन्तु उसमें पीलापन अवश्य आ गया होगा । इससे खाद्य निगम को बहुत बड़ी मात्रा में हानि उठानी पडी है । क्या यह हानि 25 लाख रुपये की हुई है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह बात सही नहीं है क्योंकि ट्रकों को पूरी तरह तिरपालों से ढक दिया गया था । वर्षा ऋतु में ऐसा प्रायः किया जाता है । इसलिए ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मंडियों से विभिन्न डिपुओं में गेंहू ले जाने का कार्य चलता ही रहता है और खाद्य निगम में समय–समय पर हड़तालें भी होती रहती हैं । भविष्य में हड़तालों से निपटने के लिए क्या कोई वैकल्पिक उपाय किये गये हैं?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमने इस समस्या पर काफी विचार विमर्श किया है । इस वर्ष समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि बड़े पैमाने पर अनाज की खरीद की गई है । लेकिन स्थिति से निपटने के लिए और हानि को कम से कम करने के लिए हमने प्रयत्न किये हैं । अनाज लाने-ले जाने और गोदामों आदि की ओर पूरा ध्यान दिया गया है और यह भी ध्यान रखा गया है कि अनाज यदि खुले में भी पड़ा रहे तो उसे पूरी तरह ढक कर रखा जाये ।

Shri Ramchandra Vikal : 126 trucks came to Delhi and went back. I want to know the reasons behind all this.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मुख्य प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

किसान ट्रेड यूनियन संगठन

*1301. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एक किसान ट्रेड यूनियन संगठन के समुचित विकास के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ; और

(ख) ऐसी ट्रेड यूनियनों को शीघ्र विकसित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) हमारा अनुमान है कि माननीय सदस्य का विचार, ट्रेड यूनियन की पद्धतियों पर किसानों के संगठनों से है । सरकार, कृषकों के ऐच्छिक संगठनों के विकास के लिये प्रोत्साहन देना चाहती है । कृषि के विकास में ऐच्छिक संगठन महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं ।

(ख) सरकार, वित्तीय तथा तकनीकी सहायता सहित विभिन्न साधनों से किसानों के ऐच्छिक संगठनों की पहले ही सहायता कर रही है । ऐसे संगठनों को विस्तृत संचालन सहायता तथा सहयोग भी दिया जा रहा है ।

श्री रणबहादुर सिंह : हमारा गत 15 वर्षों का अनुभव है कि किसान संगठनों को जैसे ही वित्तीय सहायता मिलनी शुरू होती है वैसे ही वे निष्क्रिय हो जाते हैं । वास्तव में एक दबाव गुट के रूप में मान्यता मिलने पर ही ऐसे संगठन सहायक और उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । क्या सरकार की ऐसी नीति है जिसके अन्तर्गत उन्हें मान्यता दी जायेगी ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : राष्ट्रीय स्तर पर हमने चार संगठनों को, अर्थात् भारत कृषक समाज, यंग फार्मर्स एसोसियेशन आफ इण्डिया, नेशनल टनेज क्लब आफ फार्मर्स तथा भारतीय ग्राम महिला संघ को मान्यता दी है । राज्य स्तर पर ऐसे संगठनों पर विचार करना राज्य सरकारों का काम है । केन्द्रीय सरकार केवल राष्ट्रीय संगठनों पर ही विचार करती है ।

श्री रणबहादुर सिंह : मुझे मालूम हुआ है कि सरकार ने ऐसे संगठनों को वित्तीय सहायता दी है। किन्तु मेरे विचार में वित्तीय सहायता मिलने पर ये संगठन निष्क्रिय हो जाते हैं। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वित्तीय सहायता से उन्हें कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा और दूसरी ओर एक दबाव गुट के रूप में इन्हें मान्यता देने से ये सक्रिय रहेंगे, क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी नीति है जिसके अन्तर्गत इन संगठनों को इस प्रकार की मान्यता दी जा सके।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह कार्यवाही हेतु एक सुझाव है।

Shri R.V. Bade : We have granted recognition to Bharat Krishak Samaj. Is it a fact that it has not been receiving any assistance from the Centre and the State is also giving some amount? Will the Government look into this?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सामान्यतः हम किसी संगठन को कोई सहायता नहीं देते। परन्तु जब वे उत्पादन कार्यक्रम में किसानों को प्रशिक्षण देते हैं तो कार्यक्रम के स्वरूप को ध्यान में रखकर, हम उन्हें मामूली धनराशि देते हैं।

श्री आर० वी० बड़े : वह राशि कितनी है?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आप दूसरा प्रश्न पूछें।

Shri Shankar Dayal Sharma : Is it a fact that a Progressive Farmers' Association was constituted on the 16th last, where Prof. Sher Singh was presented as a chief gest ! If so, are Government going to give some financial assistance to this Association?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है। इसका वर्तमान प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख : इस प्रश्न का सम्बन्ध मुख्यतः किसानों को मजदूर संगठनों के ढांचे पर संगठित करने से है। उत्तर उन स्वेच्छी किसान संगठनों के बारे में दिया गया है जिन्हें केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलती है। किसान संगठनों को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से, चाहे वे स्वेच्छिक हों अथवा अस्वेच्छिक, तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखकर कि बहुत से मजदूर यूनियन नेता निराश होकर नक्सलवादी बन सकते हैं, क्या सरकार इस प्रकार के बेरोजगार मजदूर यूनियन नेताओं की सहायता लेने का विचार रखती है ताकि वे किसान संगठन आयोजित कर सकें तथा उन्हें प्रभावी बना सकें?

अध्यक्ष महोदय : अब हमें अगला प्रश्न लेना चाहिए।

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख : प्रश्न मजदूर संघों के बारे में था और उत्तर ऐच्छिक संगठनों के बारे में दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं?

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख : किसानों को भी एक मजदूर संघ की आवश्यकता है। सरकार ने अपने उत्तर में इस बात का उल्लेख नहीं किया है। सरकार, ट्रेड यूनियन पद्धति पर किसान संगठनों से सम्बद्ध प्रश्न का उत्तर दे।

अध्यक्ष महोदय : संगति देखना मेरा कर्त्तव्य है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या राज्य सरकार ने किसानों के लिए शुरू किये जाने वाले विकास कार्यों के बारे में केन्द्र से बातचीत की है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न किसान ट्रेड यूनियन संगठनों के बारे में था।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इस विषय में बातचीत की है, क्योंकि राज्यों में अनेक किसान संगठन है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जब कभी राज्य सरकार हमें कोई विशिष्ट मामला भेजती है तो कभी-कभी इन विषयों पर बातचीत की जाती है।

भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम को कार्यरूप देते समय विधवाओं, वृद्ध व्यक्तियों, आदि के हितों के बारे में राज्य सरकारों को केन्द्रीय निदेश

*1302. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस आशय का कोई निदेश जारी किया है कि राज्यों में भूमि सुधार कार्यक्रम को कार्यरूप देते समय राज्य सरकारों को विधवाओं, वृद्ध व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए जिनके पास खेती योग्य भूमि इतनी कम है जिस पर कि एक परिवार पूर्णतया निर्भर नहीं रह सकता और जिन्हें (उपरोक्त सभी श्रेणियों वाले व्यक्ति) परिस्थितियों से बाध्य होकर अपनी भूमि बटाई अथवा 'साझा' पर देनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भूमि सुधार, राज्य का विषय होने के कारण भूमि सुधार के कानूनों के बनाने तथा क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व मुख्यत: सम्बन्धित राज्य सरकारों पर है। इसलिये, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विधवाओं, वृद्ध व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों तथा छोटे किसानों आदि के लिये भूमि के कानूनों में विशेष व्यवस्था के संबंध में कोई निदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं होता, तथापि, पट्टेदारी कानूनों को बनाते समय विकलांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देने के लिये अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में सिफारिश की गई है।

(ख) इस संबंध में पट्टेदारी कानून के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों तथा छोटे किसानों के लिये कई राज्यों ने विशेष व्यवस्था की है।

Shri N. S. Bisht : A legislation to abolish Jamindari is being enacted and it is being enacted on the slogan of land to the tillers. May I know whether Government feel that special provision should be made in the legislation for widows, old persons, disabled persons as has been done in the case of military personnels? There are persons who have lesser land than the economic holding. Some have one or two acres and others thirty or forty acres. May I know whether Government propose to give similar facility to these persons also? This is my first main question.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह प्रश्न पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।

Mr. Speaker : What is original there? Your question was the same.

Shri N.S. Bisht : I know that this is a State subject. But I wanted to know Government's reaction to and thinking on this. Secondly, certain recommendations have been made in Five-Year Plans on this account. Would the Hon. Minister throw some light on those recommendations?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : राज्य सरकार विकलांग व्यक्तियों, सेना में कार्य करने वाले व्यक्तियों, विधवाओं और अवयस्कों की विशेष परिस्थिति पर विचार कर सकती है, केन्द्र ने इस विषय में स्थूल संकेत किया है।

Shri Onkar Lal Berwa : The Hon. Minister has stated that some State Governments have enacted legislation in this regard. May I know the names of those States and also those States which auction the surplus land? What steps have Government taken to check this ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने मोटे तौर पर बताया है कि कई राज्यों ने विधान बनाये हैं। उदाहरणार्थ, गुजरात, मध्यप्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में, जहां जमींदारों को किसी विशिष्ट अवधि के भीतर जमीन में स्वयं खेती करनी पड़ती है, वहाँ विकलांग व्यक्तियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे काश्तकारों द्वारा अपनी भूमि में खेती करा सकते हैं और जहां भी इस प्रकार का उपबन्ध है वहाँ काश्तकारों को जमीन खरीदने का अधिकार ऐसे व्यक्तियों के कास्तकारों को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा, महाराष्ट्र में वह अवधि बढ़ाई गई की जिसके भीतर छोटे जमींदारों को अपनी भूमि में स्वयं खेती करनी होती है। मैसूर में विधवाओं और अविवाहित स्त्रियों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। असम, मैसुर, राजस्थान, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों में "स्वयं खेती करो" की परिभाषा विकलांग व्यक्तियों या मस्तिष्क रोगों से पीड़ित व्यक्तियों, अविवाहित स्त्रियों, विधवाओं या अवयस्कों आदि के पक्ष में शिथिल कर दी गई है।

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that, in states, land is occupied in excess of the actual requirement in the names of widows, old and disabled persons which is resulting in difficulties in providing land to landless persons?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने यह नहीं कहा कि ऐसे लोगों को भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून से छूट मिलेगी।

Shri R.C. Vikal : The Hon. Minister of Agriculture was just now saying that he was going to call a conference of the Ministres of Agricultures. May I know if proposal to have a uniform law in the country would be considered therein?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इसी प्रयोजन के लिए सम्मेलन बुलाया जा रहा है। मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने इसका उल्लेख किया था।

बंगला देश से आए शरणार्थी बच्चों की शिक्षा

*1303. **श्री एम० सत्यनारायण राव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आये बच्चों के लिए शरणार्थी शिविरों में अथवा उनके निकट स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्कूलों को चलाने के लिए बंगला देश से आये शरणार्थी अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा और क्या ऐसे अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं; और

(ग) इन शरणार्थियों में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है और उसमें से कितने बच्चे उक्त योजना से लाभान्वित होंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। आशा है जैसे ही वहां सामान्य स्थितियां पैदा हो जाएंगी, शरणार्थी अपने-अपने घरों को लौट जाएंगे, इसलिए थोड़े समय तक उनके भारत में ठहरने की अवधि में उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

श्री एम० सत्यनारायण राव : महोदय, यह वास्तव में आश्चर्यजनक उत्तर है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के विचार में अमरीका, चीन और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों के कारण बदली हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वहां पर सामान्य स्थितियां उत्पन्न की जा सकेंगी और क्या सरकार उन्हें पूर्वी बंगाल में वापस भेज सकेगी ?

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, तर्क-वितर्क मत कीजिए। कृपया बैठ जाएं। आपने कहा है कि सामान्य स्थितियां उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मंत्री महोदय का उत्तर है कि हम उन्हें भारतीय नागरिक नहीं मानते। वे वापस जाएंगे।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि उनके इस विचार का, कि वे वापस जाएंगे क्या आधार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : जैसाकि मैंने पहले बताया है कि इस समय हम उन्हें आश्रय, खाना तथा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और अपने उत्तर में मैंने यह स्पष्टतया बताया है कि जैसे ही वहां पर सामान्य स्थितियाँ पैदा होंगी वैसे ही उनकी वापस अपने घरों में जाने की आशा है। किसी सही तारीख या समय के बारे में बताना बड़ा कठिन है परन्तु बार-बार यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें वापस जाना होगा क्योंकि वे हमारे लिए विदेशी नागरिक हैं। सभी

को इस बात पर विश्वास होना चाहिए क्योंकि वहां के लोग ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने के लिए कटिबद्ध हैं। आपको बंगला देश के लोगों का विश्वास करना चाहिए।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकारों के अनुसार प्रत्येक बालक को, चाहे वह भारतीय हो अथवा बंगला देश या किसी अन्य देश का नागरिक हो, शिक्षा मांगने का अधिकार है। क्या भारत सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघ को बंगला देश से आये बालकों को शिक्षा देने के लिए विशेष सहायता देने के लिए कहेगी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं यह स्वीकार करता हूं कि किसी देश के नागरिकों को शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं दी जानी चाहियें। परन्तु वे एक दूसरे देश के नागरिक हैं और वे भारत में आये हैं। हमने उन्हें आश्रय, चिकित्सा सुविधा तथा भोजन देने का निर्णय किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार उन बालकों को शिक्षा देने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ से वार्ता करेगी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जब तक सामान्य स्थितियां नहीं उत्पन्न की जातीं, तब तक यह सम्भव नहीं है। मैं माननीय महिला सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने जनगणना कराई है और 10 जुलाई को 11,35,000 बालक 8 वर्ष से कम की आयु वाले थे। प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस स्थिति में कहीं भी शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करना सम्भव नहीं है।

श्री समर गुह खड़े हुए--

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके साथ कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता।

डॉ० रानेन सेन : देश भर के समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि बंगला देश की अस्थायी सरकार ने पश्चिम बंगाल में आये अपने अध्यापकों को यह परामर्श दिया है कि वे त्रिस्थापित बालकों के लिए स्कूल खोलें। यह भी पता चला है कि उन विस्थापित अध्यापकों द्वारा शिविरों में तथा उनके आस-पास कुछ स्कूल खोले गये हैं। भारत सरकार की उन स्कूलों के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ? क्या सरकार उन स्कूलों को सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : स्वभावत: शरणार्थियों में बच्चों के साथ कुछ अध्यापक लोग भी हैं और जहां वे अपनी स्वैच्छिक सेवाओं के लिए पेशकश करते हैं और वे बच्चों की कुछ शिक्षा अथवा अनुदेश देना चाहते हैं, वैसा कुछ शिविरों में किया जा रहा है। परन्तु सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है और सरकार ने उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। डॉ० रानेन सेन।

डॉ० रानेन सेन : 1304

श्री समर गुह : आप अन्याय कर रहे हैं। हमारे मंत्री महोदय को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। क्या उन्हें पता है कि एक समिति बनाई गई है.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है ।

श्री समर गुह : मैं आपको तथ्य बता रहा हूं । आपने न्याय नहीं किया है । पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग ने इस बात का स्पष्टीकरण किया है और वहां के अधिकारी शिक्षा मंत्री, प्रधान मंत्री से भी मिले हैं ....

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । कार्यवाही वृतान्त में इसका उल्लेख नहीं किया जाये ।

श्री समर गुह : ×× ××

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति लेने का यह तरीका नहीं है । प्रश्न का बहुत ही स्पष्ट रूप से उत्तर दिया गया है । मेरे विचार में शेष कुछ नहीं बचा है । मैंने पहले ही अगले प्रश्न के लिए कह दिया है । (**व्यवधान**)

श्री फूल चन्द वर्मा : व्यवस्था के प्रश्न पर, महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्नकाल के दौरान मैं व्यवस्था के किसी प्रश्न की अनुमति नहीं देता ।

मजूरी बोर्डों के कार्य का पुर्नविलोकन

*1304. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1957 में मजूरी बोर्ड पद्धति के प्रारम्भ होने के बाद सरकार ने मजूरी बोर्डों के कार्यकरण का पुर्नविलोकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो पुर्नविलोकन के क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) गत 14 वर्षों के अनुभव के आधार पर मजूरी बोर्डों के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) मजदूरी बोर्डों की प्रणाली का पुनरीक्षण 27वीं स्थायी श्रम समिति द्वारा स्थापित एक द्विपक्षीय समिति और राष्ट्रीय श्रम आयोग की एक समिति द्वारा किया गया । इन दोनों समितियों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद राष्ट्रीय श्रम आयोग ने इस प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया है ।

(ख) एक विवरण, जिसमें आयोग की मुख्य सिफारिशें दी गई हैं, मेज पर रख दिया गया है ।

(ग) त्रिपक्षीय बैठकों में व्यक्त विचारों के प्रकाश में इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

×× कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

×× Not Recorded.

विवरण

मजदूरी बोर्डों की प्रणाली के संबन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग की मुख्य सिफारिशें (रिपोर्ट का 19वां अध्याय)

(1) मजदूरी बोर्डों ने कुछ लाभदायक कार्य किया है और उन्हें कायम रहना चाहिए। उन्होंने सरकार की आर्थिक तथा सामाजिक नीति के विस्तृत ढांचे के अन्तर्गत मजदूरी निर्धारित करने का प्रयास किया है।

(2) मजदूरी बोर्ड में असंबद्ध व्यक्ति रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता हो, तो निर्धारक के रूप में किसी अर्थशास्त्री को सम्मिलित किया जा सकता है।

(3) जहां कहीं संभव हो, मजदूरी बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति दोनों पक्षों की परस्पर सहमति से होनी चाहिए।

(4) मजदूरी बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय / राज्य औद्योगिक संबंध आयोगों द्वारा सम्मत नामों की एक सूची बनानी चाहिए। उसे अधिमान्य रूप से इन आयोगों के सदस्यों में से लिया जाना चाहिए।

(5) यदि अध्यक्ष की नियुक्ति दोनों पक्षों की सहमति से हुई हो तो उसे उन मामलों में मध्यस्था करनी चाहिए जिन पर मजदूरी बोर्ड में सहमति न हो सकी हो।

(6) जहां आयोग सम्मत नामों की सूची तैयार करने में सफल न हो, वहां सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी।

(7) एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो से अधिक मजदूरी बोर्डों का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

(8) मजदूरी बोर्ड सामान्यतः नियुक्ति के एक वर्ष के अन्दर अपनी सिफारिशें देने में अपेक्षित होने चाहिए। जिस तारीख से उन सिफारिशों को लागू किया जाना हो उसका उल्लेख सिफारिशों में ही कर दिया जाना चाहिए। मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें पांच वर्ष की अवधि तक लागू रहनी चाहिए।

(9) मजदूरी बोर्डों की सर्वसम्मत सिफारिशें कानूनन बन्धनकारी की जानी चाहिए।

डा० रानेन सेन : इस बात को मानते हुए कि मजूरी बोर्डों ने मजदूरी तथा काम की शर्तों के सम्बन्ध में एकरूपता लाने में कुछ अच्छा काम किया है किन्तु सरकार मुझे यह बता सकती है कि क्या वह इस तथ्य को मानती हैं कि सरकार को अब मालिकों को द्विपक्षीय बात-चीत के लिए अधिक से अधिक राजी करना चाहिए ? यदि हां तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य कम से कम यह मानते हैं कि मजूरी बोर्डों के काम से मजदूरी तथा काम की शर्तों में एकरूपता जैसी कुछ अच्छी बातें हुई हैं। मैं यह मानता तो हूं कि मजूरी बोर्डों ने अपना काम पूरा करने में काफी समय लिया है और जब उन्होंने वास्तव में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये तो उस समय हालत पूरी

तरह से बदल चुकी थी। जैसी हालात थी तथा मजूरी बोर्ड की जो सिफारिशें थीं उनमें कुछ अंतर था । जहां तक इनके क्रियान्वयन का संबंध है, यह बहुत कठिन है और फिर भी जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, हम यदि कुछ कर सकते हैं तो वह उन्हें राजी करने की बात ही है। हम मालिकों को द्विपक्षीय समझौते के लिए ही राजी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। किन्तु राजी कराने की भी कोई सीमा है। माननीय सदस्य पूरी तरह से जानते हैं और वे भी एक मजदूर संघ कार्यकर्ता है तथा हर बार वे सरकार की ओर से कुछ प्रभाव, शक्ति तथा न्याय चाहते हैं।

डा० रानेन सेन : यह भी एक सर्वविदित तथ्य है कि मालिक भी कई मामलों में, सामूहिक सौदेबाजी की उपयोगिता को मानते हुए द्विपक्षीय वार्ता करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हाल ही में कुछ समय पहले भी इस्पात मालिक और इस्पात मजदूरों के बीच द्विपक्षीय करार किया गया है, क्या सरकार इस मामले पर मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ अखिल भारतीय स्तर पर चर्चा करेंगे ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैंने कहा है हम द्विपक्षीय करार का स्वागत करते हैं। इस्पात मंत्रालय और इस्पात मजदूरों के बीच हुआ इस्पात करार एक अच्छी बात है। किन्तु आपको यह याद रखना चाहिए कि यह सरकारी क्षेत्र है। यह सब पर लागू नहीं होता है क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र के मालिक इस तरीके को न माने........(**व्यवधान**) । यह एक मर्यादा है।

इस सुझाव के बारे में कि क्या हम इस मामले पर राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अथवा त्रिपक्षीय बैठक में विचार करेंगे, यह मामला, जैसा कि सदस्य भली भांति जानते हैं, लिया जा सकता है और इस पर निर्णय किया जा सकता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय मुझे यह बतायेंगे कि क्या मजूरी बोर्डों के कार्यचालन की समीक्षा करते हुए मंत्री महोदय यहां अभी यह बताने की स्थिति में है कि कितने मामलों में मालिकों ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है और उन मामलों में सरकार व्दारा क्या कार्यवाही की गयी जिससे मजूरी बोर्ड की सिफारिशें पूरी तरह से क्रियान्वित की जायें और दिल्ली के होटल कर्मचारियों के बारे में, जहां कि अभी भी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की गयी हैं, क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया किन्तु सिफारिशें पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं की गयी थीं क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये सिफारिशें एक गैर-संविधिक मजूरी बोर्ड व्दारा की गयी थीं। अतः मैं एक दम यह नहीं कहा सकता कि मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को कितने मामलों में क्रियान्वित नहीं किया गया और पूर्णतः उल्लंघन किया गया है। यदि एक अलग प्रश्न पूछा जाये तो मैं वह सूचना दूंगा।

दिल्ली में होटल कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में, जैसा कि मैंने पहले कहा, राज्य स्तर पर विवाद को निपटाने तथा मालिकों को राजी करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। कर्मचारी तो कुछ

समझौते के लिए तैयार हुए हैं किन्तु मैं यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता हूं कि मालिक कहाँ तक एक मान्य करार अथवा समझौते के लिए आगे आये हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि उन्होंने अभी कहा है कि होटल कर्मचारियों के मामले में बातचीत से समझौता करने तथा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं, क्या उन्हे मालूम है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल आज सम्भवत: निषेधात्मक आदेश जारी कर रहे हैं और यह घोषणा कर रहे हैं कि वह हड़ताल अवैध है और उसमें निर्णय अथवा मध्यस्थता के लिए कह रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या वे उप-राज्यपाल से ऐसा न करने के लिए कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह एक परिकल्पित प्रश्न है।

श्री आर० के० खाडिलकर : मुझे इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वे इस विवाद को निर्णय के लिए सौंप रहे हैं तथा हड़ताल को अवैध घोषित कर रहे हैं। मेरे पास कोई सूचना नहीं है। मुझे यह इकट्ठी करनी पड़ेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : बात चीत कब होने जा रही है।

श्री जे० सी० दीक्षित : ऐसे अनेक मजूरी बोर्ड हैं जिनकी सिफारिशें अभी क्रियान्वित नहीं की गयी हैं और क्रियान्वयन का तो कहना क्या यहाँ तक कि उनमें राज्य सरकारों द्वारा रूप भेद भी किया गया है। केन्द्रीय सरकार उस संबंध में क्या कर रही है ? जब मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं तो मेरे दिमाग में विद्युत उद्योग है। उस उद्योग के संबंध में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों में एक राज्य में रूपभेद किया गया था। और बहुत से राज्यों में उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है और वही उत्तर अब भी दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न श्री बनर्जी द्वारा दूसरे रूप में रखा गया था।

श्री डी० के० पंडा : महोदय, एक प्रश्न। मंत्रालय की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न. . .

प्रो० एस० एल० सक्सेना : पहली चीनी मजूरी बोर्ड ने 1960 में अपनी सिफारिशें दी थीं और वे पांच वर्ष के लिये वैध थी। किन्तु दूसरे चीनी बोर्ड की सिफारिशें 1969 में आई थी। 1965 के बाद दूसरी चीनी बोर्ड की चार वर्षों के लिए कोई सिफारिशें उपलब्घ नहीं हैं। क्या सरकार तीसरा चीनी बोर्ड तुरन्त नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि अगले पांच वर्षों में उसकी सिफारिशें उपलब्ध हों ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मुझे ज्ञात है कि चीनी मजूरी बोर्ड की अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की गयी हैं और यदि हम उन्हें उत्तर प्रदेश के लिए दूसरा चीनी मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के लिए राजी भी करें तो भी जब तक एक सांविधिक बोर्ड की, जिसमें अनिवार्यता का तत्व है, नियुक्ति न की जाये तब तक मेरे विचार से केवल मजूरी बोर्डों की नियुक्ति से सरकारें सिफारिशें मानने के लिए राजी नहीं होंगी। इसकी क्या गारंटी है कि वे मान लेंगे। यही हमारी कठिनाई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विमान द्वारा दवाई छिड़क कर फसल को नष्ट करने वाले कीड़ों/ बीमारियों का उन्मूलन करने सम्बन्धी योजना

*1293. **श्री एम० एम० जोसफ** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों को विमान द्वारा दवाई छिड़क कर रोग ग्रस्त क्षेत्रों में फसलों को नष्ट करने वाले कीड़ों/बीमारियों का उन्मूलन करने में सक्षम बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) योजना की मुख्य बातें नीचे दी गई है:—

(1) उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां निरंतर रूप से कीट और रोग विद्यमान है और वर्ष प्रति वर्ष फसल को हानि पहुंचा रहे हैं और ऐसे कीटों और रोगों का भी ज्ञान प्राप्त करना हैं।

(2) ऐसे क्षेत्रों तथा आसपास के क्षेत्रों में कीटनाशी औषधियों के हवाई छिड़काव द्वारा कीटों और रोगों से फसलों की क्षति को कम करने के लिये औपचारिक कार्यवाही करना।

(3) इस योजना के अधीन चौथे पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमानित 4.27 करोड़ रुपये की लागत से 61 लाख एकड़ का क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार राज्य सरकारों द्वारा विमानन कार्यों पर 7/– रु० प्रति एकड़ व्यय (सर्वाधिक सीमा) को सहन करती है। कीटनाशी औषधों, आदि पर व्यय राज्य सरकारें वहन करेंगी या उनके द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कृषकों से अनुप्राप्त किया जाता है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में मत्स्यपालन में अनुसन्धान

*1295. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में अनेक मत्स्यपालन सम्बन्धी अनुसंधान योजनाएं अनुमोदित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो अनुमोदित योजनाओं की रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) उक्त योजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ,। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मीन-उद्योग से संबंधित 7 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनायें मंजूर की हैं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) स्वीकृत योजनायें ये हैं:—

(1) जलाशयों में मीन पालन विकास के उपाय करने के लिए ताजा जल के जलाशयों की परिस्थितियों को समझने हेतु ताजा जल के जलाशयों की परिस्थिति की और मछलियों का अध्ययन।

(2) देशीय तथा विदेशी दोनों किस्मों को विभिन्न कृषि जलवायु की अवस्थाओं में उपयोग करते हुए मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिये फार्मूले बनाने के लिए भारतीय तथा विदेशी मछलियों का मिश्रित सम्वर्धन।

(3) देश में मछली बीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नदी तटीय कार्य के अण्डे खोजने तथा एकत्रीकरण की तकनीकों का अन्वेषण।

(4) कार्य संवर्धन के लिए अनुपयुक्त और अधिक दलदली क्षेत्रों का उपयोग करने के उद्देश्य से दलदली वाले क्षेत्रों में हवा में सांस लेने वाली मछलियों के बीजों का सम्वर्धन तथा भंडारण।

(5) वाणिज्यक दृष्टि से महत्वपूर्ण समुद्रीय झींगा संसाधनों की मात्रा का निर्धारण करने के लिए समुद्री झींगा जैविकी और संसाधनों का अध्ययन।

(6) उत्पादन केन्द्रों से दूर के विभिन्न स्थानों पर बढ़िया किस्म की मछली पहुंचाने के लिए ताजा मछली के परिवहन के बारे में अध्ययन।

(7) ट्रेश मछलियों जो कि खींचकर पकड़ी गई मछलियों का अनुमानत: 50 से 70 प्रतिशत होती है, का समुचित रूप से उपयोग करने के उद्देश्य से ट्रेश मछली के उपयोग के बारे में अध्ययन।

(ग) योजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 62.03 लाख रुपये होगी।

Central Labour Organisations

*1298. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number and names of the Central Labour Organisations working at present in the country; and

(b) the number of Registered Unions affiliated with each of these Central Labour Organisations and the membership thereof at present?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b). The number of Central Trade Union Organisations recognised for the purpose of giving representation on National and International partite consultative bodies is four. The names of these four Organisations, the number of Registered Unions affiliated to each of these Organisations and their verified membership are as follows:—

Name	Verified Number of Registered Unions as on 31.12.1968.	Verified membership as on 31.12.1968
(1) Indian National Trade Union Congress	1165	13,26,152
(2) All India Trade Union Congress	1008	6,34,802
(3) Hind Mazdoor Sabha	248	4,63,772
(4) United Trades Union Congress	216	1,25,754

Such information in respect of other Central Trade Union Organisations working in the country is not available.

Opening of Seed Stores in Bihar, U. P. and other parts of the country

*1305. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether wheat crop has been badly damaged this year due to rains in the country and wheat is not available even for seeds; and

(b) if so, whether Government now propose to open seed stores at centrally located places in every District in Bihar, Uttar Pradesh and other parts of the country?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) Sizeable quantities of wheat crop in Northern India are reported to have been damaged by unseasonal rains in April-May this year. There is no shortage of wheat but it is apprehended that in some areas some of the farmers may not be able to keep good seed from their own produce.

(b) The Government of India convened a meeting of the Directors of Agriculture of the concerned States on the 19th June, 1971 to assess the requirements of wheat seeds for the coming rabi season and to devise ways and means to meet them, the procurement and distribution of seeds is primarily the responsibility of State Governments, but the Govt. of India tries to help the State in getting their requirements of seeds from various sources in times of need. As such there is no proposal to open seeds stores in each District of Bihar, U. P. and others parts of the country by the Government of India. The State Governments will be making suitable distribution arrangements for supply of wheat seeds to farmers. The National Seeds Corporation and the Tarai Development Corporation will also be distributing seeds through their dealers appointed in these States. The Central States Farms Corporation will also supply seeds to the State Governments. As the seeds producing organisations will not be able to meet the entire demands of all the State Governments, it has been decided to use good quality high yielding varieties of wheat stocks procured by the Food Corporation of India for seed purposes, after such stocks are cleaned and tested that these conform to some minimums standard of germination. The State Governments will be arranging to distribute such stocks to farmers.

जर्मन लोक-तन्त्रात्मक गणराज्य के प्रतिनिधियों का आर० एस०–09 ट्रैक्टरों का निरीक्षण करने हेतु जालन्धर जाना

*1306. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के प्रतिनिधि आर० एस०–09 ट्रैक्टरों का निरीक्षण करने के लिए 22 जून, 1971 को जालन्धर आए थे और उन्होंने निरीक्षण करने की पूर्व शर्त के रूप में प्रति ट्रैक्टर मरम्मत शुल्क के लिए 6,500 रुपये काटने की मांग की थीं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह राशि उस 8 प्रतिशत मूल्य ह्रास-प्रभार के अतिरिक्त है जो एक ट्रैक्टर के लागत बीमा भाड़ा मूल्य पर आता है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). कृषि मंत्रालय को यह बताया गया था कि पूर्वी जर्मनी के प्रतिनिधियों ने जालन्धर में ट्रैक्टरों के निरीक्षण से पूर्व यह शर्त रखी थी कि प्रति आर० एस०–09 ट्रैक्टर के लागत और भाड़ा मूल्य पर 8% के ह्रास की कटोती के अतिरिक्त 6,500/– रुपये प्रति ट्रैक्टर और काटेंगे । इस समस्या के समाधान के लिये परियोजना और उपकरण निगम में पूर्वी जर्मनी के व्यापार प्रतिनिधियों और पंजाब कृषि उद्योग निगम और इस मन्त्रालय के साथ 6–7–71 को एक बैठक हुई । पूर्वी जर्मनी के इन्जीनियर बिना किसी शर्त के आर० एस०–09 ट्रैक्टरों का प्रथम लौट 20–7–71 को जालन्धर में देखने के लिये सहमत हो गये हैं । अदा किया जाने वाला ट्रैक्टरों का मूल्य आपसी समझौते के बाद तय किया जायेगा । जर्मन प्रतिनिधि निरीक्षण के पश्चात ट्रैक्टर वापस लेने के लिये भी सहमत हो गये हैं और आपसी समझौते से तय किया गया मूल्य भी शीघ्र अदा करने को तैयार हो गये हैं ।

समाजवादी देशों को इस्पात के निर्यात पर रोक

*1307. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के चेयरमैन श्री के० टी० चांदी ने अमरीका की एक कम्पनी से करार किया था, जिसके अन्तर्गत समाजवादी देशों को भारत से इस्पात के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) और (ख). संभवतः संकेत बेलन मिलों और अनुषंगी सेवाओं के रूपांकन और निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में अमरीका के मैसर्स यूनाइटिड इंजीनियरिंग एण्ड फाउन्ड्री कंपनी, पिट्सबर्ग के साथ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की ओर से श्री चान्दी द्वारा फरवरी 1969 में किये गये समझौते की ओर है । समझौते की शर्तों के अनुसार प्रतिबंध समझौते की अवधि में अर्थात् 10 वर्ष तक

इस्पात की बिक्री पर नहीं बल्कि इस जानकारी की प्राप्ति के फलस्वरूप निर्मित किये गये साज-सामान की बिक्री पर लगाये गये हैं। ये प्रतिबन्ध विभिन्न प्रकार के हैं और जहां एक ओर यू० के० और कनाडा, जैसे देशों पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं वहां दूसरी और कई अन्य देशों पर भी है जिनमें रूस, हांगकांग और क्यूबा शामिल है।

चित्तूर, आंध्र प्रदेश में रेनीगंता में सहकारिता के आधार पर चीनी के कारखाने की स्थापना

*1308. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तूर जिले के रेनीगंता स्थान पर सहकारी चीनी कारखाना स्थापित करने के आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार तथा वहां की जनता से इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करने तथा स्वीकृति देने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) रेनीगुंटा, जिला चित्तूर, आन्ध्रप्रदेश में एक सहकारी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए दो आवेदन-पत्र अर्थात् एक अगस्त, 1963 में और दूसरा सितम्बर, 1969 में प्राप्त हुए थे। ये दोनों आवेदन-पत्र राज्य सरकार द्वारा अभिस्तावित थे। ये आवेदन-पत्र नामंजूर कर दिए थे क्योंकि फैक्ट्री के प्रस्तावित क्षेत्र में गन्ने की प्राप्यता अपर्याप्त थी।

(ख) और (ग). रेनीगुंटा में एक नई सहकारी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के बारे में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में फिर इस मामले में लिखा है। यह निश्चय किया गया है कि इस योजना की नये सिरे से उपयुक्तता संबंधी रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस क्षेत्र का स्थल पर अध्ययन किया जाए।

उन देशों को चीनी का निर्यात जिनका उत्पादन कम हो गया है

*1309. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन देशों के साथ चिनी की बिक्री करने हेतु करार करने का प्रयास किया है जहां चीनी का उत्पादन 1970, 1971 में कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो चीनी की प्रति क्विंटल दर क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार 1972 में चीनी का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). निर्यात के लिए चीनी की बिक्री सामान्यतः टैंडर मंगा कर ही की जाती है। तथापि, श्रीलंका के बारे में सरकार से सरकार के आधार पर बिक्री की गई थी और 1970 तथा 1971 में क्रमशः 40,000

मीटरी टन और 20,000 मीटरी टन चीनी बेची गई थी। ये बिक्री निम्नलिखित दरों पर की गई थी :—

1970

मात्रा	मूल्य	
(1) 10,000 मी० टन	£39–15–0d प्रति टन जहाज पर चट्टे लगाने तक निष्प्रभार	लदान की तारीख से 365 दिन के अन्दर भुगतान
(2) 20,000 मी० टन	£45–15–0d प्रति टन जहाज पर चट्टे लगाने तक निष्प्रभार	
(3) 10,000 मी० टन	£47–0–0d प्रति टन जहाज पर चट्टे लगाने तक निष्प्रभार	

1971

(1) 20,000 मी० टन	£54–10–0d प्रति मीटरी टन जहाज पर चट्टे लगाने तक निष्प्रभार	लदान की तारीख से 180 दिन के अन्दर भुगतान

(ग) अन्तराष्ट्रीय चीनी करार (आई० एस० ए०) के अन्तर्गत 1971 में यू० के० (25,400 मीटरी टन) और संयुक्त राज्य अमेरिका (लगभग 71,000 मीटरी टन) को निर्यात करने के लिये हमारे पास लगभग 2.54 लाख मीटर टन का आई० एस० ए० कोटा और 0.96 लाख मीटरी टन के अधिमान्य कोटे हैं। यह आशा है कि 1972 में आई० एस० ए० कोटा और यू० के० कोटा उसी स्तर पर बना रहेगा। यू० एस० चीनी अधिनियम जिसके अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया जाता है, 1971 तक वैध है और इस समय इसकी समीक्षा की जा रही है। हमने अपने कोटे में वृद्धि कराने के लिए पग उठाए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए जाने वाले अन्तिम निर्णय की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

बीड़ी उद्योग के लिये मजुरी बोर्ड की मांग

*1310. **श्री ए० के० साहा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बीड़ी उद्योग में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय मजूरी बोर्ड बनाने हेतु भारतीय श्रम कार्मिक संघ केन्द्र की महापरिषद् द्वारा की गई मांग की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाड़िलकर) : (क) जी, नहीं।

(क) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्र की स्थापना

*1311. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल के पुरलिया जिले में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संबंध में क्या लिखा है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल को लोहे और इस्पात का नियतन

*1312. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में अन्य राज्यों की तुलना में केरल को लोहे और इस्पात का नियतन बहुत कम किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार प्रत्येक राज्य को कितने-कितने लोहे और इस्पात का नियतन किया गया ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) वर्तमान वितरण प्रणाली के अन्तर्गत इस्पात के राज्यवार आवंटन की व्यवस्था नहीं है। इस्पात की अपूर्ति अधिकतर वास्तविक उपभोक्ताओं को ही की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय वन सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण

*1313. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **कृषि** मंत्री 10 दिसम्बर, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 659 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वन सम्बन्धी नीती का इस बीच पुनरीक्षण कर लिया गया है और यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या है; और

(ख) क्या उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) यह सरकार के संकल्प के रूप में प्रकाशित होगीं और एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी जायेगी।

विवरण

जी नहीं। राष्ट्रीय वन नीति तर राष्ट्रीय वन आयोग की चार क्षेत्रीय बैठकों में प्रत्येक अनुच्छेद पर विचार विमर्श किया गया था। इसके उपरान्त इस पर 26 तथा 27 सितम्बर, 1969 को श्रीनगर में आयोजित केन्द्रीय वन आयोग की पांचवी बैठक में भी विचार विमर्श किया गया था। अ.योग ने चार क्षेत्रीय बैठकों द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया गया और राज्यों तथा अन्ततः केन्द्रीय वन मंडल के विचारार्थ नई संशोधित राष्ट्रीय वन नीति का प्रारूप तैयार करने के लिये एक प्रारूप समिति नियुक्त की है।

2. प्रारूप समिति की 26 अक्तूबर, 1970 को नई दिल्ली में आयोजित प्रथम बैठक में वर्तमान नीति के संशोधन के लिये अपनाये जाने वाले उपागमों पर विचार विमर्श किया गया और निश्चय किया गया कि संशोधित वन नीति के तीन भाग होने चाहिये, **अर्थात् भाग I– पृष्ठभूमि, भाग II– वर्तमान नीति का मूल्यांकन, और भाग III– नीति निरूपण** यह भी निश्चय किया गया कि अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान तथा सचिव, केन्द्रीय वन आयोग एक प्रारूप तैयार करेंगे और आगामी बैठक के आयोजन से पूर्व इसे प्रारूप समिति के सदस्यों को परिचारित करेंगे। इस बीच, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वर्तमान वन नीति पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिये 'वन नीति कानून और प्रशासन' नामक एक अध्ययन दल की संरचना की है। अतः केन्द्रीय वन आयोग द्वारा तैयार की गई सामग्री राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल को उपलब्ध कर दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल और बंगला देश के शरणार्थी शिविरों को खाद्य की सप्लाई के सम्बन्ध में कठिनाइयां

*1314. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल और विशेष कर बंगला देश के शरणार्थी शिविरों को नियमित रूप से खाद्य पदार्थों की सप्लाई में कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कठिनाइयां हो रही हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्न सप्लाई करने में फिलहाल किसी गम्भीर कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। न ही राज्य सरकार ने शरणार्थी शिविरों को खाद्य की नियमित सप्लाई भेजने में किसी कठिनाई के बारे में ही सूचित किया है। अधिकांश ट्रैफिक को उत्तरी बंगाल फराक्का गड़ारा के रास्ते भेजना होता है। कभी-कभी नदी में बाढ़ आने से फराक्का क्रासिंग पर बाधा पड़ने के कारण भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फराक्का और गड़ारा के रास्ते से सरकारी खाद्यान्नों के संचलन को उच्चतम अग्रता दी जा रही है। उत्तरी बंगाल को उत्तर प्रदेश से सभी मीटर गेज के रास्तों से भी अनाज सप्लाई किया जा रहा है।

काजू की प्रति एकड़ पैदावार में कमी

*1315. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू की प्रति एकड़ पैदावार में लगातार कमी हो रही है जबकि 1950-51 की तुलना में काजू के वृक्षों का क्षेत्र बढ़ गया है;

(ख) वर्ष 1950-51 और 1966-67 में अनुमानत कच्चे काजू की पैदावार कितनी थी; और

(ग) प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) काजू के फसल अनुमान नियमित रूप से जारी नहीं किए जा रहे हैं। राज्यों से प्राप्त अस्थायी अनुमानों के आधार पर केवल तदर्थ अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे अनुमान भी केवल वर्ष 1954-55 से उपलब्ध है। तदर्थ अनुमान होने के कारण वे पूरे तौर से तुलनात्मक नहीं है।

(ख) 1950-51 के कच्चे काजू की उपज के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तदर्थ अनुमानों के अनुसार 1966-67 में 863 किलोग्राम प्रति हैक्टार उपज हुई थी और कुल उत्पादन 167 हजार मीटरी टन हुआ था।

(ग) काजू की उपज बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. पैकेज पद्धतियों को अपनाना।
2. अधिक उत्पादनशील वृक्षों से काजू की गुटि का उत्पादन।
3. उन्नत पद्धतियों सहित प्रदर्शन पलाटों की स्थापना।
4. पौध रक्षा के रोग-निरोधक उपाय अपनाना।
5. कृषकों के लिए ऋण की व्यवस्था करना।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आटा मिलों को घटिया तथा वर्षा से खराब हुए गेहूं की सप्लाई

*1316. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे आरोप लगाये गए हैं कि भारतीय खाद्य निगम ने आटा मिलों को घटिया तथा वर्षा में खराब हुआ गेहूं सप्लाई किया था और इस के लिए निम्न-मानक के तथा पूराने बोरों का प्रयोग किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) फ्लोर मिलों को अमानक तथा पुराने बोरों में घटिया किस्म तथा वर्षा से प्रभावित गेहूं की तथा कथित सप्लाई के बारे में भारतीय खाद्य निगम को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ). मिलों को उनके कोटे का केवल 30 प्रतिशत वर्षा से प्रभावित गेहूं दिया जाता है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम को यह अनुदेश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि केवल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त गेहूं ही दीया जाता है। गेहूं की सप्लाई मजबूत तथा टिकाऊ बोरों में ही की जा रही है।

जब कभी गेहूं की सप्लाई अमानक तथा कमजोर बोरों में की जाती है, तब मिल मालिकों को गेहूं देते समय गेहूं के वजन की जांच करने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

उत्तरी क्षेत्र में निर्धारित मानक पर खरे न उतरने वाले वर्षा से खराब हुए गेहुं को खरीदने के लिए अनुमति

*1317. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने उत्तरी क्षेत्र में वर्षा से खराब हुए ऐसे गेहूं को भी खरीदने की अनुमति दे दी है, जो निर्धारित मानक पर खरा नहीं उतरता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कितना गेहूं खरीद लिया गया है; और

(ग) इसमें से कितना गेहूं बिल्कुल खराब होने से बचाया जा चुका है अथवा बचाया जा सकता है और कितना गेहूं बचाया नहीं जा सकता ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार ने गेहूं की निर्दिष्टियों में ढील दे दी है ताकि भारतीय खाद्य निगम वर्षा से प्रभावित गेहूं की खरीदारी कर सके।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुल 5,60,080 मी० टन वर्षा से प्रभावित गेहूं खरीदा गया है जोकि ढील दी गयी निर्दिष्टियों के अनुरूप था।

ढील दी गई निर्दिष्टि के अधीन केवल मानव उपभोग के योग्य स्टाक ही खरीदा गया है। इस स्टाक को साफ करने की आवश्यकता नहीं है।

रुरकेला इस्पात संयत्र को हुई हानि

*1818. **श्री एस० एस० महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष ट्रैफिक विभाग द्वारा हड़ताल किए जाने के कारण रुरकेला इस्पात संयंत्र को कुल कितनी हानि हुई ; और

(ख) हानि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० ने अनुमान लगाया है कि जून 1970 में राउरकेला इस्पात कारखाने के ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के परिणामस्वरूप 47,400 टन इस्पात पिण्डों के उत्पादन की हानि हुई थी।

(ख) हड़ताल को समाप्त कराने के लिए प्रबन्धकवर्ग ने हर संभव प्रयत्न किये थे।

चौथी पंचवर्षीय योजना में मत्स्य-पालन के विकास के लिए आंध्रप्रदेश को केन्द्रीय सहायता

*1319. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में मत्स्यपालन के विकास के लिए आंध्रप्रदेश को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ;

(ख) कितनी योजनाओं के लिए सहायता दी गई है ; और

(ग) योजनाओं के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) आंध्र प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना में मीन-उद्योग के विकास के लिये 150 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। चौथी योजना के दौरान राज्य प्लान स्कीमों को केन्द्रीय सहायता सारी योजना के लिये एक मुश्त अनुदान तथा ऋणों के रूप में दी जाती है। राज्य प्रतिवर्ष कुल सहायता का 30 प्रतिशत अनुदान तथा शेष 70 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार मीन-ग्रहण बन्दरगाहों के निर्माण की पूरी लागत भी वहन करती है। मीन-ग्रहण बन्दरगाहों के लिये राज्यवार धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता है। सक्षम बन्दरगाह के स्थानों के इंजीनियरी तथा आर्थिक अध्ययन किये जाते हैं और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर बन्दरगाहों की स्वीकृति दी जाती है।

(ख) तथा (ग). राज्य सरकार की चौथी योजना में 16 मीन-उद्योग योजनायें हैं, उनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं:—(1) काकीनाड़ा में समुद्रीय केन्द्र का विकास करना, जिसके अंतर्गत यंत्रीकृत नौकाएं बनाई जाती हैं और निर्मुक्त की जाती हैं, (2) मीन-फार्म तथा नर्सरियों का सुधार एवं डिम पौना का उत्पादन, और (3) मछवों की सहकारी संस्थाओं को ऋण देना। पहली योजना के अंतर्गत योजना के प्रथम दो वर्षों में 27 नौकाओं का निर्माण किया गया है। 9.261 लाख रुपये की लागत से अनन्तपुर जिला तथा अन्य स्थानों में कई मीन-फार्मों तथा नर्सरियों का सुधार किया गया है। महुओं तथा जिला परिषदों को मीन-उद्योग उपकरणों की खरीद तथा वितरण के लिये जिला परिषद, कुरनूल को कुल 5.23 लाख रुपये का ऋण दिया गया। जहां तक केन्द्रीय योजनाओं का संबंध है, भारत सरकार ने फरवरी, 1970 में विस्तृत जांच-पड़ताल, नमूना परीक्षण तथा विशाखापतनम गहन-समुद्र मीन-ग्रहण बन्दरगाह की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये पत्तन या विशाखापतनम को धन राशि स्वीकृत की है। अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की सहायता से केन्द्रीय मीन-ग्रहण बन्दरगाहों की निवेश-पूर्व सर्वेक्षण परियोजना ने आंध्र प्रदेश के तट का भी सर्वेक्षण किया और तीन बन्दरगाहों के लिये परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

हरियाणा में खाद्यान्नों की वसूली रोकना

*1320. **श्री के० बालतन्डायुतम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा की कुछ मंडियों में गेहूं सड़ गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा इसलिए हुआ कि माल डिब्बों की कमी के कारण गेहूं अन्य राज्यों को नहीं भेजा जा सका और साथ ही इसलिए भी कि वसूली एजेंसियों के पास भाण्डागार संबंधी सुविधाओं की कमी थी ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या राज्य सरकारों ने 22 जून, 1971 से वसूली कार्य रोक दिया है ;

(घ) क्या वसूली रोके जाने के कारण हरियाणा के किसानों ने भारी हानि होने की शिकायत की है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). इस वर्ष मंडियों में आमद में भारी वृद्धि होने और भारी अधिप्राप्ति होने के कारण तथा भण्डारण क्षमता में वृद्धि होने और रेल तथा सड़क द्वारा संचलन करने के बावजूद, पर्याप्त मात्रा में गेहूं खुले में रखना पड़ा था। अनाज को तिरपालों तथा पोलीथीन की चादरों से ढक कर एहतियात बरती गई है। मंडियों में अधिप्राप्त किए गए अनाज को कोई भारी क्षति नहीं पहुंची है ।

(ग) वर्षों तथा अन्य स्थानीय आकस्मिकताओं के कारण अधिप्राप्त कार्य को जहां कहीं आवश्यक समझा गया, अस्थायी रूप से स्थगित करने के अलावा, राज्य सरकार अधिप्राप्ति कार्य जारी रख रही है ।

(घ) अस्थायी तौर पर खरीदारी स्थगित करने के बारे में राज्य सरकार को कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ङ) सभी उपलब्ध स्थानों का उपयोग कर राज्य में भण्डारण क्षमता में वृद्धि कर दी गई है। अधिप्राप्त स्टाक की रेल और सड़क द्वारा यथासम्भव अधिकतम निकासी की व्यवस्था की जा रही है।

पुनर्वास विभाग की फरीदाबाद, हरियाणा में भूमि

5579. **श्री मानसिंग मौरा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास विभाग की फरीदाबाद नगरी हरियाणा में कोई भूमि है यदि हां, तो उसका कुल क्षेत्र कितना है ;

(ख) क्या सरकार के समक्ष इस भूमि को हरियाणा राज्य को सौंपने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो कब और किन शर्तों पर इसको सौंपा जायेगा ;

(ग) क्या औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न कारखानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों ने मकानों की कमी के कारण इस भूमि पर झुग्गियां और खोखे बना लिये हैं ;

(घ) क्या इन निवासियों को मकान बनाने के लिये आसान किस्तों पर अथवा किसी अन्य ढंग से यह भूमि अलाट करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ; और

(ङ) क्या सरकार का फरीदाबाद (हरियाणा राज्य) में रिहायशी कालोनियां बनाने के लिये ऋण/अनुदान देने का कोई प्रस्ताव है यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां। इस समय पुनर्वास विभाग के पास रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्र को मिलाकर 800 एकड़ भूमि है किन्तु हरियाणा की राज्य सरकार ने इसमें से बहुत-सा क्षेत्र हरी पट्टी (ग्रीन बेल्ट) में शामिल कर लिया है।

(ख) बन्दोबस्त संगठन के कार्य को बन्द करने की दृष्टि से इस संगठन की अवशिष्ट परि-सम्पत्तियों को हरियाणा राज्य सरकार को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव है ।

हस्तान्तरण की शर्तों के विषय में बात-चीत चल रही है।

(ग) कुछ भूमि पर झुग्गी वालों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है । किंतु, विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ये झुग्गीवाले कारखानों में काम करते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं ।

खाद्य समस्या को हल करने के लिये आसाम और मेघालय को अतिरिक्त खाद्यान्नों की सप्लाई

5580. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व पाकिस्तान से भारी संख्या में आये शरणार्थियों के कारण उत्पन्न खाद्य समस्या को हल करने के लिये 25 मार्च से 30 मई, 1971 के अंत तक आसाम और मेघालय को कितना-कितना आटा, चावल और गेहूं भेजा जा चुका है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : असम को 25 मार्च से 31 मई, 1971 की अवधि में लगभग 43.5 हजार मी० टन चावल और 39.0 हजार मी० टन गेहूं भेजा गया था । सरकारी वितरण तथा पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए असम और मेघालय सरकारों की आवश्यकतानुसार उनको उपर्युक्त अनाज में से और असम के डिपों में पहले से पड़े केन्द्रीय स्टाक में से अनाज नियुक्त किया गया था। इस अवधि में असम को कोई आटा नहीं भेजा गया था ।

बंगला देश के शरणार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये खाद्यानों का आयात

5581. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के शरणार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन किन देशों से खाद्यान्नों के आयात के बारे में बातचीत चल रही है ; और

(ख) कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की आवश्यकता है तथा यह कब तक भारत पहुंच जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) बंगला देश से आए शरणार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों का आयात करने हेतु किसी भी देश के साथ कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। तथापि, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और विश्व खाद्य-कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (शरणार्थी) जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कुछ खाद्यान्न देने की पेशकश की है।

(ख) छ: महीनों तक 60 लाख शरणार्थियों को भोजन देने के लिए पहले तैयार किए गये प्राक्कलन के अनुसार 5.8 लाख मी० टन चावल की आवश्यकता थी। तथापि, बंगला देश से आये शरणार्थियों की संख्या पहले ही 70 लाख से अधिक पहुंच गई है और उनके आने का तांता अभी लगा हुआ है। सरकार देश में उपलब्ध स्टाकों में से इन शरणार्थियों को चावल और अन्य खाद्य पदार्थ सप्लाई कर रही है और इसे अन्य देशों से जितनी भी सहायता प्राप्त होगी उससे पूरा किया जाएगा। अत: इसके लिए कोई समय सीमा जिसके अन्दर विदेशी सहायता भारत अवश्य पहुंच आएगी, बताई नहीं जा सकती है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लौह-अयस्क डिवीजन का हैदराबाद स्थानान्तरित किया जाना

*5582. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के निदेशक बोर्ड ने 17 अप्रेल, 1968 की अपनी बैठक में लौह अयस्क डिवीजन को हैदराबाद स्थानान्तरित करने का निर्णय किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और कुछ अन्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के मुख्यालयों के दिल्ली से अन्यत्र स्थानान्तरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

चण्डीगढ़ में निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों की हड़ताल

5583. **श्री अमर नाथ विद्यालंकार** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1970 में चंडीगढ़ में निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों ने हड़ताल कर दी थी और उनकी हड़ताल लगभग दो सप्ताह तक जारी रही थी;

(ख) क्या श्रम आयुक्त, चंडीगढ़ द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर हड़ताल समाप्त कर दी गई थी जिन्होंने श्रमिकों को आश्वासन दिया था कि उनकी मजूरी 6 महीने के भीतर बढ़ा दी जायेगी, यदि हां, तो उस आश्वासन को क्रियान्वित करने के बारे में श्रम विभाग ने कितनी प्रगति की है; और

(ग) क्या निर्माण कार्य करने वाले 2000 से अधिक श्रमिकों के लिये उचित आवास की कोई व्यवस्था नहीं है और आवास के लिये उन्हें ठेकेदारों के अधीन काम करना पड़ता है, और यदि हां, तो उन श्रमिकों के लिये उचित आवास की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

दिल्ली में कोयले की कमी पैदा करने वाले कोयला व्यापारी

5548. **श्री शशि भूषण : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन कोयला व्यापारियों की संख्या तथा नाम क्या है जिन पर दिल्ली में कोयले की कमी पैदा करने और दिल्ली के बाहर कोयले के माल डिब्बों को बेचकर अथवा समय पर माल डिब्बों से कोयला न उतरवा कर कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने के कारण मुकदमे चलाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में कोयले का मूल्य दुगना हो गया है; और

(ग) क्या दिल्ली में कोयले की कमी के लिये दिल्ली प्रशासन के कुछ अधिकारी भी जिम्मेदार हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनके विरूद्ध तथा कोयला व्यापारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) दिल्ली में किसी भी कोयला व्यापारी को कोयले की कमी उत्पन्न करने के लिए अभियोजित नही किया गया है ।

(ख) सरकार को इस बात का पता है की जनवरी, 1971 से मई, 1971 तक की कालावधि के दौरान सॉफ्ट कोक की दर 8 रुपए प्रति 40 किलोग्राम रही जबकि साधारणतया यह दर 7 रुपए प्रति 40 कि० ग्रा० होती है ।

(ग) जी, नहीं । दिल्ली में कोयले की कमी रेलवे द्वारा वैगनों की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की नियोजन क्षमता

5585. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की नियोजन क्षमता के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) श्रमिकों से अधिक और अच्छा काम करवाने के लिए कारीगर तथा गैरकारीगर श्रमिकों को क्या सुविधाएँ दी जायेंगी; और

(ग) इन सुविधाओं की व्यवस्था करने पर कितनी लागत आयेगी?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) परामर्शदाताओं से कहा गया है कि इस कारखाने के तकनीकी आर्थिक शक्यता प्रतिवेदन में श्रम शक्ति की आवश्यकता संबंधी एक अध्याय भी शामिल कर लें।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का विचार है कि कारखाने के कामगारों की कुशलता का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

(ग) ऐसी सुविधाओं को लगाने पर होने वाली लागत के संबंध में कुछ कहना समय पूर्व होगा क्योंकि अभी कारखाना योजनावस्था में ही है।

आसाम में भाण्डागार

5586. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों को रखने के लिये आसाम में भाण्डागारों की कमी है; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा आसाम में गोदामो कों किराये पर लेने के लिये प्रति वर्ष कितना किराया देना पड़ता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) फिलहाल भारतीय खाद्य निगम को असम में खाद्यान्नो के भण्डारण के लिए भाण्डागारों की कमी का कोई सामना नहीं करना पड़ रहा है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने किराये के गोदामों का निम्नलिखित किराया अदा किया था:–

1968–69	....	6,87,079.00 रुपये
1969–70		11,77,759.00 रुपये

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राज्यों को मुर्गी-चारे की सप्लाई

5587. **श्री देवेन्द्रसिंह गरचा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से यह शिकायत की है कि मुर्गी-चारे की अलाभप्रद अधिक लागत के कारण मुर्गी पालन कार्य का विकास रूक गया है;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उपोत्पादों से सस्ता चारा बनाने का एक तरीका निकाला है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राज्य सरकारों को इस चारे की सप्लाई करना आरम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो किन राज्य सरकारों को यह चारा सप्लाई किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। कृषि उपोत्पादों को प्रयोग करके सस्ता मुर्गीचारा बनाने के कई तरीके निकाले गये हैं।

(ग) परिषद चारा सप्लाई नहीं करती। फिर भी कुछ चारे के तरीके, जो लाभकर सिद्ध हुए हैं, जानकारी तथा प्रयोग के लिये समस्त राज्य सरकारों को परिचारित कर दिये गये हैं।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

अण्डे सेने की मशीन का निर्माण

5588. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17,500 अण्डो की क्षमता वाली अण्डे सेने की मशीन का देश में निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अण्डे सेने की इन मशीनों का निर्माण किन फर्मों में हो रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार--

(1) दयाल पोलट्री ऐपलायेन्सिज डब्ल्यू-जेड-16 लाजवन्ती गार्डन, न्यू जेल रोड, नई दिल्ली-46,

(2) प्रेम पोलट्री ऐपलायेन्सिज डब्ल्यू-जेड, 291 जी ब्लाक हरीनगर, जेल रोड, नई दिल्ली-18, और

(3) गुरदासपुर इन्जीनियरिंग वर्क्स, गुरदासपुर (पंजाब) इंक्यूवेटर बनाते है।

पशु पालन का विकास

5589. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पशु पालन के विकास के लिए सरकार के विचाराधीन कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). पशु पालन के विकास के सम्बन्ध में आजकल तीन नयी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं। इन योजनाओं का ब्यौरा इनके मुख्य लक्षणों सहित परिशिष्ट-१ में संलग्न है।

इनके अतिरिक्त, देश में पशु पालन के विकास के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा संस्वीकृत बहुत सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

विवरण

क्रम संख्या	योजना	चतुर्थ योजना में अनुमानित परिव्यय (रुपये लाखों में)	मुख्य लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	खुरपका और मुहपका वाइरस वैक्सीन प्रयोगशाला की स्थापना	86. 30	डेनमार्क की सरकार की सहायता से बंगलौर में इस *प्रयोगशाला का उद्देश्य, विदेशी पशुओं तथा उनसे संकरित संतति की रक्षा के लिए मुहपका और खुरपका वाइरस वैक्सीन का उत्पादन करना है । इस प्रयोगशाला को पूर्ण होने में दो वर्ष लगने की संभावना है और चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक बहुयुक्त वैक्सीन की 4 लाख मात्राओं के उत्पादन की आशा है, जिसके उपरान्त वार्षिक उत्पादन लगभग 8-10 लाख मात्राओं तक पहुंच जायेगा ।*
2.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में संकर ओसर बछड़ों का उत्पादन	15.00	योजना का उद्देश्य डेरी संयंत्रों के दुग्ध एकत्रण तथा अन्य क्षेत्रों में कृषकों को वितरित करने के लिए प्रति वर्ष 300 संकर ओसरों का उत्पादन करना है । इस योजना के अन्तर्गत देशीय पशुओं के प्रजनन के लिए विशिष्ट विदेशी सांडों के प्रशीतित वीर्य का आयात किया जायेगा । यह योजना राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल में चलाई जायेगी ।
3.	आयातित प्रशीतित वीर्य से संकर प्रजनन	25.00	दुग्ध एकत्रण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए देशीय पशुओं का विदेशी नसल के पशुओं के साथ संकरण का कार्य विशाल स्तर पर प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । प्रशीतित वीर्य तकनीक, जिन प्रगतिशील देशों में व्यापक रूप से काम में लाया जा रहा है, भारत में भी व्यापक रूप से अपनाया जायेगा । इस उद्देश्य से, चुनींदा क्षेत्रों में मार्गदर्शी आधार पर प्रशीतित वीर्य उत्पादन केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है । दुग्ध एकत्रण क्षेत्रों में उपयोग के उद्देश्य से राज्यों के वितरण के लिए इन केन्द्रों में प्रशीतित वीर्य का उत्पादन किया जायेगा ।
	कुल—	126.30	

* प्रयोगशाला की स्थापना का प्रस्ताव है ।

लन्दन और वाशिंगटन में सप्लाई मिशनों का बन्द किया जाना

5590. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लन्दन और वाशिंगटन स्थित सप्लाई मिशनों को बन्द करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के नीलामकर्ताओं को दिया गया कमीशन

5591. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-71 में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के केन्द्रीय क्षेत्र के नीलामकर्ताओं के कमीशन की वर्तमान दरें क्या हैं; और

(ख) अप्रैल, 1971 तक प्रत्येक नीलामकर्ता को प्रति मास कितना औसत कमीशन दिया गया ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) कमीशन की दरें निम्नलिखित हैं–

विक्रय-आय का पहले 25000 रु. के लिए	--	0.95 प्रतिशत
,, ,, 25001 रु. से 50000 रु.	--	0.65 प्रतिशत
,, ,, 50001 रु. से 1 लाख रु.	--	0.44 प्रतिशत
,, ,, 100001 रु. से 3 लाख रु.	--	0.24 प्रतिशत
,, ,, 3 लाख रुपये से ऊपर	--	0.20 प्रतिशत

कमीशन की ये दरें एक महीने के दौरान नीलामी बिक्री से हुई आय पर ली जाती हैं।

(ख) लगभग 1800 रुपये प्रतिमास।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में नीलामकर्ताओं की नियुक्ति के लिये पूर्वापेक्षाएं

5592. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **पूर्ति** मंत्री पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में नीलामकर्ताओं की नियुक्ति के लिए पूर्वापेक्षाओं के बारे में 1 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3574 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य मेसर्स सोमनाथ चड्ढा एण्ड कम्पनी, जालंधर, जो इस समय पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में नीलामकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा मेसर्स भारतद्वाज एण्ड कम्पनी, जालन्धर,

जो हाल ही तक पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में निलामकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित पांचो शर्तों को पूरा करते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इन मामलों में इन नियमों में ढील देने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Provision of Civil Amenities in E. S. I. Corporation Colony, New Delhi

5593. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether civic amenities like electricity and water have not so far been provided adequately in the quarters of the E. S. I. Corporation Colony in Basaidarpur, New Delhi, which were constructed 5 years ago and are being allotted to the employees of the Corporation since the second week of March, 1971; and

(b) if so, the reasons for allotting quarters to the employees without providing amenities like electricity and water in them and the time by which the said civic amenities would be provided there?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : The E. S. I. C. has furnished the following information:—

(a) Civic amenities have been adequately provided in these quarters.

(b) Does not arise.

मैसूर राज्य के कुर्ग जिले में एक गांव के 70 भूमिहीन निवासियों को बेदखली का भय

5595. **श्री समर मुकर्जी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसूर के सोमवारपेट तालुक, कुर्ग जिले के नेल्ली मुधीकेरी गांव के 70 से अधिक भूमिहीन निवासियों को उनके घरों से बेदखल किये जाने का भय है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने उन गरीब लोगों की बेदखली को रोकने और उनकी झोपड़ियों और भूमि पर उनके अधिकार बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार 164 व्यक्तियों को, जिन्होंने नेल्ली सुधी-केरी तथा तीन अन्य ग्रामों की सरकारी आरक्षित भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा किया हुआ था, नियमों के अनुसार बेदखल कर दिया गया था। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ये व्यक्ति नियमों के अनुसार आवंटन के पात्र नहीं थे, अतः उन्हें किसी प्रकार के अधिकार देना सम्भव नहीं होगा।

बम्बई में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चूहों द्वारा खाद्यान्नों का खराब किया जाना

5596. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मस्जिद बन्दर, डिमेलो रोड, सिवड़ी और बाड्ला, बम्बई स्थित बहुत से गोदामों में खाद्यान्नों के हजारों बोरों को चूहे खराब कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या डिमेलो रोड पर स्थित एक गोदाम में एक सप्ताह में 200 बोरे कटे हुए पाए गए थे; और

(ग) क्या चूहों द्वारा पहुंचाई गई हानि का हिसाब लगाने पर प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये से अधिक की हानि होती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) रुपयों के हिसाब से चूहों से हुई हानि के सम्बन्ध में कोई भी प्रामाणिक आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।

बंगला देश के शरणार्थियों पर खर्च वहन करने के लिये संसाधनों की सीमा

5597. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगा लिया है कि बंगला देश से आये अधिक से अधिक कितने शरणार्थियों को उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत शरण दी जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं। सरकार ने ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योग कारखानों को मूल्य अधिमान

5598. **श्री एस० एम० कृष्ण** :
श्री निहार लास्कर :
श्री जी० वेकंटस्वामी :

क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग कारखानों को प्रत्येक मामले में लागत-ब्यौरा प्रस्तुत करने का आग्रह किये बिना टेंडर के आधार पर ही उन्हें मूल्य अधिमान देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से देश के लघु उद्योग कारखानों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा ?

पूर्ति मन्त्री (श्री डी०आर० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) इस निर्णय से पहले, बहुत से मामलों में मूल्य-अधिमान नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि लघु एकक अपनी लागत का सूक्ष्म ब्यौरा देने में पूरी तरह समर्थ नहीं थे । इस नवीनतम निर्णय के परिणामस्वरूप, अलग अलग निविदाओं के आधार पर मूल्य-अधिमान न्यूनाधिक रूप से स्वाभाविक बन जाता है, और इससे लघु एककों के लिए रियायत से लाभ उठाना अधिक आसान बन जाएगा ।

गुजरात में उर्वरक उद्योग समूह

5599. **श्री सी० चित्तिबाबू :**
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री पी० गंगादेव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन और अमरीका से प्राप्त सहायता से गुजरात में उवर्रक उद्योग समह की स्थापना की जायेगी ; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) इफ्फको परियोजना के दो भाग हैं ; अमोनिया और यूरिया समूह कलोल में स्थापित किया जाना है और एन० पी० के० समूह काण्डला में । कलोल संयंत्र 300,300 मीटरी टन अमोनिया तैयार करेगा, जिसका अधिकांश भाग प्रति वर्ष 400,000 मीटरी टन यूरिया में परिवर्तित किया जाएगा । काण्डला में स्थित संयंत्र आयात किए गए फास्फोरिक अम्ल और पोटाश और कलोल से लाए गए अमोनिया से लगभग 400,000 मीटरी टन एन० पी० के० उर्वरक तैयार करेगा। कलोल संयंत्र के लिए कच्चा माल प्राकृतिक गैस है, जिसमें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कलोल और सनंद क्षेत्रों से दीर्घकालीन संविदा के अन्तर्गत सुलभ की गई 'फ्री' तथा 'एसोशियेटिड' गैस है।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 91.6 करोड़ रु० है, जिसमें से 27 करोड़ रु० ईक्विटी है । इस ईक्विटी में सहकारी समितियों और भारत सरकार की भागीदारी 1:2 के अनुपात में है। विदेशी मुद्रा का भाग (ऋण) 27.37 करोड़ रु० है, जिसमें से यू० एस० एड० ने 15.45 करोड़ रुपए देने स्वीकार किए हैं और 11.92 करोड़ रु० ब्रिटेन का ऋण होगा । शेष (रुपया ऋण) की पूर्ति सावधि ऋणदायी संस्थाओं के ऋणों से और भारत सरकार से सीधे ऋण लेकर की जानी है ।

निर्माण संविदा कर दिए गए हैं । सभी संयंत्रों–अमोनिया तथा यूरिया संयंत्र कलोल में और एन० पी० के० काण्डला में–को मार्च, 1974 में चालू करने का कार्यक्रम है ।

मध्य प्रदेश में रोजगार दफ्तरों में मलयालियों का रजिस्ट्रेशन न किया जाना

5600. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि रायपुर मध्य, प्रदेश में रह रहे मलयाली लोगों को रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज कराने की अनुमति इस आधार पर नहीं दी जाती है कि वे मध्य प्रदेश से बाहर के लोग हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिये केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले में राज्य सरकार को लिखा गया है ।

खराब ट्रैक्टरों के बारे में जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य द्वारा किये गये प्रोटोकोल करार की क्रियान्विति

5601. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** :
श्री सतपाल कपूर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य ने खराब आर० एस०–09 ट्रैक्टरों को वापस लेने के बारे में फरवरी 1971 में किये गये करार को किस हद तक क्रियान्वित किया है ; और

(ख) खराब पाये गये ट्रैक्टरों में से कितने ट्रैक्टरों को वापस भेजा गया है और शेष के बारे में प्रगति क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). आर० एस०–09 ट्रैक्टरों के विनिर्माताओं तथा आयातकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल समस्याओं पर, जो 21 फरवरी, 1971 को हस्ताक्षर किये गये नयाचार के कार्यान्वयन करते समय उत्पन्न हुई हैं, विचार-विमर्श करने तथा मौके पर निर्णय करने के लिये भारत पहुंचा। गुजरात में वापिस किये जाने वाले आर० एस०–09 ट्रैक्टरों का पहले ही निरीक्षण किया जा चुका है । राज्य कृषि-उद्योग निगम ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके द्वारा वापिस किये जाने वाले, आशोधित 84 आर० एस०–09 ट्रैक्टरों की लागत को पूरा करने के लिये पूर्वी जर्मनी के अधिकारियों से 7.50 लाख रुपये पहले ही प्राप्त हो गये हैं ।

राजस्थान राज्य कृषि-उद्योग निगम ने भी सूचित किया है कि 21 फरवरी, 1971 तक 52 आर० एस०–09 ट्रैक्टर आशोधित किये गये हैं। परन्तु केवल 24 किसानों ने अपने ट्रैक्टरों को वापिस करने का विचार किया है । इन ट्रैक्टरों का पहले ही निरीक्षण किया जा चुका है और ये पूर्वी जर्मनी के सम्भरणकर्ताओं के प्रतिनिधि को वापिस किये जा रहे हैं। किसानों को शीघ्र ही रुपये वापिस किये जाने की संभावना है । पूर्वी जर्मनी के सम्भरण कर्ताओं के प्रतिनिधि ने वापिस किये जाने वाले ट्रैक्टरों की लागत के अग्रिम धन के रूप में निगम को 84,401,78 रुपये का एक चेक भेजा

है और निगम से औपचारिक बिल प्राप्त होने पर शेष धनराशि शीघ्र ही भेजने का वायदा किया है।

इस समय यह प्रतिनिधि-मंडल पंजाब सहित अन्य राज्यों का दौरा कर रहा है और कुछ समय पश्चात् प्रगति का पता लगेगा ।

वीरभूम, पश्चिमी बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार जुटाने के लिये द्रुत कार्यक्रम

5602. **श्री गदाधर साहा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला वीरभूम के कौन-कौन से खण्ड विकास कार्यालयों में अप्रेल, 1671 से द्रुत कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक खण्ड विकास कार्यालय को कितनी-कितनी राशि दी गई और उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कितने बेरोजगार व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ; और

(ग) दैनिक मजदूरी की दर क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित करने के लिए वीरभूम जिले के बारे में अब तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुवे हैं। त्वरित योजना में प्रत्येक जिले में कम से कम 1,000 व्यक्तियों को प्रति वर्ष 10 महीनों के लिए ज्यादा से ज्यादा 100 रु० प्रति मास प्रति व्यक्ति की मजदूरी पर रोजगार देने की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक जिले के लिए स्वीकार राशि 12.50 लाख रुपये प्रति वर्ष है ।

दिल्ली से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम विभाग के कर्मचारियों का स्थानान्तर

5603. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम विभाग के अधीन कार्यालयों के बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो उपर्युक्त कार्यालयों में कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री संजीवैया ने इस आशय की घोषणा की थी कि जिन अधिकारियों ने तीन वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य कर लिया था उन्हें स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ; और

(ग) क्या उपर्युक्त घोषणा को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के खाडिलकर) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि यह बात सत्य नहीं है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बहुत से अधिकारी कई वर्षों से दिल्ली में कार्य कर रहे हैं । वास्तव में, ऐसा केवल एक ही अधिकारी है ।

श्रम विभाग के अधीन और कई कार्यालय हैं। जब तक विशेष कार्यालयों को विनिर्दिष्ट न किया जाए, उनके बारे में सूचना देना संभव नहीं है।

(ख) और (ग). भूतपूर्व श्रम मंत्री (श्री डी० संजीवैया) ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी। तथापि, भूतपूर्व मंत्री ने निदेश दिये थे कि विशेष स्थान पर 3 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर अधिकारियों को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। तथापि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सूचित किया है कि कुछ कठिनाइयों के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस निदेश का पूर्णतः पालन नहीं कर सका और यह कि निदेश को क्रियान्वित करने के लिए अब कार्यवाही की जा रही है।

मत्स्य बैंकों की क्षमता

5604. **श्री सी० जनार्दन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में पाये जाने वाले मत्स्य बैंकों के बारे में कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है ; और

(ख) क्या जापानी, रूसी तथा नार्वे की मछली पकड़ने वाली नौकाएं नियमित रूप से 'वाडगे और पैड्रो" बैंकों से मछलियां पकड़ती हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी शिन्दे) : (क) अब तक किये गये सर्वेक्षणों के अन्तर्गत अधिकांशतः तट के समीपवर्ती 80 फुट की गहराई वाली तलहटी की भूमि आवृत की गई है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में 450 मीटर की गहराई तक के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है। कुछ सुप्रसिद्ध मीन-हरण तट यथा, वैज और पैंड्रो तटों को भी इन सर्वेक्षणों में सम्मिलित कर लिया गया है। तट के साथ साथ लगे हुए इन तटीय क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों के विस्तृत नक्शे अभी पूरे नहीं किये गये हैं।

(ख) यह पता चला है कि रूस तथा जापान के जहाज हिन्द महासार में अगाध जल में मीन हरण कर रहे हैं। जापानी जहाजों द्वारा 'वेज तथा पैड्रो' किनारों के आस-पास मीन-हरण की कोई विशेष रिपोर्ट नहीं मिली है। परन्तु रूसी जहाजों को 'वैज' किनारे के क्षेत्र में मीन-हरण करते देखा गया है। इन तटीय प्रदेशों में नार्वे के जहाजों द्वारा मीन-हरण करने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

दोषपूर्ण आर० एस०–09 ट्रैक्टरों की बिक्री के लिये अनुमति

5605. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जर्मन जनवादी गणतंत्र सरकार को दोषी पाये गये उन ट्रैक्टरों को बेचने की अनुमति दे दी है जो कुछ समय पूर्व उन्होंने सप्लाई किये थे;

(ख) यदि हां, तो दोषी ट्रैक्टरों को किन शर्तों के अन्तर्गत बेचने की अनुमति दी गई है; और

(ग) क्या यह आदेश सरकार के इस आश्वासन के विपरीत है कि जर्मन जनवादी गणतंत्र के सभी दोषपूर्ण ट्रैक्टरों को जर्मन जनवादी गणतंत्र को वापस दे दिया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ग). भारत राज्य व्यापार निगम और पूर्वी जर्मनी के सप्लायरों में आर० एस०—09 ट्रैक्टरों के बारे में 21-2-71 को जिस नयाचार पर हस्ताक्षर किये हैं उसकी एक प्रती संलग्न है। नयाचार की धारा 7 और 8 में वे शर्तें दी हैं जिन के अधीन आशोधित आर० एस०—09 ट्रैक्टरों का फिर से बेचना माना गया है। अनाशोधित और न बेचे गये ट्रैक्टरों की वापसी के प्रश्न पर अभी बात-चीत की जा रही है।

विवरण

नयाचार

आशोधित आर० एस०—09 ट्रैक्टरों को वापिस लेने और परस्पर स्वीकृत निर्णय तक पहुंचने के लिये पूर्वी जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के साथ उनके पत्र दिनांक 24 दिसम्बर 1970 और 12 फरवरी, 1971 में निहित प्रस्तावों पर विचार करने हेतु एक बैठक आमंत्रित की गई।

दोनों ओर से काफी बातचीत और विचार विमर्श के बाद जिन बातों पर सहमति हुई वे निम्न प्रकार है :—

1. नयाचार पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख तक अशोधित ट्रैक्टरों को वापिस लिया जाएगा। इस तारीख के आशोधित किए गए ट्रैक्टरों को किसानों को दे दिया जाएगा और उन्हें 2-3 महीने तक ट्रैक्टरों को प्रयोग में लाने का एक अवसर दिया जायेगा। यदि ये ट्रैक्टर उपयुक्त नहीं पाये गये तो इन्हें भी आपस में तय की गई शर्तों के अनुसार वापिस ले लिया जाएगा।

2. इन ट्रैक्टरों को 8 प्रतिशत मूल्यह्रास काट कर बम्बई की बन्दरगाह पर आई लागत तथा किराये के आधार पर वापिस ले लिया जाएगा।

3. एक तकनीकी समिति बनाई जाएगी जिसमें पूर्वी जर्मनी के सप्लायरों तथा विनिर्माताओं खाद्य और कृषि मंत्रालय तथा संबंधित राज्य कृषि उद्योग निगमों के प्रतिनिधि होंगे। वे उन उपकरणों और/या आनुषंगिक उपस्करों की समस्त कमियों के तकनीकी पक्षों और मूल्य पर विचार करेंगे और केवल उपकरण के मूल कीमतों के आधार पर लागत तथा भाड़े मूल्य में से मूल्य ह्रास घटा दिया जायेगा। यदि तीव्र गति से चलने वाले पुर्जे, जो ट्रैक्टरों के साथ दिए गए थे, किसानों द्वारा उपयोग में लाए जा चुके हो तो उनको लौटाए जाने के प्रश्न पर जोर नहीं दिया जाएगा। उपसाधनों और अतिरिक्त पूर्जों की समस्याओं पर पूर्वी जर्मनी सप्लायरों और कृषि उद्योग निगमों के प्रतिनिधियों द्वारा विचार किया जाएगा। किन्तु 1200/— रुपये से अधिक मूल्य के मामले तकनीकी समीति को सौंपे जायेंगे।

4. इस नयाचार पर हस्ताक्षर करने के बाद कृषि उद्योग निगम वापिस किये जाने वाले ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में मैसर्ज ट्रांसपोर्ट मैसचीन को तीन महीनों के अन्दर ट्रैक्टरों के मीटर नम्बर, चैसिस नम्बर, जिले तथा राज्य का नाम जिसमें ट्रैक्टर चलाया जा रहा था, संशोधनों की तारीख, गारन्टी की अवधि में कृषि निगमों द्वारा तीन बार की गई निशुल्क सेवाई की तारीखे लिख कर भेजेंगे।

5. ट्रैक्टर वापिस करने से पहले, सम्बन्धित कृषि उद्योग निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास वापिस किए गए ट्रैक्टर का स्पष्ट अधिकार और स्वामित्व है ।

6. पूर्वी जर्मनी सप्लायर प्रत्येक राज्य में एक या दो एकत्रण केन्द्र नामजद करेंगे। सम्बन्धित कृषि उद्योग निगमों द्वारा ट्रैक्टर एकत्रण केन्द्रों को सौंप दिये जाएंगे और खर्च उनके द्वारा ही वहन किया जाएगा । उसके बाद यदि कोई भी खर्च हुआ तो वह पूर्वी जर्मनी के सप्लायरों द्वारा वहन किया जाएगा। क्षतिग्रस्त ट्रैक्टरों को वापिस नहीं लिया जाएगा । विवाद उठने पर मामले को तकनीकी समिति को सौंप दिया जाएगा ।

7. भारत में पूर्वी जर्मनी सप्लायरों की वितरण विक्रय संस्थाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर० एस०—09 ट्रैक्टरों की पुनः बिक्री की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जायें :—

(i) वितरण/विक्रय संस्था के बारे में राज्य व्यापार निगम/खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से पूर्वानुमति प्राप्त की जाएंगी ।

(ii) ट्रैक्टरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित मूल्य के अतिरिक्त पुर्जों को आयात करने में पूर्वी जर्मनी के सप्लायरों की सहायता की जाएगी ।

8. ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र बुदनी से जहां पर ट्रैक्टर पहले ही परीक्षाधीन है परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद बेचे जाने वाले ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में, ट्रैक्टर विनिर्माताओं के प्रतिनिधियों और प्रशिक्षण केन्द्र के निदेशक की आपसी सहमति के अनुसार आर० एस०— 09 ट्रैक्टर में आगे और परिवर्तन किए जा सकेंगे ।

कृते राज्य व्यापार निगम

हस्ताक्षर——मेजर जनरल एस० पी० वोहरा
21-7-1

कृते ट्रांसपोर्ट	ट्रैक्टरन वर्क
मेसचीनन वलिन	स्कोनवेक
ह० कोवतजयक	ह० कोहल

पारादीप पत्तन के निकट मछली पकड़ने के बन्दरगाह का निर्माण

5606. **श्री निहार लास्कर** :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पारादीप पत्तन के निकट मछली पकड़ने के एक बन्दरगाह के निर्माण की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होगी :

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख). भारत सरकार ने सितम्बर, 1970 में पारादीप पत्तन न्यास को, पत्तन में एक मीन बन्दरगाह की स्थापना के सम्बन्ध में जांच पड़ताल तथा माडल सर्वेक्षण करने और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये 50,000 रुपये की राशि संस्वीकृत की है। परियोजना रिपोर्ट में, जिसे अभितक पत्तन न्यास द्वारा अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, बन्दरगाह की अनुमानित लागत का भी उल्लेख होगा। परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही, बन्दरगाह की संस्वीकृति के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

ग्रामीण रोजगार संबंधी द्रुत कार्यक्रम में बेरोजगार मैट्रिक पास व्यक्तियों का ग्रामीण प्राथमिक स्कूलो में अध्यापकों के रूप में सम्मिलित किया जाना

5607. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम में भारी संख्या में मैट्रिक पास व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों के प्रारम्भिक स्कूलों में अध्यापक के रूप में नियुक्त करने की व्यवस्था है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : जी नहीं।

Agreement with Japan for Agricultural Development in India

5608. **Dr. Laxminarayan Pandey** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether an agreement was concluded between India and Japan on the 19th August, 1970 in regard to the agricultural development in India ; and

(b) if so, the main features thereof and the names of the places where agricultural development programmes were undertaken under the said agreement indicating the nature of each of the said programmes?

The Minister of labour and rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar) : (a) and (b). Yes, Sir. An Agreement was concluded on the 19th August, 1970, by the Government of India with the Government of Japan for agricultural development in the Paralkote Zone of the Dandakaranya Project. The main features of the development programme to be undertaken in pursuance of this Agreement are:—

(i) Setting up of a model block for intensive agricultural and community development ;

(ii) Improvement of the Main Canal systems and provision of upland irrigation facilities;

(iii) Land consolidation and improvement;

(iv) Guidance and demonstration on the use of agricultural techniques and machinery;

(v) Training of farmers and extension/technical personnel.

According to the report on work done up to March, 1971, the programme was limited to laying out a number of experiments and trials on important Rabi crops, *i. e.*, paddy and vegetables in the Mixed Farm at Paralkote. Land consolidation in 23 acres and field bunds in 10 acres were completed in the Mixed Farm during this period.

त्रिपुरा में बंगला देश के शरणार्थियों के लिए औषधियां तथा दूध

5609. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा सरकार को बंगला देश के शरणार्थियों के लिये विभिन्न भागों की रेडक्रास सोसायटियों से औषधियां और दूध की कितनी मात्रा प्राप्त हुई है; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है कि ये वास्तविक शरणार्थियों को मिले ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 13 जुलाई 1971 तक त्रिपुरा सरकार ने नीचे दी गई मात्रा में रेडक्रास से दूध प्राप्त किया है :—

(i) रेडक्रास सोसायटी त्रिपुरा, राज्य शाखा	22 पैकेट
(ii) भारतीय रेडक्रास सोसायटी	300 बोरियां

(ख) इसे शिविरों में रह रहे पंजीकृत शरणार्थियों को निर्धारित मात्रा के अनुसार, शरणार्थी शिविरों के कार्यभारी अधिकारियों द्वारा वितरित किया जाता है।

सामान भारतीय रेडक्रास द्वारा प्राप्त किया जाता है और शरणार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है या उसकी निजी एजेन्सियों के माध्यम से वितरित किया जाता है।

पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिए सहायता कार्य में लगे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण/फोर्स

5610. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों के सहायता कार्य में लगे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों/फोर्सों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या अमरीकी शान्ति सेना (पीस फोर्स) भी कोई अंशदान कर रही है;

(ग) उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य का स्वरूप क्या है; और

(घ) क्या वे अपना कार्य सरकारी अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कर रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल-स्तर के लिये भूमि में प्रायोगिक छिद्रण कार्य

5611. **श्री बी० एन० पी० सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के लम्बे समय से सूखाग्रस्त चले आ रहे क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर का पता लगाने के लिये भूमि में प्रायोगिक छिद्रण कार्य किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। इस मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमिगत जल मंडल ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, जालौन तथा हमीरपुर जिलों में परीरक्षण बोरिंग किये जो कि भूगर्भ जल की विद्यमानता का निर्धारण करने के लिये सूखे से प्रभावित क्षेत्र ज्ञात किये गये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

मैसूर में सहकारी समितियों से ऋण की वसूली

5612. **श्री के० लकप्पा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों तथा संस्थाओं से उनकी ओर बकाया भू-राजस्व और अन्य ऋण वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां तो सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन के पश्चात् समाज के कमजोर वर्गों की किस प्रकार सहायता करेगी ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

काजू के पेड़ों को काटे जाने से रोकना

5613. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय काजू परिकरण उद्योग की आयातित कच्चे काजू पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने काजू के पेड़ों को इमारती लकड़ी के लिये काटे जाने को रोकने की आवश्यकता पर विचार किया है ;

(ख) क्या सरकार को इसका पता है कि काजू की कितनी लकड़ी का प्रति वर्ष (1) इंधन के रूप में तथा (2) पेकिंग केस बनाने के रूप में प्रयोग होता है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी लकड़ी जलाई जाती है तथा कितनी लकड़ी पेकिंग केस बनाने के काम आती है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। सरकार ने इमारती लकड़ी के लिए काजू के पेड़ों को काटने की रोकथाम के प्रश्न पर विचार ही नहीं किया हैं, क्योंकि

यह कटाई अत्यन्त ही सिमित मात्रा में है और अधिकांशतः उन्हीं अलाभकर तथा पुराने वृक्षों को काटा जाता है जो फलोत्पादक अवस्था पार कर चुके हैं।

(ख) पता लगा है कि काजू के पेड़ की लकड़ी को इंधन तथा पेकिंग बक्सों के निमाने में प्रयोग करने के लिए काटा जाता है।

(ग) पेकिंग बक्सों के निर्माण तथा इंधन के लिये कितनी काजू लकड़ी का उपयोग किया जाता है, इस विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

आर० एस० –09 ट्रेक्टरों के बारे में जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के साथ किये गये करार के बारे में राज्य कृषि उद्योग निगमों के विचार

5614. **श्री नन्द कुमार सांघी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य कृषि उद्योग निगमों ने, जिनके द्वारा जी० डी० आर० के ट्रेक्टर बेंचे गये थे, खराब आर० एस०–09 ट्रेक्टरों की वापसी के लिये जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ किये गये करार की शर्तों के बारे में अप्रसन्नता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो करार की शर्तें क्या हैं, और राज्य कृषि उद्योग निगमों द्वारा कौनसी शर्तों पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). शोधित आर० एस०–09 ट्रेक्टरों की वापसी के बारे में सहमत होते समय विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों ने भी इच्छा व्यक्त की थी कि अशोधित ट्रेक्टर, 21-2-71 के बाद शोधित ट्रेक्टर अनबेचे और कैनिबलाइज्ड ट्रेक्टर, उपकरण टायर और ट्यूबें और अतिरिक्त कल पुर्जे वापस किये जायें। एक उच्च स्तरीय बैठक 8-6-71 को प्रोटोकल की शर्तों के इस संदर्भ में समीक्षा के लिये की गई। यह माना गया कि परियोजना और उपकरण निगम उपरोक्त मामलों के बारे में बात-चीत करे और पूर्वी जर्मनी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर उपरोक्त प्रोटोकोल की कार्य अवधि का भी तीन महीने के लिए विस्तार करें। यह भी माना गया कि सब शर्तों की पूर्ति के पश्चात् जर्मन सम्भरकों के लिए निगमों की अदायगी के हेतु दो तीन महीने की अवधी निर्धारित की जाये। परियोजना और उपकरण निगम विभिन्न मामलों पर पूर्वी जर्मनी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रही है और अन्तिम परिणाम की प्रतीक्षा है।

भूमि की काश्त के लिये वर्गदार अधिकार की सुरक्षा के लिये केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों को राज्य सरकार पर लागू किया जाना

5615. **श्री गदाधर साहा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को अपनी भूमि की काश्त के लिये वर्गदार अधिकार की सुरक्षा के प्रश्न पर केन्द्रीय भूमि सुधार समिति और केन्द्र सरकार की सिफारिश को लागू करने के लिए निदेश जारी किये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : पश्चिम बंगाल में बरगदारों के अधिकारों को नियमित करने वाले कानून को राष्ट्रपति के अधिनियम द्वारा 1971 में संशोधित किया गया

था। अतः केन्द्रीय भूमि सुधार समिति द्वारा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को किसी प्रकार का निदेश देने का प्रश्न ही नहीं होता। राष्ट्रपति के अधिनियम द्वारा निम्न उपबन्धों की व्यवस्था की गई हैं–

(1) भूमि के न्यूनतम क्षेत्र के संबंध में प्रत्येक वरगदार को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(2) वरगदार के अधिकारों को पैतृक बनाना।

(3) जहां वरगदार हल, बेल, तथा अन्य आदानों की अपूर्ति करते हों वहां उत्पादन में वरगदार का अश 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना।

(4) वागचस अधिकारियों के निर्णयों के विरूद्ध अपील के मामलों को मुन्सिफ की अदालतों से उप-मंडल अधिकारियों को हस्तांतरित करना।

"बरगदार" शब्द में बटाईदार भी सम्मिलित हैं जिन्हें कि प्रायः "किसानी" के नाम से जाना जाता है। अभ्यर्पण तथा परित्याग को नियमित कर वरगदारों की जबरन बेदखली को रोकने के लिये भी उपबन्ध बना दिये गये हैं। वर्तमान में वरगदारो द्वारा जिस भूमि पर खेती की जा रही हो, उस पर भू-स्वामियों को कृषि करने की अनुमति नहीं दी जाती बशर्ते कि अधिनियम में इस प्रकार का कोई उपबन्ध न हो, यदि किसी मामले में कोई बरगदार कृषि के अपने अधिकार को अभ्यर्पित अथवा उसका परित्याग करता है तो ऐसी भूमि पर दूसरे ऐसे भूमिहीन कृषक द्वारा कृषि की जायेगी, जो कि पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम के अधीन भूमि वितरण का अधिकारी हो।

पुनर्वास उद्योग निगम सम्पदा, बोन हुगली, कलकत्ता का बन्द होना

5616. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री का ध्यान पुनर्वास उद्योग निगम सम्पदा, बोन हुगली, कलकत्ता के बन्द होने की ओर दिलाया गया है; यदि हां, तो उसके बन्द होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या प्रधान मंत्री को पुनर्वास उद्योग निगम कर्मचारी संध की ओर से इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन या विरोध पत्र मिला है; और

(ग) यदि हां, तो पुनर्वास उद्योग निगम सम्पदा को पुनः खोलने और शांति स्थापित करने तथा कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). पुनर्वास उद्योग निगम कर्मचारी सघ से 11-6-71 को प्रधान मंत्री को एक पत्र मिला था। जिसमें यह कहा गया था कि पुनर्वास उद्योग निगम की औद्योगिक सम्पदा, बोन हुगली निरन्तर समाज विरोधी क्रिया कलापों के फलस्वरूप वस्तुतः बन्द हो चुका है। उपचार संबंधी उपायों के लिए यह मामला पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव के ध्यान में लाया गया था। निगम के प्रबन्ध निदेशक और अध्यक्ष ने भी पश्चिम बंगाल सरकार के संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया। निगम से छान-बीन करने पर यह पता चला है कि औद्योगिक सम्पदा बन्द नहीं हुई है। यद्यपि वहां कानून और व्यवस्था संबंधी स्थिति बहुत बिगड़ गई है।

हिमाचल प्रदेश में भूमि सुधार

5617. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में दो प्रकार के भूमि सुधार अधिनियम लागू हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका औचित्य क्या है ; और

(ग) उक्त अधिनियम कब तक लागू रहेंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). भूमि सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश में तीन विभिन्न प्रकार के कानून हैं : (1) बड़ी भूमि वाली सम्पन्न और भूमि सुधार अधिनियम, 1953 जो कि हिमाचल प्रदेश के पुराने क्षेत्रों में लागू होता है, (2) पेप्स पट्टेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1955 जो कि भूतपूर्व पेप्सू के क्षेत्रों में लागू होता है ; और (3) पंजाब भूमि सुरक्षा पट्टा अधिनियम, 1953 जो कि शेष क्षेत्रों में लागू होता है। राज्य सरकार ने सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए एक एकीकृत कानून बनाने के बारे में सुझाव देने की दृष्टि से इन तीन अधिनियमों की जांच-पड़ताल के लिए एक भूमि सुधार समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। राज्य सरकार एक समान कानून बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जब तक कि एक एकीकृत कानून नहीं बन जाता मौजूदा अधिनियम लागू रहेंगे।

ग्रामीण तथा नगरीय रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम लागू करने की गुंजाइश

5618. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाँवों में रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम लागू होने के परिणामस्वरूप कितने बेरोजगार ग्रामवासियों को तुरन्त रोजगार के अवसर मिलने की सम्भावना है ; और

(ख) क्या नगरों में रोजगार के लिये भी ऐसे ही कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) ग्राम रोजगार की त्वरित योजना में प्रत्येक जिले में 1,000 व्यक्तियों को वर्ष भर में 10 महीनों के लिए ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये प्रतिमास प्रति श्रमिक की मजदूरी पर रोजगार देने की परिकल्पना की गई है। वास्तव में कितने लोगों को रोजगार मिला है, इस बात का पता राज्य सरकारों से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में प्रगति प्रतिवेदनों के प्राप्त होने के पश्चात ही लगेगा।

(ख) जी नहीं।

लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों का उत्पादन

5619. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों का वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ख) इन उत्पादों को किस प्रकार से बेचा जा रहा है ;

(ग) इन मदों से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जा रही है ; और

(घ) देश में खनिज उद्योग की मुख्य समस्याएं क्या हैं और सरकार का विचार उनको किस प्रकार हल करने का है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) लौह अयस्क और अन्य महत्वपूर्ण खनिज जिनका भारत से निर्यात किया जाता है, के उत्पादन के आंकड़े संलग्न सारणी में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 715/71]

(ख) सारणी में उल्लखित खनिजों का निर्यात के अतिरिक्त स्वदेशीय उद्योगों में उपभोग किया जाता है । 1969 और 1970 के लिए इन खनिजों के निर्यात को मात्रा और मूल्य सलग्न सारिणी में दिया गया है । आंतरिक उपभोग के आंकड़े केवल 1969 वर्ष के लिए उपलब्ध हैं जिनको सारणी में उपदर्शित किया गया है ।

(ग) 1970 के दौरान में संलग्न सारणी में दिए गए महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात का कुल मूल्य 187 करोड़ था। जबकि 1969 के दौरान में यह 152 करोड़ रुपए था । तथापि, 1970 के दौरान में देश से निर्यात किए गए समस्त खनिजों का कुल मूल्य 201 करोड़ रुपये था जबकि 1969 के दौरान में यह 169 करोड़ रुपए था ।

(घ) खनिज उद्योग की समस्याएं विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित है। स्थूलत: इन समस्याओं में समवूनेषण, खनन, परिष्करण, परिवहन, लागत, पत्तन, विपणन और उपयोजना सम्मिलित है । भारतीय खनिज उद्योग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक समस्या कम वित्तीय साधनों और तकनीकी जानकारी से युक्त व्यक्तियों द्वारा संक्रियाशील अनेक छोटी खानों की विद्यमानता है । इसकी परिणति अव्यवस्थित खनन, पद्धतियाँ, विपणन आदि के लिए पर्याप्त खनिज समन्वेषण और खनिजों की तैयारी की कमी में हुई । इस प्रकार के खान स्वामियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय खान ब्यूरो का गठन किया गया है। भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा किए गए खानों के नियमित निरीक्षण और क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक अध्ययन किए जाने के अतिरिक्त ब्यूरो ने हाल ही में एक परामर्शदार्त्र; एकक की स्थापना की है जो खान मालिकों को समन्वेषण, उपलभ्य राशियों के प्राक्कलन, खान योजनाओं के बनाने, खानों के डिजायन, परिष्करण आदि से संबंधित समस्याओं के बारे में बिना लाभ हानि के आधार पर सहायता प्रदान कर रहा है । विभिन्न खनिजों के निम्न श्रेणी अयस्क के बारे में परिष्करण अध्ययनों को संवर्धित करने की दृष्टि से भारतीय खाद्य ब्यूरो परिष्करण परीक्षण कार्य के लिए दो क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं और एक अतिरिक्त प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना कर रहा है। परिष्करण अथवा अयस्कों की समस्याओं का राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अन्य क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में भी अध्ययन किया जा रहा है ।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार खनन क्षेत्रों में पहुंच मार्गों के सन्निमार्ग के लिए नई रेलवे लाइन के सन्निमार्ग एवं अधिक अयस्क परिवहन करने वाले वाहनों के लिए भराई दरों में वृद्धि और घाट आदि की सुविधाओं जैसी पत्तन सुविधाओं के विकास पर अपेक्षित अग्रताएं दे रही हैं ।

क्योंकि खनिज उद्योगों की समस्याएं अनेकानेक हैं और प्रत्येक खनिज की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं जो कि उनके प्राप्ति-स्थल, खनन, विपणन आदि से संबंधित हैं, अत: सरकार समय-समय पर इन समस्याओं का अध्ययन करने और उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञीय विज्ञता से युक्त समितियों को नियुक्त करती है ।

जहां तक भूवैज्ञानिक समन्वेषण का सम्बन्ध है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने विशेषत: अलौह धातु खनिजों के लिए अपनी समन्वेषण संक्रियाओं को और गतिशील बना दिया है ।

उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आयातित ट्रैक्टरों की कमी

5620. **श्री रामसहाय पांडे :**
श्री एस० डी० सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश को अपने किसानों को, जिससे कि वे अपने खेतों में अधिक उपज कर सकें, सप्लाई करने के लिये आयातित ट्रैक्टरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने आयातित ट्रैक्टरों के बारे में सभी राज्यों की आवश्यकताओं का पता लगाया है और उनके आयात के लिये कोई प्रबन्ध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). 1969–70 में ट्रैक्टरों की मांग 83,000 निर्धारित की गई थी । ट्रैक्टरों के देशी उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धि को दृष्टि में रखते हुए, 35,000 ट्रैक्टरों को आयात करने का निर्णय किया गया था । इनमें से, 34,000 ट्रैक्टरों के आयात के लिये संविदाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है और शेष ट्रैक्टरों के लिये विचार विमर्श किया जा रहा है। वर्ष 1970–71 के आयात कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

Acreage of land distributed to Scheduled Castes/Tribes of Madhya Pradesh

5621. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the acreage of land distributed among the people of Scheduled Castes/Tribes of Madhya Pradesh during the First and Third Five Year Plans; and

(b) the acreage of land reserved for distribution among the Scheduled Castes/Tribes people during the current Five Year Plan?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b). Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Ban on Merciless on the Slaughter of Cattle

5622. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to ban merciless slaughter of cattle; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) The Government of India appointed on 29th June, 1967, a Committee on Cow Protection under the Chairmanship of a retired Chief Justice of India. The Committee will go into the question of cow protection in the light of the proposals of the Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti and others on the subject, including the one for total ban on the slaughter of cow and its progeny and recommend to Government for consideration appropriate practical steps for the protection of cows, calves, bulls and bullocks, after having considered the matter in all its aspects, namely, constitutional, legal, economic and other relevant aspects. The Committee will also suggest ways and means for the effective implementation of the provisions of Article 48 of the Constitution and give full consideration to any suggestion that the Constitution be amended to bring about a total ban on the slaughter of cow and its progeny. The Committee has not yet submitted its report to the Government. The term of office of the Committee has been extended upto 31st March, 1972.

बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये स्वीड्न सरकार द्वारा मक्खन, बटर, आयल और दूग्धचूर्ण की पेशकश

5623. **श्री हरि सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन सरकार ने बंगला देश से भारत में आये शरणार्थियों के लिये कई टन मक्खन, बटर, आयल और दूग्ध-चूर्ण देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मक्खन, बटर आयल और दूग्ध-चूर्ण भारत कब तक पहुंच जायेगा?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को राहत देने के लिये स्वीडन की सरकार ने 45 लाख डालर के स्वीडिश अंशदान का वचन दिया है; इन वस्तुओं के लिये कोई विशेष पेशकश नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश के जिला बुलन्दशहर में, दादरी में स्थित सहकारी आधार पर एक चीनी का कारखाना खोलना

5624. **श्री हरि सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश स्थित दादरी की एक सहकारी समिति ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि सहकारी आधार पर चीनी मिल चलाने के लिये लाइसेन्स दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो लाइसेन्स जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) मई, 1961 में दादरी, जिला बुलन्द-शहर, उत्तर प्रदेश में एक सहकारी चीनी कारखाना स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये एक आवेदन-पत्र मिला था। यह आवेदन-पत्र अब रद्द कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्नों के मूल्यों में कमी और कृषि उत्पादकों को उचित मूल्य

5625. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे भारत में भारी वर्षा के कारण खाद्यान्नों के मूल्यों में कमी और पूंजी-निवेष की स्थिति को विषम बनाने वाली राजनीतिक अस्थिरता के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या कृषि उत्पादकों को उचित मूल्य देने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खाद्यान्नों के मूल्यों में हाल ही में आयी गिरावट मुख्यतः खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण है।

(ख) सरकार पहले ही अधिप्राप्ति मूल्यों पर भारी साहाय्य मूल्य देकर खरीदारी कर रही है जो कि उत्पादकों के लिये लाभकारी है।

बीरभूम, पश्चिम बंगाल में रोजगार कार्यालय में नामों का पंजीकरण

5626. **श्री गदाधर साहा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में ऐसे शिक्षित और अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है जिन्होंने बीरभूम के रोजगार कार्यालय में 1970 से अब तक अपना नाम दर्ज कराया है; और

(ख) अब तक पंजीकृत कराये हुए ऐसे शिक्षित और अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है जिनको रोजगार प्राप्त करने में श्रेणी-वार सहायता मिली है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(क) और (ख).

विवरण

काम चाहने वालों का वर्ग	1 जनवरी, 1970 से 30 जून, 1971 तक पंजीकृत होने वालों की संख्या	1 जनवरी, 1970 से 30 जून, 1971 तक हुई नियुक्तियों की संख्या
1	2	3
1– अशिक्षित (अनपढ़ों समेत मेट्रिक से कम)	9,038	3,232
2– शिक्षित (मेट्रिक और इससे अधिक)*	7,341	20
जोड़	16,379	3,252

* आंकड़े प्रत्येक वर्ष 30 जून, और 31 दिसम्बर, के अन्त में अर्ध-वार्षिक अन्तराल पर एकत्रित किये जाते है ।

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में चावल तथा गेहूँ की अपर्याप्त सप्लाई के कारण राशन की दुकानों का बन्द होना

5627. **श्री गदाधर साहा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चावल और गेहूं के अपर्याप्त आवंटन तथा अपर्याप्त सप्लाई और कम वसूली के कारण पश्चिम बंगाल के वीरभूम बर्दवान तथा अन्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की प्राधिकृत दुकानें बन्द हो गयी हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि राहत कार्यों तथा राशन कार्डों के आधार पर उचित दर पर खाद्य वस्तुयें बेचने वाली राशन की बन्द प्राधिकृत दुकानों को खुलवाने के लिए चावल तथा गेहूं का अतिरिक्त आवंटन किया जाय; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

शोपहरों (केश्यू एप्पिल) का उत्पादन तथा खपत

5628 **श्री सी० जनार्दनन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1970-71 में शोप-हरों (केश्यू एपिल) का अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ख) भोजन के रूप में इन फलों की कितनी मात्रा की खपत होने का अनुमान है;

(ग) कितनी मात्रा में शोफहर (कैश्यु एपिल) परिष्कृत किये जाते हैं अथवा सुरक्षित रखे जाते हैं; और

(घ) क्या भारत में शोफहरों (कैश्युज एप्पिल्स) के उपयोग से किसी पेय पदार्थ अथवा सिडन का निर्माण किया जाता है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) लगभग 6,00,000 मीटरी टन।

(ख) तथा (ग). हरे काजू की खपत, उसका परिसंस्करण अथवा परिरक्षण बहुत ही थोड़ी मात्रा में किया जाता है ।

(घ) जी हां । हरे काजू का उपयोग गोवा में "फेनी" नामक एक शराब के निर्माण में किया जाता है ।

बीड़ी उद्योग में कर्मचारी भविष्य निधी योजना लागू करना

5629. **श्री माधुर्य्य हालदर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीड़ी उद्योग को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत लाने की मांग पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर निर्णय कब लिया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). सम्बंधित पक्षों से परामर्श के साथ मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

राज्यों में उर्वरकों की खपत

5630. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 की तुलना में वर्ष 1970-71 में उर्वरकों की राज्य-वार खपत कितनी है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) वर्ष 1970-71 के दौरान वर्ष 1969-70 की उसी अवधी की तुलना में उर्वरकों (पोषकों के रूप में) की राज्यवार खपत को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 716/71]

(ख) यद्यपि 1969-70 की तुलना में 1970-71 के दौरान क्षेत्र में उर्वरकों की खपत बढ़ी है, तथापी कुछ राज्यों में उर्वरकों की खपत में कमी हुई है या केवल थोड़ी सी वृद्धि हुई है। सरकार ने इन राज्यों में खपत में वृद्धि की कम दर के कारणों का अध्ययन किया है । खपत के इस कम स्तर के निम्नलिखित मुख्य कारण पाये गये हैं :–

(1) कुछ राज्यों में तेज आन्दी और बाड़ जैसे प्राकृतिक कारण।

(2) उर्वरकों के वितरण तथा प्रयोग के लिए ऋण की उपलब्धता में कठिनाइयां होना।

(3) उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए विस्तार तथा प्रोन्नति विषयक प्रयत्नों में अन्तर होना।

सरकार इस समस्या से अवगत है और इन राज्यों के उर्वरक की खपत को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। उन्होंने हाल ही में एक ऋण ग्यारंटी निगम स्थापित किया है ताकि वाणिज्यिक बैंकों को कृषकों तथा उर्वरकों के विक्रेताओं को और अधिक ऋण सुविधायें प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। राज्य सरकारों से भी यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि वे सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को बड़ी मात्रा में उत्पादन ऋण उपलब्ध करें। भारत सरकार भी राज्यों को उर्वरकों के भण्डारण तथा वितरण के लिए छोटी अवधी के ऋण देना जारी रख रही है। लाईसेन्सिंग पद्धति के स्थान पर पंजीकरण की सरल तथा शीघ्र-पद्धति अपनाकर वितरण प्रणाली को उदार बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उर्वरक पूल उन विभिन्न राज्यों में समीकरण भण्डार बना रही है जिनमें वितरण प्रणाली ठीक नहीं है और परिवहन अवस्थापना कमजोर है। पूल ने सरकारी संस्थाओं, जिला परिषदों और गैर-सरकारी विक्रेताओं को सीधी सप्लाई करके वितरण प्रबन्ध को भी उदार बना दिया है:

जहां तक विस्तार का सम्बन्ध है, उर्वरक की खपत को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करने वाली दो महत्वपूर्ण योजनायें चल रही हैं। अर्थात् (क) राष्ट्रीय प्रनुर्धानि और (ख) कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनके अन्तर्गत उर्वरकों के अनुकूल तथा सन्तुलित प्रयोग सहित आधुनिक तकनौलोजी कृषकों तक पहुंचाना शामिल है। इन्हें बढ़ाना होगा। सरकार उर्वरकों के सन्तुलित प्रयोग को बढ़ाने के लिए एक सामूहिक और प्रभावकारी अभियान की एक योजना पर भी विचार कर रही है। इससे राज्य सरकारों और विनिर्माताओं को प्रौन्नति के उपयों में सहायता मिलेगी।

बंगला देश से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आगमन में वृद्धि

5632. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री निहार लास्कर :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 जून, 1971 को बंगला देश के लगभग 50,000 शरणार्थी बेनगांव से लगभग 21 किलोमीटर दूर बेयाना पहुंचे थे;

(ख) क्या शरणार्थियों के आगमन में पुनः वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो 20 जून से अब तक कितने शरणार्थी यहां पहुचे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खडिलकर) : (क) जी, नहीं

(ख) पिछली 24 जून से शरणार्थियों के आगमण की दर में वृद्धि नहीं हुई:

(ग) 20 जून से मध्य जुलाई, 1971 की अवधि के अन्तर्गत, बोनगाँव उप-मण्डल में 1,25,979 निष्क्रान्त आए हैं ।

Production of Coal in Coal Mines

5633. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the total number of coal mines in the country at present;

(b) the number of workers in those mines;

(c) the total production of coal in the country during 1968-69; 1969-70 and 1970-71; and

(d) the estimated production of coal in the country during 1971-72 ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah nawaz Khan): (a) About 773 (as per the report of the Director General of Mines Safety).

(b) About 3,71,300 (average daily employment during 1970).

(c) The production of coal was as under :—

(i)	1968-69	71.40 million tonnes.
(ii)	1969-70	75.71 million tonnes.
(iii)	1970-71	70.75 million tonnes (Provisional)

(d) About 66 million tonnes.

Strikes and Man-days lost in Central Industrial Establishments in West Bengal and Uttar Pradesh

5634. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the total number of strikes resorted to by the employees and workers of Central Industrial Establishments located in West Bengal and Uttar Pradesh from 1st January, 1968 to date State-wise; and

(b) the number of man-days lost and the extent of loss suffered by the public sector industries as a result thereof during the above period State-wise?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House after it is received.

Fall in production of Durgapur Steel Plant

5635. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Steel and Mines be pleased to state** :

(a) whether the production in Durgapur Steel Plant has fallen during March and April, 1971 as compared to that in January, 1971;

(b) if so, the reasons therefor, and

(c) the action proposed to be taken by Government to ensure that production does not fall in the said plant?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes, Sir. Production of ingot steel was 58,100 tonnes in March 1971 and 60,500 tonnes in April 1971 as compared to 74,800 tonnes in January 1971.

(b) A series of work stoppages in Feb.' 1971, (*e.g.* strike in the Blast Furnace from Feb. 8-14, 1971, sudden strike in the Coke Ovens on 19.2.71, Bengal Bandh on 22.2.71, 24—hours tool down strike on 24.2.71) compelled the management to keep the production during the first 3 weeks of March regulated in such a manner that unpredictable situations did not adversely affect the plant's vital machinery and equipment. Breakdown of the Hammer Mill and Bangal Bandh on 31.3.71 added to the loss in production. Production during April, 1971 was affected by frequent gas restrictions, work-to-rule movement in the Coal handling plant and a tool down strike on the 23rd April 1971.

(c) Every effort is being made to improve Industrial relations holding of bi-partite discussions between the management and the Unions, revision of incentive schemes, setting up of Grievance Committees etc.

Reported Bungling by Officers of F. C. I. in Procurement of Wheat

5636. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Prabodh Chandra :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that some officers of the F.C.I. intentionally declare the wheat brought by farmers for sale of inferior quality and thus harass them and are indulging in large scale bungling in the procurement of wheat ;

(b) the reasons for not taking any action against the officers inspite of the facts stated above;

(c) whether Government would make arrangements for the inspection of wheat procured by the F. C. I. in Uttar Pradesh and Bihar and also enquire into the matter as to how bungling is being indulged in and farmers are being harassed; and

(d) if so, by what time?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b). Some complaints to this effect have been received and action has been taken to investigate these as soon as they were received.

(c) and (d). The local officers of the F. C. I. apply the usual quality checks at the time of purchase of wheat in the mandis. The wheat so purchased is further counter checked by the senior officers of the Quality Control division of the F. C. I. and samples of the wheat are also subject to check through analysis in the laboratories of the Corporation. In addition, since the number of complaints of difficulties at the mandis was largest in Uttar Pradesh, an arrangement was made by which the District Magistrates were authorised to have local Committees and to give a decision on the spot with regard to the quality of the grain. In view of these arrangements and the super check exercised by the higher technical officers of the Corporation, and the analysis of the laboratory, it is not considered necessary to make any further special arrangements for the inspection of the wheat that has been procured.

बुलन्द शहर में स्कूलों, कालिजों तथा निजी गोदामों में गेहूं का रखा जाना

5637. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बुलन्द शहर में रेल माल डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण गहूं के चार लाख बोरे स्कूलों; कालिजों तथा निजी गोदामों में रखे गये थे; और

(ख) यदि हां तो उसकी इस समय क्या स्थिति है ?

कृषी मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) बुलन्द शहर की मंडियों में गेहूं की अभूतपूर्व भारी आमद होने के कारण और बाद में रेल द्वारा गेहूं भेजने में कठिनाइयां होने के फलस्वरूप अधिप्राप्ति के साथ-साथ प्रेषण संबंधी कार्य नहीं हो सका और भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं के स्टाक को निम्नलिखित स्थानों पर बुलन्दरशहर (खास) में अस्थायी तौर से रख दिया था :—

1. स्कूल और कालेजों में	4,000 मी० टन
2. राज्य भाण्डागार निगम के गोदामों में	5,000 मी० टन
3. खुले में डनेज पर बने और पोलीथीन की चादरों से ढ़क कर भण्डारण	1,861 मी० टन
4. प्राइवेट रूप से किराये पर लिए गये गोदामों में	8,000 मी० टन
जोड़ :	13,861 मी० टन

(ख) स्कूलों और कालेजों में रखे गेहूं के सारे स्टाक को अब वहां से उठा लिया गया है। तथापी, खुल्ले में रखे गेहूं के स्टाक को प्राथमिकता के आधार पर उठा दिया जाएगा और ढ़के गोदामों में भेजा जाएगा।

कर्मचारी राज्य बिमा निगम के अन्तर्गत अस्पतालों का निर्माण

5638. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अधिक अस्पतालों का निर्माण करेगा;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अपस्तालों की संख्या कितनी है; और

(ग) ये अस्पताल किन-किन स्थानों पर निर्मित किए जएंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): कर्मचारी राजकीय बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) जी नहीं

(ख) छः

(ग) निगम ने योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर नये कर्मचारी राजकीय बीमा अस्पतालों का निर्माण करना स्वीकार किया है :–

क्रमांक	राज्य	स्थान
1.	मैसूर	मंगलौर
2.	मैसूर	हुबली
3.	पांड़िचेरी	पांड़िचेरी
4.	पश्चिम बंगाल	मानिकटोल्ला
5.	पश्चिम बंगाल	कन्यापुर-आसनसोल
6.	उड़ीसा	कंसबहल

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में इस्पात की उत्पादन लागत

5639. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्तर्गत सभी इस्पात कारखानों में उत्पादित इस्पात की उत्पादन लागत, उत्पादन में वृद्धि होने के कारण कम हो जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो यह कमी कितनी होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख). सामान्यतया उत्पादन में वृद्धि होने से यूनिट उत्पादन लागत में कमी हो जानी चाहिए क्योंकि निश्चित खर्च उत्पादन के अधिक परिमाण पर फैल जाता है बशर्ते कि लागत के तत्वों में कोई तदनुरुपी वृद्धि न हों। हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधीन इस्पात कारखानों के बारे में 1970–71 की तुलना में 1971–72 में कच्चे माल, सामान, और फालतू पुर्जों के मूल्यों तथा रेल भाड़े और उत्पादन-शुल्क आदि में वृद्धि होने की संभावना है। अक्तूबर 1970 में हुए वेतन समझौते का प्रभाव भी 1971–72 के सारे वर्ष पर पड़ेगा। अतः गत वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में इन कारखानों की इस्पात की उत्पादन लागत में परिवर्तन इन बातों के प्रभाव तथा वास्तविक उत्पादन पर निर्भर करेगी।

मानवीय उपयोग के लिये उपयुक्त खाद्यान्नों की बिक्री हेतु अपनाई गई प्रक्रिया

5640. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो खाद्यान्न मानवीय उपभोग के लिये अनुपयुक्त पाये जाते हैं; सरकार ने उनकी बिक्री के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई है;

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्ष वार, बेंचे गये इस प्रकार के खाद्यान्नों की मात्रा कितनी कितनी है; और

(ग) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिये कोई व्यवस्था है कि मानवीय उपयोग के लिये अनुपयुक्त क्षतिग्रस्त खाद्यान्न सुधार करके बाजार में लाया जाय और यदि हां, तो इसके लिये अपनाई जाने वाली वर्तमान प्रक्रिया क्या है और इस सम्बन्ध में भविष्य के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जो खाद्यान्न मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है उसे या तो नष्ट कर दिया जाता है अथवा ठेका भाव के माध्यम से राज्य सरकारों को बेच दिया जाता है या राज्य सरकारों/उनके नामितों को सीधा बेच दिया जाता है अथवा ऐसे खाद्यान्नों का विशेष प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के लिए केवल पंजीकृत पार्टियों को टेंडर इन्क्वाइरी के माध्यम से बेचा जाता है ।

(ख)	1969	12 013 मी० टन
	1970	12,658 मी० टन
	1971 (मई तक)	4,722 मी० टन

(ग) राज्य सरकारों अथवा उनके नामितों को बिक्री के बारे में किसी प्रकार का कदाचार न होने देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है । जब अन्य पंजीकृत पार्टियों को बिक्री की जाती है, तब ऐसी बिक्री की सूचना संबंधित स्थानीय नगर पालिका और अन्य राज्य सरकार के प्राधिकारियों को दी जाती है ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके ।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों द्वारा अधिक उपज देने वाली मिलेट की किस्म तथा उसकी खेती के बारे में अनुसंधान

5641. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीब आदिवासी किसान अपने खेतों पर कब तक अधिक उपज देने वाले मिलेट की खेती करने में समर्थ होंगे; और

(ख) मध्य प्रदेश के वर्षाग्रस्त नरम भूमि वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अधिक उपज देने वाले "मिलेट" की किस्म पर हो रहा अनुसंधान कार्य किस अवस्था में है ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) तथा (ख). राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अन्तर्गत कोयला खानों के लिए मजदूरों की नियुक्ति

5642. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है सिंगरौली और भोखा में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही कोयला खानों में स्थानीय लोगों को भर्ती नहीं किया जाता और सामान्यत: काम को पूरा करने के लिए बाहर के लोगों को वरीयता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है जिससे स्थानीय बेरोजगार लोगों को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में काम मिल सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) यह सही नहीं है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा संचालित सिंगरौली में कोयला खानों में स्थानीय व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जाता है और साधारणतया बाह्य श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है । मोखा नाम से कोई ऐसा क्षेत्र विदित नहीं है जहां राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयले की खान है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते हैं ।

कृषि मन्त्रालय के अंतर्गत समितियां

5643. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन बनाई गई विभिन्न समितियों के नाम और कृत्य क्या हैं;

(ख) क्या इन समितियों में गैर-सरकारी व्यक्ति भी है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक समिति में काम कर रहे ऐसे व्यक्तियों की संख्या उनके नाम तथा कृत्य क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कृषकों की कठिनाइयों पर परामर्श देने हेतु कृषि आयोग में संसद सदस्यों की नियुक्ति

5644. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषकों की कठिनाइयों पर परामर्श देने के लिये सरकार ने तीन संसद सदस्यों की राष्ट्रीय कृषि आयोग में नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो उन संसद सदस्यों के नाम क्या है और आयोग के कृत्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) तथा (ख). वर्तमान में, संसद के तीन सदस्य राष्ट्रीय कृषि आयोग के अंश-कालिक सदस्य है । इनके नाम निम्न प्रकार हैः—

1. श्री एम० वी० कृष्णप्पा, सदस्य, लोक सभा ।
2. डा० जेड० ए० अहमद, सदस्य, राज्य सभा ।
3. सरदार जोगेन्द्र सिंह, सदस्य, राज्य सभा ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग को अपने विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत भारत की वर्तमान कृषि प्रगति की जांच करने के साथ साथ लोगों के कल्याण और सम्पन्नता की बढ़ोतरी की दृष्टि से कृषि के सुधार तथा आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में सिफारिशें प्रस्तुत करना है।

धनबाद कोयला क्षेत्र में स्थित कोयला खानों द्वारा कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यरूप दिया जाना

5645. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में धनबाद कोयला क्षेत्र में स्थित अनेक कोयला खानों के कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यरूप नहीं दिया गया था;

(ख) यदि हां तो ऐसी कोयला खानों के नाम क्या हैं जिन्होंने कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यरूप नहीं दिया था; और

(ग) कोयला खानों को कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यरूप देने हेतु बाध्य करने के किए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). धनवाद क्षेत्र में काम करने वाली 417 कोयला खानों में से 73 कोयला-खानों (जिनकी सूची संलग्न है) ने मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 717/71.] शेष कोयला-खानों ने सिफारिशों को या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया है।

(ख) ये सिफारिशें कानूनन लागू नहीं होती। इसलिए अनुनय और सलाह द्वारा इन की कार्यान्विति कराने के लिए प्रयास जारी है। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे केवल उन्हीं कोयला-खानों से कोयला खरीदें जो यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्होंने मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है।

त्रिपुरा में लोहे की नालीदार चादरों की बिक्री

5646. **श्री दशरथ देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में प्राधिकृत एजेन्टों द्वारा लोहे की नालीदार चादरें प्रति बंडल 340 रुपये से 360 रुपये की दर पर बेची जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लोहे की नालीदार चादरों का प्रति बंडल कितना फुटकर मूल्य निर्धारित किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) और (ख). प्रश्न नहीं उठता क्योंकि 23 अप्रैल 1967 से सभी प्रकार के इस्पात पर से मूल्य और वितरण संबंधी कानूनी नियंत्रण हटा लिया गया था और पहले की कंट्रोल्ड और रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट नियुक्त करने की

प्रथा को खत्म कर दिया गया था। अतः सरकार द्वारा निश्चित न तो कोई खुदरा मूल्य (रिटेल प्राइस) है और न ही कोई प्राधिकृत एजेन्ट अथवा स्टाकिस्ट ही है।

त्रिपुरा में रूई की खेती

5647. **श्री दशरथ देव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 में त्रिपुरा में कितनी रूई पैदा हुई;

(ख) क्या त्रिपुरा में रुई की पैदावार घट रही है अथवा बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या त्रिपुरा में झूमिया आदिवासियों को वित्तीय सहायता देकर रुई के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने की सरकार की कोई योजना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) त्रिपुरा प्रशासन द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार कपास के उत्पादन का अनुमान 2.2 हजार गांठें लगाया गया है।

(ख) और (ग). त्रिपुरा में वर्ष 1967–68 से कपास का उत्पादन लगभग वही रहा है यद्यपि इससे पूर्व कमी की प्रवृति रही है।

(घ) त्रिपुरा में कृषकों के लाभ के लिए कपास की खेती की उन्नत पद्धतियों के प्रदर्शन के लिए एक कपास विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है। आदिवासी कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी कृषकों द्वारा कपास की खेती के लिए कपास के बीजों और अन्य आदानों का निःशुल्क वितरण भी किया गया है।

त्रिपुरा में भूमिहीनों की सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहायता

5648. **श्री दशरथ देव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में भूमिहीनों की सहकारी समितियों को सरकार से कोई सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा की सहकारी समितियों के माध्यम से अब तक कुल कितनी राशि वितरित की गई है; और

(ग) कितनी समितियों को अब तक सहायता प्राप्त हुई?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग). त्रिपुरा प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

कोलार गोल्ड माइन्स अन्डरटेकिंग मेडिकल एम्पलाईज एसोसियेशन का पंजीकरण रद्द करना

5649. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार गोल्ड माइन्स अन्डरटेकिंग मेडिकल एम्पलाईज एसोसियेशन चैम्पियन रीफ० के० जी० फ० (मैसूर) का पंजीकरण भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम की धारा 28 का पालन न करने के कारण रद्द कर दिया गया था ;

(ख) क्या कतिपय राजनीतिक दलों के अनुरोध पर उक्त यूनियन को मान्यता दे दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) राज्य सरकार के अनुसार, एसोसियेशन का पंजीकरण अभी रद्द नहीं किया गया है।

(ख) कोलार गोल्ड माइनिंग अंडरटेकिंग मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एम्पलाइज एसोसियेशन को, अनुशासन संहिता के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, 24 फरवरी, 1965 को, मान्यता दी गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि अनुसंधान में की गई प्रगति

5650. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विश्वविद्यालयों ने कृषि अनुसंधान में कितनी प्रगति की है; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम और उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) . भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित फसल तथा पशु विज्ञान समन्वित परियोजनाओं में कृषि विश्वविद्यालय प्रमुख साझीदार है। इन अधिकांश विश्वविद्यालयों में राज्य-विस्तृत अनुसंधान के कारण वे क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपने उत्तरदायित्व प्रभावी रूप से निभा रहे हैं। कृषि अनुसंधान में इन विश्वविद्यालयों द्वारा की गई प्रगति संतोषजनक है। कुछ विश्वविद्यालयों के उपलब्ध महत्वपूर्ण अनुसंधान परिणाम नीचे निस्तार में दिये गये हैं :—

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना

(i) अधिक उत्पादनशील संकर बाजरा नं० 1 का विकास

(ii) जल्दी पकने वाली जी.-65 मूंग की किस्म का विकास, जो 65 दिनों में पक जाती है।

(iii) गन्ने की 3 अधिक उत्पादनशील किस्म, अर्थात् सी० ओ० जे० 58 (जल्दी पकने वाली), को. 975 तथा को. 1158 को निर्मुक्त करना।

(iv) एक 'सेल्फ रैंकिंग ट्रेक्टर ड्रोन रीपर' का विकास किया गया है।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

(i) दो अधिक उत्पादनशील कपास की किस्में, अर्थात् अमरीकन जे.–34 तथा देसी 'जी –27' का विकास किया गया।

(ii) एक जल्दी पकने वाली अधिक उत्पादनशील ग्वार चारा फसल एफ० एस०–277 निर्मुक्त की गई।

(iii) पाइका के उपचार की एक लाभकारी पद्धति का विकास किया गया है, जो केमल की पुरानी बीमारी है।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर

(i) अधिक लाइसिन तत्व वाली मक्का की किस्म का विकास किया गया।

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा एक सोयाबीन पौद–रोपक का विकास किया गया।

(iii) जिंक की कमी के कारण तराई क्षेत्र में धान के अमितव्ययी विकास का पता लगाया गया था।

(iv) विश्वविद्यालय ने गेहूं का भूसा, मौलेसेस तथा यूरिया का प्रयोग कर पशुओं के खाद्य के पूरे रखा-रखाव का विकास किया।

उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय)

(i) चिकनी तोरी तथा काशीफल की दो अधिक उत्पादनशील किस्मों, अर्थात् 'राजस्थान प्रोलिफिक' तथा 'राजस्थान एरली' का क्रमशः विकास किया गया।

जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

असिंचित क्षे के लिये नर्वदा-4 नामक एक लम्बी गेहूं की किस्म का विकास किया गया।

कृषि-विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर

(i) विश्वविद्यालय द्वारा खेती के लिये सुमा तथा कुसम की, जो वि: आई० आर० –8 धान की सुधरी हुई किस्में हैं, सिफारिश की गई है;

(ii) राज्य में बारानी खेती के क्षेत्रों के लिये रबी ज्वार 5–4–1 की एक नई किस्म का विकास किया गया है।

उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय तथा तकनौलोजी, भुवनेश्वर

विश्वविद्यालय द्वारा अच्छी किस्म के अनाजों की 'जगन्नाथ' नामक चावल की एक नई अधिक उत्पादनशील किस्म का विकास किया गया है ।

राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार

एक नई जल्दी पकने वाली मुंग की अधिक उत्पादनशील किस्म का विकास किया गया है ।

दिल्ली स्थित किंगजवे कैम्प में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना

5651. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली स्थित किंग्जवे कैम्प क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की एक योजना तैयार की है;

(ख) यह योजना किस तारीख को तैयार की गई;

(ग) कितनी राशि मंजूर की गई;

(घ) क्या यह योजना क्रियान्विति के लिये दिल्ली नगर निगम को भेजी गई थी, और यदि हां, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) इस योजना को शीघ्रता से कार्यरूप देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ङ). किंग्जवे बस्ती के पुनर्विकास और (क) बैरकों में रह रहे 700 विस्थापित परिवारों के लिये आवास की व्यवस्था और (ख) भूतपूर्व पुनर्वास मंत्रालय द्वारा एलाट किए गए मकानों में रह रहे 2700 परिवारों को आवंटित करने के लिये भूमि के पुनर्विकास की एक योजना दिल्ली नगर निगम द्वारा मंजूर की गई थी ।

14-8-1962 को भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये 190 लाख रुपये तक का ऋण अनुमोदित किया गया था। दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार, 700 मकानों के निर्माण और आवंटन का कार्य पूरा हो चुका है । 1454 प्लाटों का विकास करके उनका आवंटन कर दिया गया है । 146 प्लाटों का विकास और आवंटन शीघ्र पूरा हो जाने वाला है ।

जैसे ही वे परिवार, जिन्हें 1600 प्लाटों का एलाटमेंट कर दिया गया है या शीघ्र ही कर दिया जायेगा, अपने आवंटित प्लाटों पर चले जाएंगे, शेष 1100 प्लाटों का विकास किया जाएगा । एलाटियों को जाने के लिए एक वर्ष की समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है ।

Allocations for development works in Madhya Pradesh Districts

5652. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether some specific Districts of Madhya Pradesh have been selected for development works and if so, their name and other details;

(b) the amount specially allocated for each district and the manner in which the amount is proposed to be spent; and

(c) tne criterial adopted for selection of districts and allocation of amounts for them?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) 4 districts of Madhya Pradesh, namely, Jhabua, Dhar, Sidhi and Betul have been selected for implementation of Rural Works Programme for chronically drought affected areas of the country.

(b) Each selected district will get an allocation of nearly Rs. 2 crores over the 4 year period from 1970-71 to 73-74. Under the programme labour intensive and productive schemes, such as minor irrigation, soil conservation, afforestation and road building will be taken up. The following outlays were approved for different schemes during 1970-71 for the three selected districts of Madhya Pradesh.

(Rs. in lakhs)

Programme

District	Minor Irrigation	Nistar tank	Pasture Dev. & affore-station	Roads	Total
Jhabua	4.75	1.33	3.04	0.95	10.07
Dhar	4.05	1.05	2.00	0.50	7.60
Sidhi	2.00	—	—	1.00	3.00
	10.80	2.38	5.04	2.45	20.67

The project report for Betul district is awaited.

(c) The basis of slection of Rural Works Programme districts, which are the hard core of the drought affected areas, is their proneness to drought, as determined on objective criteria like pattern and incidence of rainfall, frequency and extent of occurrence of drought, percentage of irrigated area to the total cropped area in the district and other relevant factors.

Damage to Cotton Crop in Hoshangabad and East Nimar Districts of M. P. due to rains, Insects and plant disease

5653. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land in Madhya Pradesh, particularly in East Nimar and Hoshangabad Districts, where cotton crops have been adversely affected due to heavy rains, insects and plant diseases;

(b) whether Government have taken any measures to provide assistance to the farmers in the affected areas; and

(c) if so, the nature of assistance given or proposed to be given and the amount thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :

(a) The State Government have reported that there has not been any serious damage due to heavy rains and outbreak of pests and diseases on cotton crops this year in the districts of East Nimar and Hoshangabad or elsewhere in the state.

(b) and (c). Does not arise. However, last year, the State Government reported outbreak of epidemic on cotton crop in the districts of Khandwa, Khargone and Dhar. The information about this has already been furnished in reply to the Unstarred Question No. 1873 answered in the Lok Sabha on the 10th June, 1971.

पंजाब में विकसित गेहूं की नई किस्म को लोकप्रिय बनाना

5654. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित गेहूं की नई किस्म के बीज को किसानों में किस प्रकार लोकप्रिय बनाने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वी क्षेत्र के चावल उगाने वाले क्षेत्रों में उर्वरकों की खपत में कमी

5655. **डा० रानेन सेन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल उगाने वाले क्षेत्रों में विशेषकर देश के पूर्वी क्षेत्र में उर्वरकों की खपत चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य से बहुत अधिक कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चावल उगाने वाले क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में उर्वरकों की खपत को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चावल उगाने वाले क्षेत्रों में विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में उर्वरक की खपत चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों अर्थात् 1969-70 और 1970-71 में निर्धारित प्रचालन लक्ष्यों से सामान्य तौर पर कम रही है ।

(ख) उर्वरक की लक्ष्य से कम खपत होने के निम्नलिखित कारण हैं:—

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों की लक्ष्यांकित खपत के एक बड़े भाग का अनुमान अधिक उत्पादनशील किस्मों की फसलों के कारण लगाया गया था क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में उर्वरकों

की खपत होती है । चूंकि देश में चावल के उत्पादन में अभी काफी वृध्दि होनी है, अतः मुख्यतः चावल उत्पादक क्षेत्रों में उर्वरकों की खपत लक्ष्य से कम रही है ।

(2) पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों में वितरण प्रणाली और विशेषकर सहकारी संरचना काफी कमजोर है ।

(3) असम जैसे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का अभाव ।

(4) पर्याप्त ऋण का अभाव ।

(5) विस्तार प्रयत्नों में अन्तराल ।

(ग) चावल उत्पादक क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वी क्षेत्रों में उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदम, निम्न प्रकार हैं:—

1. देश के विभिन्न भागों के लिये उपयुक्त अधिक उत्पादनशील उर्वरक-प्रभावी धान के बीजों के विकास के लिये अनुसंधान कार्य जारी है । हाल ही में 9 ऐसी नयी किस्में निर्मुक्त की गई हैं जिनसे पता लगता है कि देश चावल तकनोलोजी में सफलता के कगार पर खड़ा है । आशा है इस सफलता के परिणाम-स्वरूप, चावल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी और उत्पादक क्षेत्रों में उर्वरकों की खपत भी बढ़ जाएगी ।

2. सरकार नागालैण्ड, मेघालय, असम तथा संघ राज्य क्षेत्र त्रिपुरा में पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रो में उर्वरकों के परिवहन के लिये उपदान देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

3. केन्द्रीय उर्वरक पूल उन कुछ राज्यों में जिनमें वितरण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है उर्वरकों का समीकरण भण्डार रख रही है ।

4. सरकार ने देश के समस्त भागों में ऋण की उपलब्धि में वृद्धि तथा वितरण की व्यवस्था के लिये कदम उठाए हैं । राज्य सरकारों को उर्वरक पूल से लिये गये मूल्य के 1/6 भाग तक अल्पावधि ऋण प्रदान किये जाते हैं । हाल ही में एक ऋण गारंटी निगम की स्थापना की गई है, जोकि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषकों को दिये जाने वाले, प्रत्येक मामले में, 1,000 रुपये तक के ऋणों तथा उर्वरक विक्रेताओं को दिये जाने वाले 2 लाख रुपये तक के ऋणों के लिये जोखिम उठायेगा ।

5. उर्वरकों के वितरण के लिये लाइसेंसिंग पद्धति को उदार बना दिया गया है, जिससे कि फुटकर विक्रेता केन्द्रों की संख्या बढ़ सके और देश के आन्तरिक क्षेत्रों में जहां उर्वरकों का संतोषजनक प्रयोग नहीं हो रहा है, कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके । राज्य सरकारों से डिपुओं की स्थिति का अध्ययन करने तथा आन्तरिक क्षेत्रों में फुटकर डिपो खोलने के लिये कदम उठाने का अनुरोध किया गया है ।

6. कई अनेक जिलों में राष्ट्रीय प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है और उर्वरकों के उपयोग की वृध्दि के लिये कृषकों के समस्त क्षेत्रों में शिक्षण हेतु कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक तीव्र बनाया गया है ।

पंजाब में चिकोंग की खेती

5656. **डा० रानेन सेन** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब की मिट्टी चिकोंग की खेती के लिये बहुत उपयुक्त पाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब में चिकोंग की खेती को बढ़ावा देने के लिये सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल की कोयला खानों पर बकाया रायल्टी

5657. **डा० रानेन सेन : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की कोयला खानों ने राज्य सरकार को 10.19 करोड़ रुपये बकाया रायल्टी के रूप में देने है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी कोयला खानों से बकाया राशि लेने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) 31–3–1971 को पश्चिम बंगाल में कोयला खानों से देय स्वामित्व की राशि 10.97 करोड़ रुपये थी । इसमें बिहार में भूमि सुधार (अ० भा० रि० 1967–उ० न्या० 887) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में पश्चिम-बंगाल सरकार द्वारा दावा की गई लगभग 11 करोड़ रुपये स्वामित्व के बकाए की राशि सम्मिलित नहीं है ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार या तो सौहार्द-पूर्ण तरीके से अथवा पश्चिम बंगाल लोक मांग वसूली अधिनियम के अधीन प्रमाण पत्र पद्धति द्वारा स्वामित्व-देय की वसूली के लिए प्रयास कर रही है ।

स्थायी मजूरी बोर्ड

5658. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि मजूरी मान नियत करने वाली व्यवस्था के युक्तिकरण तथा उसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मजूरी बोर्डों के लिये कोई कानून बनाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). अब तक चालू मजदूरी बोर्ड की प्रणाली में परिवर्तनों के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर सरकार

विचार कर रही है। इसमें मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के सांविधिक प्रवर्तन का प्रश्न भी शामिल है।

बोकारो इस्पात लि० के अन्तर्गत लौह अयस्क खान

5659. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच बोकारो इस्पात संयंत्र के अधिकार क्षेत्र में एक लौह अयस्क खान रखने की मांग पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख). लौह अयस्क की एक आरक्षित खान के बारे में बोकारो के प्रबन्धकवर्ग द्वारा किए गए प्रस्ताव का सूक्ष्मता से अध्ययन करने की आवश्यकता है और सरकार अभी इस पर विचार कर रही है। 3 जून 1971 को लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 242 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को देखते हुए सरकार जैसे ही इस बारे में निर्णय लेगी उसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।

Assessment of Iron Requirements for Manufacture of Agricultural Implements

5660. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government have assessed the requirement of iron used in the manufacture of agricultural implements needed by the farmers in the country;

(b) if so, the quantity thereof;

(c) whether Government have any scheme under consideration to supply iron at concessional rates; and

(d) if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b). The estimate of demand made by a Steering Group, set up by the Ministry of Steel and Heavy Engineering, including the requirement for agricultural implements, for 1971-72 was 60.5 lakh tonnes. The group, however, did not make any separate estimate of the requirements of Steel for manufacture of agricultural implements.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

बेरोजगार शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण

5661. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 29 जून, 1971 तक देश में बेरोजगार शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों का पता लगाने के बारे में राज्यवार सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिये क्रियान्वित की जाने वाली योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना से कितने व्यक्तियों को लाभ होगा; और

(घ) अन्य व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने हेतु क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). इस प्रकार का कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है । फिर भी सरकार बड़े पैमाने पर नियुक्ति अवसर जुटाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है । इस सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या 970 दिनांक 7–7–1971 के भाग (क), (ख), (ग) और (घ) के उत्तर में सभा पटल पर रखे विवरण की ओर ध्यान आर्कषित किया जाता है ।

आर० एस०–09 ट्रेक्टरों के लिए फालतू पुर्जों का आयात

5662. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर० एस०–09 ट्रेक्टरों के कितनी राशि के फालतू पुर्जों का आयात किया गया तथा क्या इन फालतू पुर्जों का आयात करने से पहले विभिन्न कृषि उद्योग निगमों से अपनी आवश्यकता बताने को कहा गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इन फालतू पुर्जों को वापिस करने के सम्बन्ध में जर्मन लोक-तंत्रात्मक गणराज्य के अधिकारियों से बातचीत की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 21, 19,081 रुपये के मूल्य के अतिरिक्त कल पुर्जे आयात किये गये । ट्रेक्टर के साथ साधारणतः 10 प्रतिशत तक की सीमा के अतिरिक्त कलपुर्जों के आयात की मंजूरी दी जाती है । तथापि जहां ट्रेक्टरों का प्रथम बार प्रयोग आरम्भ किया जाता है वहां 15 प्रतिशत तक के मूल्य के अतिरिक्त कल-पुर्जों के आयात की मंजूरी दी जाती है । कृषि उद्योग निगमें अपेक्षित कलपुर्जों की मात्रा की सूचियां बनाती हैं और महानिदेशक तकनीकी विकास की मंजूरी के पश्चात् राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातों का प्रबन्ध किया जाता है ।

(ख) इन कलपुर्जों की वापसी के लिये बातचीत चल रही है ।

केरल में बेरोजगारी

5663. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल प्रदेश युवक कांग्रेस ने केरल राज्य में बेरोजगारी के बारे में जून, 1971 में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन पेश किया था;

(ख) क्या इस बारे में कोई समिति स्थापित की गई है और उसने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) केरल सरकार ने राज्य में बेरोजगारी के सभी पहलुओं का अध्ययन करने और इसे दूर करने के तत्काल प्रभाव रखने वाले उपाय सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। केरल सरकार द्वारा इस समिति की रिपोर्ट योजना आयोग में विचार करने के लिये भेजी गई थी। समिति द्वारा प्रकट तथ्यों में से मुख्य ये हैं कि केरल में काफी बेरोजगारी और अपूर्ण-रोजगारी है तथा इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिये उपाय किये जाने चाहिये। रिपोर्ट में कृषि (रु० 37 करोड़), मछली उद्योग (रु० 58 करोड़), उद्योग (रु० 81 करोड़) और अन्य (रु० 10 करोड़) के क्षेत्र में कार्यक्रमों के लिए कुल 186 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव सुझाये गये हैं। इस रिपोर्ट की प्राथमिक जांच करने के बाद इन प्रस्तावों को लागू करने की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिये त्रिवेन्द्रम में मई, 1971 में योजना आयोग व केन्द्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों की राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की गई थी। इस प्रकार के विचार-विनिमय को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न मंत्रालयों के विचार-विमर्श से योजना आयोग में इन प्रस्तावों की और आगे जांच की जा रही है।

1970-71 में बेरोजगारी के बारे में लगाया गया अनुमान

5664. **श्री रामचन्द्र कडनापल्ली** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 में देश में बेरोजगारी का कोई अनुमान लगाया गया है, यदि हां, तो राज्यवार क्या अनुमान है; और

(ख) इस मामले में राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है तथा इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने राज्यों को क्या सहायता दी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). विश्वासनीय आंकड़ों की कमी के कारण अनुमान नहीं लगाये गये हैं। योजना द्वारा प्रो० एम० एल० दान्तवाला की की अध्यक्षता में स्थापित बेरोजगारी के अनुमानों पर विशेषज्ञों की एक समिति ने और आगे अध्ययन की आवश्यकता पर बल देते हुए कई सिफारिशें की हैं। इन सिफारशों को अपनाने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, सभी पहलुओं से बेरोजगारी का अनुमान लगाने तथा इसे दूर करने के उपायों को सुझाने के लिए, सरकार ने श्री० ब० भागवती, स० वि० प०, आसाम, की अध्यक्षता में एक और विशेषज्ञों की समिति की स्थापना की है। समिति का कार्य अभी जारी है।

Influx of refugees from East Bengal

5665. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of displaced persons who crossed over to India from East Bengal after Partition upto March, 1971 and thereafter to-date separately;

(c) the action taken and proposed to be taken to solve this problem ?

The Minister of Labour and rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a)

	(Persons in lakhs)
(i) Old migrants upto December, 1963.	41.79
(ii) New migrants from 1.1.1964 to 25.3.1971.	11.14
(iii) Refugees entered States of West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura and Bihar from last week of March, 1971 to 15.7.1971.	70.21
	123.14

(b) A sum of Rs. 351.74 crores has been incurred up to March, 1971 on the relief and rehabilitation of old and new migrants from East Pakistan. This figure is based on actuals up to 31.3.70 and revised estimates for 1970-71.

A sum of Rs. 25.24 crores has been sanctioned as "on account" advance to the State Government, for relief operations to about 47 lakhs refugees from East Pakistan who sought admission in camps. In addition a sum of Rs. 1.05 crores has been sanctioned for construction of Central Relief Camps. This however, does not account for the entire expenditure.

(c) The problem of rehabilitation of old migrants from East Pakistan and the new migrants who came between 1964 and 1969 has, by and large, been completed except for some residuary problem in West Bengal.

About 42,000 new migrant families from East Pakistan have so far been rehabilitated. The possibility of rehabilitating the remaining families on land in non-agricultural occupations like industries and trade is being explored.

The persons who have entered India after 25.3.1971 are expected to return to Bangla Desh and are being provided only relief assistance.

Achievements of Central Labour Research Institute and Central Indûstrial educational Institute.

5666. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the achievements made by Central Labour Research Institute and Central Industrial Education Institute?

The Minister of labour and rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : There are no Institutes by these names, However, there is an Indian Institute of Labour Studies which mainly provides in-service training to officers working in the field of labour. It has so far trained 117 Labour Officers, 419 officers drawn from the State and Central Governments, public sector Undertakings and Asian and African Countries and given refresher training to 12 Regional Labour Commissioners. The faculty members of the Institute have given talks at other allied Institutions. The institute has also conducted short extension courses for the benefit of officers of State Labour Departments and Public Sector Undertakings. The Institute organised three Seminars on the subject of 'Minimum Wages Legislation' Communication in Industry' and 'Gandhiji and Labour'. The Institute organised a workshop on

'Conciliation Techniques'. The Research Branch of the Institute brings out a monthly bulletin under the title 'Awards Digest' containing the digest of awards of industrial tribunals as well as important decisions of courts and authorities in the Central Sphere for the use of Central and State Officers concerned. The Institute also publishes small brochures on different labour laws for the benefit of employers, trade unions and workers.

Adulteration of Groundnut Oil with Kerosene Oil in a Vegetable Oil Mill in West Bengal

5667. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a container of groundnut oil adulterated with Kerosene oil was seized near a vegetable oil mill located near Baranagar in West Bengal on the 15th June, 1971;

(b) whether such adulteration is used to be made in the production of vanaspati ghee; and

(c) the details thereof, the preventive measures being taken in this regard and the results achieved therefrom?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). According to a report received from the State Government, the adulteration had been detected by the vanaspati factory at Belgharia to whom the oil had been offered, and the consignment rejected by it. The tanker containing the adulterated oil was intercepted on its way back from the factory, the consignment seized and the occupants arrested. The Supplier's premises were thereafter raided but the proprietors were found to be absconding. The Enforcement Branch of the West Bengal police has organised requisite machinery for trapping such adulterators and proceeding against them under the law.

Prevention of such attempts of adulteration of edible oils and other foodstuffs is generally sought to be achieved through effective enforcement of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and the Rules framed thereunder through the agency of the State Governments.

मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न करनेवाली कोयला खानों को प्रमाणपत्र जारी करने के बारे में धनबाद के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के विरुद्ध शिकायत

5668. **श्रीमती विभा घोष** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को धनबाद (बिहार) के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के विरुद्ध इस आशय के भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने उन कोयला खानों को जाली प्रमाणपत्र दिये हैं जिन्होंने कोयला मजरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है और इस प्रकार सरकार के आदेश का उल्लंघन किया है;

(ख) क्या सरकार ने उन शिकायतों की जांच करवाई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) जी, हां।

(ख) और (ग). शिकायतों की जांच की जा रही है।

पारगमन हानि सम्बन्धी समिति की 1969 में पेश की गयी रिपोर्ट

5669. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1969 में पेश की गई पारगमन हानि समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिए गये ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया है और ये सिफारिशें विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाई गई हैं। समिति की तीस सिफारिशों में से बीस को स्वीकार कर लिया गया है, बम्बई पत्तन ट्रस्ट और रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने दो सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं। एक सिफारिश पर विचार नहीं किया गया है और सात सिफारिशों के मामले में उनकी व्यवहायती और उन्हें कार्यरूप देने के संदर्भ में अभी भी भारतीय खाद्य निगम के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है।

विभाजित जोतों वाले क्षेत्रों में संयुक्त फार्मों की स्थापना

5670. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभाजित जोतों वाले क्षेत्रों में सामूहिक फार्मों की स्थापना की सम्भाव्यता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) व (ख). विभाजित जोतों वाले क्षेत्रों में सामूहिक फार्मों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जहां सदस्यों द्वारा भूमि पूल किए जाने के फलस्वरूप सामान्यतः प्लाटों की संख्या कम होगी तथा खेती के यूनिट में वृद्धि होगी वहां सहकारी संयुक्त खेती समितियों को प्रोत्साहित किया गया है।

धनबाद कोयला क्षेत्र में ठेका-श्रमिकों में वृद्धि

5671. **डा० सरदीश राय** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद कोयला क्षेत्र (बिहार) में इस वर्ष 1969-70 की अपेक्षा दुगने ठेका-श्रमिक रखे गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने और धनबाद कोयला क्षेत्र में ठेके पर श्रमिक रखने की व्यवस्था समाप्त करने के लिए दृढ़ और कठोर कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर के एक कर्मचारी की मृत्यु

5672. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर के कर्मचारी गोपालचन्द्र राय को 23 जून, 1971 को विश्वकर्मा नगर में उनके निवास स्थान के सामने कुछ गुण्डों ने उनकी छुरा घोंप कर हत्या कर दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) खनन और संबद्ध मशीनरी निगम के एक कर्मचारी श्री गोपाल चन्द्र सिंह राय की 23 जून 1971 को रात के 11 बजकर 10 मिनिट पर खनन और संबद्ध मशीनरी निगम की बस्ती में उनके निवास स्थान के पास छुरा मार कर हत्या कर दी गई थी।

(ख) स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक एक व्यक्ति को गिरफतार किया गया है।

बस्ती में पुलिस की गश्त भी तेज कर दी गई है।

आसका सहकारी चीनी उद्योग लि०, उड़ीसा तथा अन्य फैक्टरियों में डिस्टीलरी स्थापित करने के लिये आर्थिक सहायता और उसके लिये मन्जूरी

5673. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सहकारी चीनी उद्योगों ने अपनी फैक्टरियों में डिस्टीलरी की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता और उसके लिये मंजूरी देने के लिए प्रार्थना पत्र अथवा अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य में स्थित आसका सहकारी चीनी उद्योग लिमिटेड भी उनमें से एक है जिसने अपनी फैक्टरी के शीरे को उपयोग करने के लिए डिस्टीलर्स की स्थापना करने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजा है ;

(घ) यदि हां, तो कितने धन की आर्थिक सहायता मांगी है ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीजगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). जी हां । सात सहकारी चीनी उद्योगों ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को आसवनियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये हैं ; उनके नाम सभा-पटल पर रखे गए संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) 24.50 लाख रुपए ।

(ङ) यह प्रार्थना-पत्र राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के विचाराधीन है ।

विवरण

1. असम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०,
डाकखाना बरुआबामनगांव, असम ।

2. कोआपरेटिव शुगर्स लि०,
चित्तूर,
जिला पालघाट, केरल ।

3. श्री पंचगंगा सहकारी शकर कारखाना लि०,
इच्चलकरंजी,
जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र ।

4. कृष्णा सहकारी शकर कारखाना लि०,
सतारा, महाराष्ट्र ।

5. राहुरी सहकारी शकर कारखाना लि०, राहुरी,
जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र ।

6. नीरावैली कोआपरेटिव डिस्टीलरी,
फाल्तन, महाराष्ट्र ।
(श्रीराम सहकारी शकर कारखाना लि०, सोमेश्वर सहकारी शकर कारखांना लि० और मालेगाँव सहकारी शकर कारखाना लि० का संकाय)

7. दी अस्का कोआपरेटिव शुगर इन्डस्ट्रीज लि०,
अस्का, जिला गंजम, उड़ीसा ।

फसल की हानि का अनुमान लगाने उड़ीसा में सरकारी दल का दौरा

5674. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में हुई वर्षा के कारण राज्यों में फसलों को हुई हानि का अनुमान लगाने और केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए अधिकारियों के एक दल को उड़ीसा भेजने का है ;

(ख) यदि हां, तो दल को कब भेजा जायेगा ; और

(ग) दल अपनी रिपोर्ट कब तक देगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चालू वर्ष में उड़ीसा सरकार से केन्द्रीय दल के दौरे के सम्बन्ध में अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं होता ।

आन्ध्र प्रदेश में झींगा और लोब्स्टर की विशेष किस्मों का विकास

5675. **श्री वी० एस० मूर्ति** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश को झींगा और लोब्स्टर की विशेष किस्मों के विकास के लिए कोई तकनीकी सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश को झींगा और लोब्स्टर की विशेष किस्मों के विकास के लिये कोई तकनीकी सहायता नहीं दी जा रही है । परन्तु, केन्द्रीय मीन-उद्योग तकनालौजी संस्थान और केन्द्रीय समुद्री मीन-उद्योग अनुसंधान संस्थान आन्ध्र के तटीय क्षेत्र से झींगे पकड़ने में वृद्धि करने के लिये अनुसंधान कर रहे हैं । केन्द्रीय मीन-उद्योग तकनालौजी संस्थान के काकीनाडा स्थित उप-केन्द्र में झींगे तथा अन्य मीन संसाधनों के प्रभावकारी उपयोग के लिये उपयुक्त प्रकार के खेंचू-जालों का विकास करने के लिये अनुसंधान किया जा रहा है । काकीनाडा में ही स्थित केन्द्रीय समुद्री मीन-उद्योग संस्थान के उप-केन्द्र में विभिन्न गहराइयों और क्षेत्रों में झींगों के वितरण से सम्बन्धित झींगों के संसाधनों का निर्धारण करने और झींगा-मछली के विकास के लिये वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण झींगों के प्रव्रजन और व्यवहार सहित विभिन्न जैविकी विषयक पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए अध्ययन किये जा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में अन्वेष नलकूप खोदने के लिये सर्वेक्षण

5676. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में खलीलाबाद में अन्वेषी नलकूप खोदने के लिये सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में अधिक क्षेत्र में चावल की खेती

5677. **श्री कृष्ण चन्द्र पाँडे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में और अधिक क्षेत्र को चावल की खेती के अन्तर्गत लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) धान की खेती के लिये अच्छी किस्म के बीज और उर्वरक सप्लाई करने हेतु क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप पान का कितना अधिक उत्पादन होने की आशा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्न की वसूली का लक्ष्य और वसूल किए गए खाद्यान्नों को वर्षा से बचाने के लिए की गई कार्यवाही

5678. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों में वसूली लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिये जायेंगे ;

(ख) 30 जून 1971 तक कितना प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था ;

(ग) क्या रेलवे के माल डिब्बों की मांग को पूर्णतया पूरा किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो वसूल किए गए खाद्यान्नों को वर्षा से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अणासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). चालू विपणन मौसम में खरीफ और रबी अनाजों की अधिप्राप्ति के राज्यवार लक्ष्य बताने वाले दो विवरण संलग्न हैं। [**ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 718/71**] ये लक्ष्य फसलों की कटाई से पूर्व उपलब्ध उत्पादन के अग्रिम अनुमानों और प्राप्त लक्ष्य की प्रतिशतता सहित जून, 1971 तक वास्तव में अधिप्राप्ति की गई मात्रा के आधार पर कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित किए गये हैं। कृषि मूल्य आयोग ने अन्य रबी अनाजों के लिए कोई भी लक्ष्य अभिस्तावित नहीं किए थे।

अधिकांश राज्यों में खरीफ की अधिप्राप्ति का मौसम नवम्बर से अक्तूबर तक और गेहूं की अधिप्राप्ति का मौसम अप्रैल से मार्च तक है। राज्यों में खरीफ के अनाजों और गेहूं की अधिप्राप्ति अभी भी चल रही है। मध्य प्रदेश और पंजाब में चावल की अधिप्राप्ति के लिए कृषि मूल्य आयोग

द्वारा अभिस्तावित लक्ष्य से अधिक अधिप्राप्ति हो चुकी है। मौसम की समाप्ति से पूर्व आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में लक्ष्य प्राप्त किए जाने की सम्भावना है अथवा लगभग प्राप्त कर लिए गए हैं । अन्य राज्यों में लक्ष्य तक पहुंचने की सम्भावना नहीं हैं। अन्य खरीफ अनाजों की अधिप्राप्ति के लक्ष्य से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश में पहले ही अधिक अधिप्राप्ति हो चुकी है। अन्य राज्यों में उनके प्राप्त किए जाने की सम्भावना नहीं है।

बिहार को छोड़कर सभी राज्यों में गेहूं की अधिप्राप्ति लक्ष्य से अधिक हो चुकी हैं।

(ग) और (घ). सामान्यत: माल-डिब्बों की सप्लाई संतोषजनक रही है। तथापि क्योंकि अधिप्राप्ति काफी भारी मात्रा में थी, खाद्यान्न भेजने की की गई व्यवस्था सारे अधिप्राप्त स्टाक को भेजने के लिए पर्याप्त न थी। जिस स्टाक को भेजा न जा सका उसे मुख्यत: ढके गोदामों में रख दिया गया है। खाद्यान्नों की कुछ मात्रा को अस्थायी तौर पर खुले में ऊंचे प्लेटफार्मों अथवा उपयुक्त निभार पर भी रखना पड़ा है। ये स्टाक वर्षा से होने वाली हानि से बचाने के लिए तिरपाल और पोलीथीन चादरों से अच्छी प्रकार ढके हुये हैं।

भूमि अधिग्रहण जांच समिति का प्रतिवेदन

5679. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **कृषि** मंत्री भूमि अधिग्रहण जांच समिति के बारे में 30 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 686 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेगी ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन पर सभा में चर्चा की जायेगी, यदि हां, तो कब ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). भूमि अधिप्राप्ति संवीक्षण समिति की रिपोर्ट लोक सभा पटल पर 18–3–70 को रख दी गई थी।

(ग) रिपोर्ट सब राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को उनके विचार जानने के लिये भेजी गई थी। यादियों के बावजूद भी कई राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों ने अभी अपने विचार नहीं भेजे हैं। रिपोर्ट पर सब राज्य सरकारों के विचार जानने पर ही इस रिपोर्ट पर आगे ठीक विचार किया जा सकता है।

संगठित और असंगठित श्रमिकों के बारे में आँकड़े

5680. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न वर्गों के असंगठित श्रमिकों से, जो भारत में कुल श्रमिकों के लगभग 80 प्रतिशत है, सहयोग और समन्वय पाने की मंत्रालय की कोई योजना है ;

(ख) क्या मंत्रालय ने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में संगठित और असंगठित श्रमिकों के आंकड़े एकत्रित किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इस प्रकार की कोई योजना नहीं हैं। परन्तु श्रमिकों के बारे में महत्वपूर्ण नीति संबंधी निर्णय, सामान्यतः द्विपक्षीय निकायों में, जिनमें श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, विचार-विमर्श के बाद लिए जाते हैं।

(ख) और (ग). संगठित और असंगठित श्रमिकों के सम्बन्ध में विभिन्न नियमित और तदर्थ योजनाओं के अधीन आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। इन योजनाओं की मुख्य बातों की व्याख्या संलग्न विवरण में की गई है।

विवरण

1— **विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत एकत्रित आँकड़े** :

रोजगार, काम के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण, व्यावसायिक रोग, औरतों और युवकों का रोजगार, छुट्टी, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि से संबंधित आंकड़ों को विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत, जिनकी सामान्यतः राज्य सरकारों द्वारा व्यवस्था की है, एकत्रित किये जाते हैं। सूचना अखिल भारतीय आधार पर समेकित की जाती है और श्रम ब्यूरो द्वारा अपने नियमित प्रकाशनों तथा अपनी विशेष रिपोर्टों में प्रकाशित की जाती है।

2— **ऐच्छिक आधार पर एकत्रित आँकड़े** :

ऐसे औद्योगिक विवादों से संबंधित आंकड़े, जिनके फलस्वरूप अस्थायी तौर पर काम बंदियां या ताला बन्दियां हों और जिनमें किसी प्रतिष्ठान में काम करने वाले 10 या अधिक कर्मकार अन्तर्ग्रस्त हों, इस समय ऐच्छिक आधार पर एकत्र किए जाते हैं। इनका राज्यवार, उद्योग-वार, कारण-वार, क्षेत्र-वार, अवधि-वार और परिणाम-वार इत्यादि, विश्लेषण किया जाता है। इन आँकड़ों के अन्तर्गत आर्थिक क्रिया कलाप—जैसे, निर्माण कार्य, बागान, खानें, वाणिज्य, परिवहन, इमारत, सेवाओं के समस्त क्षेत्र आते हैं।

3— **आँकड़ा संग्रह अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत एकत्रित आँकड़े** :

आंकड़ा संग्रह अधिनियम, 1953 के सांविधिक उपबन्धों के अनुसार, कुछ श्रम आंकड़ों को, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत नियमित आधार पर एकत्रित किया जा रहा है। इस समय सर्वेक्षण का क्षेत्र केवल उन कारखानों तक ही, जिसमें पावर प्रयोग की जाती है और जिनमें औसतन 50 या अधिक मजदूर काम करते हैं; और जिन कारखानों में पावर प्रयोग नहीं की जाती है और जिनमें औसतन 100 या अधिक मजदूर काम करते है, तथा समस्त विद्युत उपक्रमों तक, सीमित हैं। योजना के अन्तर्गत एकत्रित किए गए आंकड़े कार्य किए गए श्रम-दिन अनुपस्थितियां, श्रमिक स्थानान्तरण, आमदनी, वेतन, मजदूरी, बोनस, कर्मचारियों द्वारा किस्म में लाभों के संगणित मूल्य तथा वृद्ध-अवस्था में अंशदान, और वर्ष के दौरान सुरक्षा लाभ, के बारे में है।

4— **तदर्थ और नियत कालिक योजनाएं** :

(i) **व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण** लगभग 45 मुख्य खनन, बागान और कारखाना-उद्योगों से, विभिन्न व्यवसायों में कर्मचारियों को न्यूनतम और अधिकतम दरों पर अदा की गई मजदूरी,

कार्य-बल, अभिलक्षण, वेतन चिट्ठा आमदनी और प्रेरणादायी बोनस योजनाएं इत्यादि संबंधी आँकड़े एकत्रित किये जाते हैं।

(ii) **श्रम दशाओं का सर्वेक्षण**:--श्रम जीवी बल के नियोजन एवं गठन, आमदनी, कार्यदशाओं कल्याण, सामाजिक सुरक्षा उपायों औद्योगिक सम्बन्धों और श्रम लागत के बारे में सूचना एकत्र की जाती है।

(iii) **परिवार बजट जाँचें पारिवारिक रहन-सहन अध्ययन**---चुने हुए कारखानों, खनन और बागान केन्द्रों के श्रमजीवी वर्ग की जन-संख्या के उपभोग के प्रतिरूप के बारे में आंकड़े अधिकतर इसलिए एकत्रित किये जाते हैं ताकि वैयक्तिक केन्द्रों तथा अखिल भारत के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने हेतु तोलन-आरेख प्राप्त किए जा सकें। 60 केन्द्रों पर श्रमजीवी वर्ग परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण को बड़ी योजना का काम आगे बढ़ रहा है।

(iv) **ठेका श्रम सर्वेक्षण**--ऐसे उद्योगों में ठेका श्रम के स्वरूप और सीमा संबंधी आंकड़े एकत्र किये जाते हैं जिनमें उनका नियोजन-पर्याप्त होता है। 19 उद्योगों में दशाओं का अध्ययन किया जा चुका है।

(v) **कृषि / ग्रामीण / श्रम जांचें**--ग्रामीण श्रमिकों के घर के सामान के सामाजिक एवं आर्थिक अभिलक्षणों और साथ ही उन पर पड़ी विकास गतिविधियों की छाप से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। भारत में ग्रामीण श्रमिकों के नैदानिक प्रकार के अध्ययन भी किये जाते हैं ताकि बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार की समस्या का ठीक ठीक पता चल सके।

5---नई योजना

एक नई योजना अभी अभी चालू की गई है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों के रहन-सहन और उनकी कार्य-दशाओं से संबंधित सूचना उपलब्ध कराना है।

पाकिस्तान से आये भारतीय एनक्लेव के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु योजना के लिए धन का आवंटन

5681. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक अलग योजना के अन्तर्गत पाकिस्तान से आये भारतीय एनक्लेव विस्थापितों के पुनर्वास हेतु योजना के लिये उनके मंत्रालय ने अब तक कुल कितना धन दिया है ; और

(ख) इस प्रकार का लाभ कुल कितने व्यक्ति ले रहे हैं और प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). पाकिस्तान में स्थित भारतीय अन्त: क्षेत्रों (एनक्लेव) से आए 1168 परिवारों के लिए, जो जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और उत्तर बंगाल के पश्चिम दीनाजपुर जिले में रह रहे थे, 121.23 लाख रुपये की लागत की दो पुनर्वास योजनाएं मंजूर की गई हैं। राज्य सरकार को 23.28 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। जब कभी उन्हें आवश्यकता होगी और राशि दे दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने ऋणों के यथा शीघ्र वितरण के लिए जिला अधिकारियों को अति आवश्यक हिदायतें जारी कर दी हैं और इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित धन-राशि दी जा रही है ।

पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋण

5682. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व पाकिस्तान से आये विभिन्न श्रेणियों के विस्थापित व्यक्तियों को कुल कितना ऋण दिया गया है और राज्यवार कितने व्यक्तियों को तथा कितनी कितनी राशि दी गई है ;

(ख) उपर्युक्त ऋणों का श्रेणीवार कितना भुगतान किया जा चुका है और ब्याज अथवा ब्याज रहित वसूल की जाने वाली राशि कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार ने ऋणों के भुगतान में ढील अथवा माफी का आदेश दिया है यदि हां, तो उन आदेशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). एक विवरण, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न राज्यों को दी गई ऋण की राशियां, 31–3–70 तक राज्यों द्वारा चुकाई गई राशि और राज्यों से बकाया राशि का ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया/ देखिये संख्या एल० टी० 719/71]** चूंकि ये ऋण राज्य सरकारों को विस्थापित व्यक्तियों को देने और पुनर्वास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए दिए जाते हैं, इसलिए श्रेणीवार विभाजन और ऐसे विस्थापित व्यक्तियों / दलों का श्रेणीवार विभाज और उनकी संख्या, जिन्हें राज्यों द्वारा ऋण दिए गए हैं और जिनसे उनकी वसूली की जानी है केन्द्रीय सरकार के पास सुगमता से उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी, हां । 31–3–1964 तक पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुन-र्व्यवस्थापन के लिए दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में एक छूट की योजना मंजूर कर दी गई है । प्रत्येक मामले में, 1,000 रुपये तक ऋण की छूट दी जाती है, इस छूट के उपरान्त यदि कोई बकाया रकम रह जाती है तो 2,000 रुपये से ऊपर की राशि की भी छूट दे दी जाती है । छूट दी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता । अंशदायी गृह-निर्माण ऋण और व्यावसायिक ऋण इत्यादि छूट की योजना के अन्तर्गत नहीं आते । तथापि, लाचारी वाले व्यक्तिगत मामलों में गुणावगुण के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से जांच की जाती है । विस्थापित व्यक्तियों को दिए गए ऋण पर जो कि पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं यदि कोई हानि होती है तो राज्य सरकारों को उसके किसी हिस्से का उत्तरदायित्व नहीं सहना पड़ता । 31–3–1964 के बाद आए विस्थापित व्यक्तियों को दिए गए ऋणों के लिए भी यह योजना लागू नहीं होती ।

उत्तर बंगाल में सिंचाई के प्रयोजन के लिये पिछड़े जिलों का चयन

5683. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने उत्तर बंगाल में सिंचाई के प्रयोजन के लिये किसी विशेष क्षेत्र का चयन करने हेतु पश्चिम बंगाल के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिये एक सर्वेक्षण करने और उनकी सूची सिंचाई और विद्युत मंत्रालय को भेजने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो यह सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) इस मन्त्रालय द्वारा कोई ऐसा निर्णय नहीं किया गया है। फिर भी, दार्जिलिंग जिले के लिये संस्वीकृत लघु कृषक विकास एजेन्सी के अंतर्गत क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण की व्यवस्था है, जिससे कि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की संभाव्यताओं का पता लगाया जा सके। लघु कृषक विकास एजेन्सी कृषकों को अनेक क्षेत्र में पर्वतीय जल धाराओं तथा पर्वतीय झरनों के उपयोग द्वारा सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिये, जहां आवश्यक होगा। राज्य सहायता सहित ऋण सुविधाएं भी प्रदान करेगी। ये लघु सिंचाई कार्य होंगे और इन्हें सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

केरल में रूस की सहायता से मत्स्य पालन संबंधी योजना

5684. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में मछली पालने संबंधी योजना को क्रियान्वित करने के लिये रूस सरकार से सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त योजना को मंजूरी दे दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसको कब तक मँजूरी दी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केरल सरकार ने विदेशी सहयोग से गहरे समुद्र में मीनहरण के बारे में मार्च, 1971 में इस मंत्रालय को एक परियोजना रिपोर्ट भेजी है। विदेशी सहयोग के विषय में अभिकरण का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) परियोजना में कोचीन से आधार रूप में 4 बड़े तथा 6 मध्यम मीन पोतों के प्रचालन की व्यवस्था की गई है। पोतों तथा तटीय उपस्कर की पूंजीगत लागत का अनुमान 185 लाख रुपये और वार्षिक परिचालन व्यय लगभग 40 लाख रुपये लगाया गया है। प्रतिवर्ष 64 लाख रुपये के मूल्य की 3600 मीटरी टन मीन-अवतरण का अनुमान है।

(ग) और (घ). केरल सरकार से प्रस्ताव के कुछ पहलुओं के विषय में स्पष्टीकरण मांगा गया है, और स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर इस मामले में कार्यवाही की जायेगी।

उर्वरकों के वितरण के लिए विपणन समितियों को आवंटित धनराशि

5685. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों के वितरण के लिये विभिन्न राज्यों में शेयर पूंजी और ऋण के रूप में विपणन समितियों को कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ; और

(ख) धनराशि के राज्यवार आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उर्वरकों के वितरण का कार्य करने वाली सहकारी समितियों को उपान्त धन (मार्जिन मनी) सुलभ करने के लिए 14.50 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ख) सभा पटल रखे गए विवरण में राज्यवार अस्थायी नियतन दिया गया है।

विवरण

उर्वरकों के वितरण हेतु सहकारी समितियों को उपान्त धन (मार्जिन मनी)

क्रम संख्या	राज्य	(लाख रुपयों में) चतुर्थ योजना के लिए अस्थायी नियतन
1.	आन्ध्र प्रदेश	160
2.	असम	15
3.	बिहार	95
4.	गुजरात	134
5.	हरियाणा	90
6.	केरल	22
7.	मध्य प्रदेश	103
8.	तमिल नाडु	129
9.	महाराष्ट्र	155
10.	मैसूर	112
11.	उड़ीसा	46
12.	पंजाब	165
13.	राजस्थान	31
14.	उत्तर प्रदेश	163
15.	पश्चिम बंगाल	30
		1450

कोयला खानों में ठेका पद्धति समाप्त करने संबंधी जांच समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों का क्रियान्वित किया जाना

5686. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री कोयला खानों में ठेका पद्धति समाप्त करने के लिये समिति के बारे में 10 दिसम्बर, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 655 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को इस बीच क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). चूंकि सिफारिशों में कानूनी बल नहीं है, इसलिये उन्हें केवल अनुनय द्वारा ही क्रियान्वित किया जा सकता है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

Memorandum from Bihar Flying Club Employees Union Regarding Provident Fund

5687. **Shri Ramvatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether he has received a memorandum from the Joint Secretary of Bihar Flying Club Employees Union regarding provident fund ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees set up under the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 and is not the direct concern of the Central Government. The Provident Fund authorities have reported as under :—

(a) Yes.

(b) It is alleged that provident fund loans are not granted to the employees.

(c) The matter has been referred to the Regional Provident Fund Commissioner, Bihar, for appropriate action.

विकसित खेती की जानकारी प्राप्त करने के लिये मिदनापुर वांकुरा और वर्दवान में कृषि फार्म की स्थापना

5688. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिदनापुर, वांकुरा और वर्दवान पश्चिम बंगाल मुख्य चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र के व्यक्तियों को विकसित खेती की जानकारी देने के लिये सरकार ने उन क्षेत्रों में और अधिक कृषि फार्म स्थापित करने के लिये कार्यवाही की है या करेंगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी

5689. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की समस्या जटिल होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में 30 जून, 1971 तक नौकरी के लिये रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराने वालों की संख्या कितनी थी;

(ग) नौकरी प्राप्त करने वालों का सामान्य इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, विज्ञान प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक लाइनों के अनुसार अलग-अलग वर्गीकरण क्या है;

(घ) (1) नगरों (2) कृषि क्षेत्रों में बेरोजगार अपंजीकृत कर्मचारियों की अनुमानतः संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार की राज्य में बेरोजगारी की बड़ी समस्या को हल करने के बारे में क्या योजना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज काम-चाहने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है ।

(ख) उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल में रोजगार कार्यालयों में दर्ज काम-चाहने वालों की संख्या 31 मई, 1971 को 6,85,501 थी ।

(ग) उपलब्ध जानकारी सलंग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) यथा तथ्य आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) इस सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या–361 दिनांक 26-11-1970 के भाग (ख) के उत्तर में सभा-पटल पर रखे विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । इसके अतिरिक्त "दिहाती क्षेत्र में नियुक्ति अवसर जुटाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम (क्रेश प्रोग्राम)" पूरे देश (पश्चिम बंगाल संहित) में चालू वित्त वर्ष के दौरान आरम्भ किया गया है, जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में 1,000 व्यक्तियों को अतिरिक्त नियुक्ति अवसर उपलब्ध होंगे । इसके साथ-साथ शिक्षित वर्गों के लिए नियुक्ति अवसर जुटाने हेतु बनाई गई योजनाओं के लिए चालू वर्ष के केन्द्रीय बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और योजना आयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में योजनायें तैयार की जा रही हैं ।

विवरण

1970 के अन्त में पश्चिम बंगाल के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज काम चाहने वालों की संख्या

शैक्षणिक स्तर		31-12-1970 को पश्चिम बंगाल के बेरोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज काम चाहने वालों की संख्या
1. मैट्रिक से कम (अनपढ़ समेत)		3,59,166
2. मेट्रिक		75,624
3. हायर सैकेन्डरी (इन्टरमीडिएट/अन्डर ग्रेजुएट सहित)		1,07,938
4. ग्रेजुएट्स (पोस्ट-ग्रेजुएट्स सहित) जोड़		42,530
1. कला	17,630	
2. विज्ञान	10,004	
3. वाणिज्य	12,036	
4. इन्जीनियरी/शिल्प विज्ञान	1,399	
5. चिकित्सा	44	
6. कृषि	581	
7. अन्य	836	
जोड़		5,85,258

जानकारी 31 दिसम्बर, 1970 से सम्बन्धित है क्योंकि शिक्षित काम चाहने वालों से सम्बन्धित आंकड़े प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर, के अन्त में अर्ध-वार्षिक अन्तराल पर इकट्ठे किये जाते हैं।

केरल में नारियल के पेड़ों के पत्तों के पीले पड़ जाने और गल जाने के रोग को रोकने के लिये विदेशी सहायता

5690. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, केरल में नारीयल के पेड़ों के पत्तों के पीले पड़ जाने और उनके गल जाने के रोग को रोकने की आवश्यकता के बारे में विदेशों से सहायता लेने पर विचार किया है; और

(ख) इस बीमारी के कारण इस समय प्रतिवर्ष कितने काष्ठफल की हानि होती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी नहीं, नारियल के पत्ते सडने का रोग अपने आपमें कोई गम्भीर समस्या नहीं है प्रायः यह रोग एक फुंगी द्वारा फैलता है, जो कि एक कमजोर रोग जनक है तथा जड़ों के मुर्झाने के रोग से पीड़ित, नारियल के कमजोर वृक्षों पर ही आक्रमण करती है। अतः इसके आक्रमण को रोकने के लिए किसी विदेशी विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जैसा कि ऊपर कहा गया है कि पत्ते सड़ने की बीमारी प्रायः उन्हीं नारियल वृक्षों पर आक्रमण करती हैं जो कि जड़-मुर्झाने के रोग से पीड़ित होते हैं। अतः केवल इसी रोग से होने वाली हानि का अलग से अनुमान लगाना कठिन है।

भारत में विशेष इस्पात का उत्पादन

5691. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय विशेष इस्पात की कौन-कौन सी मुख्य किस्मों का उत्पादन होता है और वर्ष 1970-71 में इस प्रकार की प्रत्येक किस्म का कितने मूल्य का उत्पादन हुआ है; और

(ख) क्या भारत में 'बेनाडियम' 'टीटा-नियम' और 'ओवरब्राईट' इस्पात का उत्पादन होता है और यदि हां, तो प्रति वर्ष इसका कितना-उत्पादन होता है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) 1970 के दौरान भारत में उत्पादित विभिन्न श्रेणियों के औजारी इस्पात, मिश्र इस्पात तथा विशेष इस्पात की मात्रा निम्नलिखित सारणी में दी गई है। इन उत्पादों के मूल्य के संबंध में ठीक ठीक सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है :—

वर्ष 1970 में उत्पादन

श्रेणियां	**उत्पादन (टन)**
(1) स्प्रिंग स्टील सिलिको-मेंगनीज टाईप	20,474
(2) स्प्रिंग स्टील क्रोम-वैनेडियम टाईप	6,670
(3) अलाय कंस्ट्रक्शनल स्टील	74,745
(4) हाई स्पीड स्टील	115
(5) टूल एण्ड डाई स्टील (हाई कार्बन अथवा अलाय)	723
(6) डाई ब्लाक्स	264
(7) स्टेनलेस तथा हीट-रेजिस्टिंग स्टील	2,261
(8) फ्री कटिंग स्टील	8,953
(9) विद्युत इस्पात की चादरें	52,300

(10)	हाई कार्बन स्टील (कार्बन टूल स्टील को छोड़कर)	1,06,221
(11)	अन्य किस्मों के मिश्रित तथा विशेष इस्पात	28,623
	जोड़	3,01,349

1970-71 के लिए आंकड़े ।

(स्रोत : लोहा तथा इस्पात नियंत्रण बुलेटिन मद संख्या (9) को छोड़कर)

(ख) भारत मैं वैनेडियम और टाइटेनियम युक्त इस्पात का उत्पादन थोड़ी मात्रा में होता है - उदाहरणार्थ वैनेडियम युक्त स्प्रिंग स्टील, टाइटेनियम युक्त इस्पात इत्यादि परन्तु इनकी वास्तविक मात्रा संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

यदि एवरब्राइट इस्पात से बेदाग इस्पात का अभिप्राय है तो 1970 में इसका उत्पादन 2,261 टन था।

Conveyance Allowance to Central Government Employees

5692. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Labour Commissioner of Bombay had decided in 1968-69 that the employees serving there would be given Conveyance Allowance for their travel from residence to office and the Bombay High Court had also upheld the said decision ;

(b) if so, whether the Central Government employees or the employees working in similar other big cities are also getting the same facility ; and

(c) if not the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Information is being collected.

(b) and (c). No conveyance or transport facility is admissible to the Central Government servants working in Bombay and in similar other big cities for journeys between residence and the place of work. Any revision of the policy will have to await the recommendations of the Third Pay Commission.

पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में वर्षा से गेहूं को क्षति

5593. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में किसानों के गेहूं के बड़े-बड़े भंडार हाल ही में हुई भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां तो कितनी क्षति हुई है; और

(ग) क्या सरकार किसानों को हुई हानि का मुआवजा देगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में इस्पात के परमिट-धारी

5694. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में इस्पात खरीदने का परमिट कितने व्यक्तियों के पास है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में परमिट धारी व्यक्तियों की वास्तविक आवश्यकता और खपत का सत्यापन करने के लिए कोई जांच की गई; और

(ग) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) इस समय किसी भी राज्य में इस्पात की खरीद के लिए किसी को परमिट अथवा कोटा नहीं मिला है क्योंकि कोटा के आवंटन की पद्धति खत्म कर दी गई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

देश में घी का उत्पादन और खपत

5695. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अनुमानतः घी का उत्पादन और खपत कितना होता है;

(ख) महानगरों नगरीय केन्द्रों में घी की अनुमानित खपत कितनी है और उसकी सप्लाई के साधन क्या हैं;

(ग) घी का उत्पादन करने वाले आधुनिक कारखानों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों में उन्होंने कितनी मात्रा में घी का उत्पादन किया; और

(घ) क्या सरकार ने संगठित क्षेत्र में घी का उत्पादन बढ़ाने और घी की शुद्धता इसकी सफाई से तैयार करने और बेचने और इसमें मिलावट को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) घी के उत्पादन का अनुमान सामान्यतः पंचवर्षीय पशुधन गणना के आकड़ों के आधार पर लगाया जाता है। गत गणना 1966 में की गई थी, जब लगभग 3, 65, 000 हजार मीटरी टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। घी की मांग अधिक है, अतः यह माना जा सकता है कि समस्त उत्पादन उपभोग में आ जाता है।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) सामग्री एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) परिसंस्करण की आधुनिक विधियों से श्रेष्ठ घी के उत्पादन के लिये संगठित डेरियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। "अग्मार्क" योजना के अन्तर्गत घी के श्रेणीकरण की इच्छुक पार्टियों

को कृषि विपणन सलाहकार से इस सम्बन्ध में अधिकृतीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है यह प्रमाण पत्र अर्हतायुक्त और मान्य रसायनज्ञ द्वारा नमूनों की समुचित जाँच करने के बाद जारी किया जाता है। इस रसायनज्ञ द्वारा घी के पेकिंग का भी पर्यवेक्षण किया जाता है।

सपरेटा पाउडर का उत्पादन

5696. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सपरेटा पाउडर का प्रति वर्ष कितना और कितनी कीमत का उत्पादन होता है;

(ख) वर्ष 1975 तक पौष्टिक खाद्य कार्यक्रमों, नगरीय केन्द्रों विशेषकर निम्न और माध्यमिक वर्ग में इसकी खपत की आवश्यकता के बारे में अनुमान लगाया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में कितनी मात्रा में सपरेटा पाउडर उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ और चौथी योजना के दौरान इस बारे में क्या कार्यक्रम है; और

(घ) क्या देश में सपरेटा पाउडर के उत्पादन को प्रोत्साहन देने और उसका वितरण करने की कोई योजना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) वर्ष 1970 के दौरान दुग्ध चूर्ण (सपरेटा तथा चूर्ण दोनों) का अनुमाति उत्पादन 7.288 मीटरी टन था जिसका मूल्य लगभग 6.44 करोड़ रुपये (करों को छोड़कर) था।

(ख) विभिन्न पौष्टिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत और नगरीय दुग्ध योजनाओं की सप्लाई के लिये जिनमें आप्रेशन फ्लड के अधीन बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास स्थित दुग्ध योजनाओं की अतिरिक्त मांग सम्मिलित है, सपरेटा दुग्ध चूर्ण की वार्षिक मांग का लगभग 50,000 मीटरी टन से 55,000 मीटरी टन तक का अनुमान लगाया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आप्रेशन फ्लड के अन्तर्गत प्राप्त सप्लाई के अतिरिक्त कुल 53,432 मीटरी टन सपरेटा दुग्ध चूर्ण उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ। आप्रेशन फ्लड के अन्तर्गत जुलाई, 1970 से जून, 1974 तक 1,26,000 मीटरी टन सपरेटा दुग्ध चूर्ण सप्लाई करने के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम सहमत हो गया है।

(घ) अनियंत्रित आयात पर नियंत्रण करके और उन क्षेत्रों में सपरेटा दुग्ध चूर्ण के निर्माण के लिए जिनमें अधिशेष द्रव्य दुग्ध उपलब्ध है, नई धारिता की स्थापना के प्रोत्साहन के लिए देशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से चावल के आयात को देखते हुए चावल के उत्पादन में कमी

5697. **श्री इराज्मु द सेकैरा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दक्षिण एशियाई देश अपना फालतू चावल खरीदने के लिये भारत पर जोर डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दबाव के परिणामस्वरूप सरकार ने देश में चावल का उत्पादन कम करने के बारे में विचार किया है; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) बर्मा और थाईलैण्ड की ओर से चावल की खरीद करने के लिए सामान्य अनुरोध किया गया है।

(ख) खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के इरादे को ध्यान में रखते हुये भारत में चावल के उत्पादन में कमी करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूखे वाले वर्ष में अनाज की कमी

5698. **श्री इराज्मु द सेकैरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सूखा पड़ने वाले वर्ष में सामान्यतया अनाज की कितनी कमी अनुभव की जाती है तथा किस-किस अनाज की; और

(ख) भांडागार की सुविधाएं देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है जिससे कम उत्पादन वाले वर्ष में अनाज की कमी को पूरा किया जा सके ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सूखा वाले वर्ष में अनुभव की गई खाद्यान्नों की कमी, सूखा पड़ने का समय और स्थान, प्रभावित क्षेत्र का फैलाव और सूखे की प्रखरता जैसे अनेक तथ्यों पर निर्भर करती है। अतः सूखे के कारण उत्पादन में कमी का ठीक-ठीक मात्रात्मक अनुमान तैयार करना संभव नहीं है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 34 लाख मी० टन की क्षमता के गोदामों के निर्माण-कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है ताकि बफर स्टाक के 50 लाख मी० टन खाद्यान्नों का भण्डारण किया जा सके। इसमें से 1969—70 और 1970—71 में 11.2 लाख मी० टन क्षमता क गोदाम बन कर तैयार हो चुके हैं ।

गिरिडीह कोयला खानों सम्बन्धी तकनीकी समिति का प्रतिवेदन

5699. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या इस्पात और खान मंत्री गिरिडीह कोयला खानों सम्बन्धी तकनीकी समिति के प्रतिवेदन के बारे में 24 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3065 के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खण्डिया सीम खानों के कार्यकरण की कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं और उनको क्रियान्वित करने के प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां): (क) और (ख). जी, हां, तकनीकी समिति द्वारा निम्नतर खाण्डिया खान के कार्यकरण के लिए विनिदिष्ट शर्तें निम्न प्रकार से हैं:—

(1) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को कम से कम 8 से 10 हजार टन प्रति मास के अपक्रय का आश्वासन दिया जाना चाहिए।

(2) स्थानीय संघों के साथ लिखित रूप से यह करार किया जाना चाहिए कि :–

(1) समस्त कार्य-दर भारोत्तोलकों को कम से कम 72 घनफीट (1 : 8 टन) प्रति व्यक्ति पारी अपक्रय उत्पादन सुनिश्चित करना चाहिए।

(ii) उपस्थिति नियमित होनी चाहिए और अनुपस्थिति 10 से 15% तक के (समग्रतः नहीं अपितु प्रत्येक श्रेणी में) मध्य निर्बन्धित करनी चाहिये।

(iii) खान का समग्रतः उत्पादन प्रति व्यक्ति-पारी 0.65 से कम नहीं होना चाहिए और मासिक उत्पादन लगभग 8,500 टन होना चाहिए। यदि इस खान से कोयले के लिए कोई सुनिश्चित अपक्रय नहीं है तो इसे तत्काल बन्द कर देना लाभप्रद है। उत्पादन के 8,500 टन प्रति मास के स्तर पर भी हानि 5 रुपए प्रति टन होगी जब उत्पादन प्रति-व्यक्ति पारी 0.55 होगा।

घटिया श्रेणी के उत्पादित कोयले की मांग की कुदक्षता को ध्यान में रखते हुए यह सम्भव नहीं हो सका है कि तकनीकी समिति द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम मासिक अपक्रय को प्राप्त किया जा सके। इसलिए समिति की अन्य सिफारिशों को कार्यान्वियन करने का प्रश्न नहीं उठता है।

समस्तीपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, बिहार को लाभ तथा हानि

5700. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री समस्तीपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, बिहार के प्रबन्ध के बारे में 24 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3097 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्तीपुर शुगर मिल्स लिमिटेड को सरकारी प्रबंध से पूर्व और सरकारी प्रबंध के दौरान कितना शुद्ध लाभ और कुल हानि हुई ; और

(ख) उक्त मिल में सरकारी प्रबंध को कितनी अवधि के लिये बढ़ाया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सरकारी प्रबंध से पूर्व सात वर्षों के दौरान और सरकारी प्रबंध के सात वर्षों के दौरान भी समस्तीपुर सेंट्रल शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा कमाया गया निवल लाभ और उठाया गया कुल नुकसान नीचे दिया जाता है :—

(लाख रुपयों में)

अवधि	हानि	लाभ	निवल हानि
1—सरकारी प्रबन्ध से पूर्व सात वर्ष अर्थात 1956-57 से 1662-63	29.15	1.34	27.81
2—1963-64 से 1969-70 तक सरकारी प्रबंध के सात वर्ष	26.97	6 82	20.15

(ख) इस मिल पर सरकारी नियन्त्रण फिलहाल 13 सितम्बर, 1971 तक है।

चौथी योजना में बिहार में नल कूप लगाने के लिये स्थानों के चयन की कसौटी

5701. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **चौथी योजना** में बिहार में नलकूप लगाने हेतु स्थानों के चयन के लिये क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : बिहार में नलकूपों के स्थानों के चयन के लिये निम्नलिखित मापदंड हैं:—

(1) मुख्य परियोजनाओं के अंतर्गत न आने वाले वर्षा से सिंचित क्षेत्रों तथा वारंवार सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में नये नलकूपों के स्थान-निर्धारण में प्राथमिकता दी जानी चाहिये;

(2) जिन क्षेत्रों में नलकूप स्थित हैं, वे बाढ़ से युक्त होना चाहिये;

(3) प्रस्तावित स्थान से विद्युत वाहन लाइन एक मील से दूर नहीं होनी चाहिये ;

(4) समीपस्थ कुओं के बीच भूतलीय जल के आधार पर 2,100 से 3,000 फीट की न्यूनतम दूरी होनी चाहिये; और

(5) स्थान सुगम्य होना चाहिये, जिससे रिग तथा अन्य संयंत्र आसानी से ले जाये जा सकें।

सौराष्ट्र, गुजरात में नमक श्रमिकों का कल्याण

5702. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि सौराष्ट्र (गुजरात) में नमक श्रमिकों के लिये कल्याण संबंधी कार्य की कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके लिये कल्याण कार्य आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि निरीक्षणों के दौरान कारखाना निरीक्षक यह देखते हैं कि नमक कार्यों में नियोजित श्रमिकों के लिए उनके कार्य-स्थलों पर पेय जल, पेशाब घरों और शौचालयों जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। वे ऐसे कारखानों में जहां 50 से अधिक महिलाएं नियोजित हैं, बालगृह के लिए भी जोर देते हैं। 1970-71 के दौरान, सौराष्ट्र क्षेत्र में कुदा नामक स्थान पर श्रमिकों के लिए एक श्रमिक कल्याण केन्द्र खोला गया। चौथी पंच वर्षीय योजना में, इस राज्य में नमक कार्यों में मूल सुविधाओं के लिए 10 लाख रुपयों की व्यवस्था है। जिन उद्देश्यों के लिए नमक उपकर अधिनियम के अधीन एकत्र किया गया उपकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उनमें से एक उद्देश्य नमक उद्योग में नियोजित श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना है। नमक आयुक्त इस ओर ध्यान दे रहे हैं।

मजूरी बोर्डों को शक्तियां देना

5703. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रमिकों के मजूरी संबंधी मामलों के साथ निपटने और पंच निर्णय देने के लिये मजूरी बोर्डों और उनके अध्यक्षों को अधिक शक्तियां देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या विचार है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई स्पष्ट प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) से (ग). राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी बोर्डों के गठन और उनके अध्यक्षों के कार्य में परिवर्तन की सिफारिश की है । इस विषय पर त्रिपक्षीय बैठकों में व्यक्त विचारों के प्रकाश में आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ।

World Bank Report on Implementation of Land Reforms

5704. **Shri Narendra Singh Bist** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to news item published in the daily 'Nav Bharat Times' dated the 28th June, 1971 to the effect that the World Bank has given a warning in its report presented at the Paris Aid Club Meeting that if land reforms are not implemented in India immediately, there would be a wave of unrest in the country ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto and the action taken so far or proposed to be taken in future by Government to implement land reforms without any delay ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture : (Shri Annasaheb P. Shinde) ; (a) Yes. The attention of the Government has been drawn to the news item published in the Daily about the recommendations of the World Bank on Land Reforms.

(b) Emphasising the imperative need for land reforms, the World Bank has suggested a minimum reform programme providing for :

(i) Preparation of record of tenancies :

(ii) Fixation of cash rents as multiple of land revenue ;

(iii) Abolition of right of resumption by land-lords for personal cultivation or permitting it only in exceptional cases ; and

(iv) Regulation of surrenders by the tenants.

The report also refers to the steps under contemplation to reduce the ceiling limits and the problems connected with the enforcement of celling measures.

(c) Quite apart from what is purported to have been said in the World Bank Report or by anyone else, the Government of India have been anxious to remove the gaps between accepted policy and legislation and between enacted legislation and its implementation.

The problems connected with land reforms were discussed with the Chief Ministers at a Conference held in September 1970. The Government of India has also been taking up with the State Governments from time to time the question of taking specific legislative action. As a result of these efforts further progress has been achieved in enacting various pieces of land reforms legislation and implementing them.

रूरकेला इस्पात संयंत्र से प्रतिनियुक्त व्यक्ति

5705. **श्री एस० एस० महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र से प्रतिनियुक्तों को उड़ीसा वापिस भेजने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने इसका विरोध किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) प्रशासकीय सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनाई गई सामान्य नीति के अनुसार सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्त स्थायी सिविल सेवाओं के प्रत्येक अधिकारी को एक निश्चित तारीख तक यह बताना होगा कि क्या वह स्थायी रूप से उस उपक्रम की सेवा में जाना चाहेगा अथवा अपने मूल विभाग में वापस जाना चाहेगा। तदनुसार कारखाने में प्रतिनियुक्त, भारतीय प्रशासन सेवा (उड़ीसा संवर्ग) के दो स्थायी अधिकारियों को उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर वापस भेज देने का प्रस्ताव था। क्योंकि उनमें से किसी ने भी हिन्दुस्तान स्टील लि० में स्थायी रूप से सम्मिलित होने के बारे में अपनी रजामंदी नहीं दी थी।

(ख) उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि भारतीय प्रशासन सेवा (उड़ीसा संवर्ग) के अधिकारियों को हिन्दुस्तान स्टील लि० में प्रतिनियुक्ति पर ही रहने दिया जाए।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विज्ञापनों पर किया गया व्यय

5706. **श्री एस० एस० महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा कुछ लाख रुपया विज्ञापनों पर व्यय किया गया;

(ख) क्या ये विज्ञापन चेयरमेन के विशेष आदेशों के अधीन दिये गये; और

(ग) इससे वास्तविक उपलब्धि क्या हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 1970–71 में हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा दिये गये विज्ञापन वर्गीकृत तथा प्रदर्शन विज्ञापनों की श्रेणी में आते हैं, जो भर्ती, क्रय और निर्माण आदि कार्यों के लिए टेन्डर मांगने

आदि, बिक्री बढ़ाने तथा अपना प्रचार करने के लिए दिये गये थे और जिनका उद्देश्य कंपनी की गतिविधियों के बारे में जनता को जानकारी देना था। यह कहना कठिन है कि ऐसे विज्ञापनों से कितनी मात्रा में लाभ हुआ है।

रूरकेला इस्पात संयंत्र में आतिथ्य-सत्कार-व्यय की व्यवस्था

5707. **श्री एस० एस० महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र में आतिथ्य सत्कार व्यय की व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष मंत्रियों तथा बाहर से आने वाले अन्य व्यक्तियों के आतिथ्य सत्कार पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) जी, हां।

(ख) गत वर्ष राउरकेला इस्पात कारखाने में मनोरंजन पर कुल 1,02,082 रुपए खर्च हुए (जिसमें कम्पनी का आतिथ्य व्यय भी शामिल है)। इस खर्च में कारखाने की अन्तरविभागीय तथा विभाग-अभ्यंतर बैठकों पर खर्च हुआ 80,000 रुपया भी शामिल है।

रूरकेला इस्पात संयंत्र की चलती फिरती प्रदर्शनी

5708. **श्री एस० एस० महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के रूरकेला इस्पात संयंत्र की ओर से एक चलती फिरती प्रदर्शनी लगाई गई थी जो भिन्न भिन्न स्थानों पर गई थी;

(ख) क्या यह प्रदर्शनी भारत के केवल भव्य होटलों में ही लगाई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में हीरा-बहुल क्षेत्र के बारे में तकनीकी आर्थिक सम्भावना प्रतिवेदन

5709. **श्री के० के० रामा रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में रमालकोट्टा (कुरनूल जिला) में हीरा बहुल क्षेत्र के बारे में तकनीकी आर्थिक सम्भावना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है और उसे प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या समन्वेषी कार्य बन्द किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश में सब हीरों और कीमती पत्थरों सम्बन्धी परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिये "दी जैन कारपोरेशन ऑफ इंडिया" नामक एक अलग निगम की स्थापना की जा रही है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से उक्त परियोजना को बन्द न कर उसे चालू रखने का अनुरोध किया है ; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्वेषणों के परिणाम यह दर्शित करते हैं कि रमालाकोटा के हीरे वाला संगठन का सम्पूर्ण क्षेत्र वस्तुतः रेतीले पत्थर और मिश्र पिण्डाइम द्वारा अर्जित है जो कि केवल बहुत सीमित क्षेत्रों में ही प्राप्त है । व्यवहारित किए गए रेतीले पत्थर के 695 टन और संघटनात्मक रेतीले पत्थर के 989 टनों से प्रति १०० टन के लिए क्रमशः 0·24 कैरेट और 2·84 कैरेट के प्रभाव-क्षेत्रों का पता लगा है । उपलब्ध प्रभाव-क्षेत्र विच्छेद श्रेणी से बहुत निम्न प्रकार के हैं । न तो अयस्क की उपलब्ध राशियां और न ही प्रभाव-क्षेत्र प्रायोजना की आर्थिक जीविषुता स्थापित करते हैं ।

(ग) अन्वेषण के सम्पूरित होने पर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की रमालाकोटा (कुरनूल जिला) की संक्रियाएं 15–5–71 से बन्द कर दी गई है ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

(ङ) और (च). जी, हां । क्योंकि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा की गई संक्रियाएं केवल अन्वेषण सम्पूरित करने के लिए ही प्रारम्भ की गई थी, अतः उन्हें अन्वेषण सम्पूरित होने पर बन्द करना ही था ।

कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी के बेसिन में खनिजों की खोज

5710. **श्री वी० एस० मूर्ति** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी बेसिन में खनिजों की खोज आरम्भ की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो यह खोज कब की गई थी और उसके क्या परिणाम निकले थे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और तमिल नाडु, मैसूर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकारों द्वारा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी के बेसिनों में खनिजों के लिए समन्वेषण किया गया है ।

राज्य-वार/बेसिन-वार स्थित खनिजों की दर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्य/बेसिन	स्थित खनिज	उपलब्ध राशियां करोड़ टनों में
1	2	3
महाराष्ट्र (कृष्णा और गोदावरी बेसिन)	बाक्साइट	2.4
	मैंगनीज अयस्क	2.0
	कोयला	589.9
	चूना पत्थर (स्पन्द श्रेणी)	3.10
	चूना पत्थर (सीमेंट श्रेणी)	400.00 (संकेतित प्राक्कलन)
	लौह अयस्क	2.3
	केप नाइट-सिलिमेनाइट रॉक	0.23
	क्रोमाइट	0.048
	ताम्र	0.041
	टंगस्टेन (संकेन्द्रक)	544.5
मध्यप्रदेश (गोदावरी और महानदी बेसिन)	बाक्साइट	1.4 (लगभग)
	मैंगनीज अयस्क	2.0
	लौह अयस्क (बैलाडिला)	80.49
	चूना पत्थर (सीमेंट श्रेणी)	100.00
	चूना पत्थर (स्पन्द श्रेणी)	61.00
	फ्लोसरार	0.05
आंध्रप्रदेश (कृष्णा और गोदावरी बेसिन)	कोयला	551.4
	चूना पत्थर (सीमेंट श्रेणी)	1600.00 बढ़ कर
	चूना पत्थर (स्पन्द श्रेणी)	35.7 (लगभग)
	लौह अयस्क	8.3
	आधार धातुएं (सीसा-ताम्र)	1.9
तमिलनाडु (कावेरी बेसिन)	क्रोमाइट	(2540 टन)
	मैग्नेसाइट	4.1
	बाक्साइट	0.6
	जिप्सम	1.56
	क्रोमाइट	0.022
	बेरीट्स	(30,000 टन)
	रॉक फास्फेट	0.012

1	2	3
मैसूर (कृष्णा और कावेरी बेसिन)	चूना पत्थर (सीमेंट श्रेणी)	1500.00
	चूना पत्थर (स्पन्द श्रेणी)	10.00 (लगभग)
	क्रोमाइट	0.10 (लगभग)
	लौह अयस्क	266.4
	मैंग्नीज अयस्क	0.37
	एस्बेटास	(45994 टन)
	जिप्सम	0.068
उड़ीसा (महानदी और गोदावरी बेसिन)	सीसा अयस्क	0.474
	चूना पत्थर (सीमेंट श्रेणी) चूना पत्थर (स्पन्द श्रेणी)	3.8
	डोलोमाइट	0.6
	बाक्साइट	0.7
	अग्नि-मिट्टी	3.8
	मैंगनीज अयस्क	0.16
	कोयला	0.7 (लगभग)

Iron for Ram Ganga Dam in U. P.

5711. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the demand for Iron made by the Uttar Pradesh Government for Ram Ganga Dam and the date when the demand was made ;

(b) the loss suffered by the Uttar Pradesh Government due to non-supply of iron in time and the approximate value of the said iron ; and

(c) the time by which the iron supplies are likely to be made ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

भूमिहीन कृषि मजदूरों, सहकारी कृषि समितियों तथा संयुक्त कृषि समितियों को वितरित की गई भूमि

5712. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1971 तक के पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में, राज्य-वार, राज्य सरकारों को कितनी एकड़ भूमि को भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा कृषि मजदूरों द्वारा बनाई गई सहकारी कृषि समितियों एवं संयुक्त कृषि समितियों को वितरित किया गया; और

(ख) इन समितियों द्वारा कितने एकड़ भूमि में खेती की गई ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आंध्र प्रदेश में ढलवें लोहे का कारखाना लगाया जाना

5713. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में खम्माम में सरकारी क्षेत्र में ढलवें लोहे का एक कारखाना लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रति वर्ष कितना उत्पादन होने की आशा है; और

(ग) उसकी प्रति टन उत्पादन लागत कितनी होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) से (ग). इस समय सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश में खम्माम के स्थान पर कच्चे लोहे का कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम खम्माम जिले के कोठागुडम नामक स्थान पर एक 50,000 टन दैनिक क्षमता का एक प्रदर्शन प्लाण्ट (डिमोन्सट्रेशन प्लाण्ट) स्थापित करने की सम्भाव्यता पर विचार कर रही है । यह एक आदर्श कारखाना और प्रदर्शन केन्द्र होगा ।

मच्छेरी, सलेम, तमिलनाडु में आस्ट्रेलिया की सहायता से केन्द्रीय भेड़ पालन फार्म की स्थापना

5714. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सेलम जिले में मच्छेरी में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत मच्छेरी स्थित नर भेड़ों की नस्ल में सुधार करने के लिये आस्ट्रेलिया सरकार की सहायता से एक केन्द्रीय भेड़ फार्म आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त प्रस्ताव की इस समय क्या प्रगति है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

राज्य में सख्त चट्टान वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल सर्वेक्षण परियोजना के लिये कनाडा से सहायता

5715. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा की सहायता से सख्त चट्टान वाले क्षेत्रों के लिए भूमिगत जल सर्वेक्षण परियोजना आरम्भ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो समस्त राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु राज्य में इस प्रयोजन के लिए कितने केन्द्र चुने गये हैं;

(ग) इस प्रयोजन के लिये कनाडा की सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या तमिलनाडु के कोयाम्बतूर, सलेम, उत्तरी आरकोट, उत्तरी आरकोट का एक प्रदेश और मदुरे के पहाड़ी क्षेत्रों का इस योजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है और क्या इस बारे में राज्य सरकार ने केन्द्र को कोई समाचार भेजा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, अप्रैल 1971 से।

(ख) एकमात्र परियोजना आन्ध्र प्रदेश में लगभग 3,000 वर्गमील क्षेत्र में तथा मैसूर के लगभग 160 वर्गमील क्षेत्र में फैली हुई है। इस योजना के अन्तर्गत तमिल नाडु का कोई भी क्षेत्र नहीं आता।

(ग) कनाडा सरकार से विशेषज्ञों, उपकरणों वाहनों तथा भारतीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के रूप में कुल 53,00,000,00 रुपये की सहायता प्राप्त होगी।

(घ) इस परियोजना में अन्य क्षेत्रों को सम्मिलत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तमिलनाडु में भूमिगत जल खोज योजना के अन्तर्गत नलकूप लगाना

5716. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में भूमिगत जल खोज योजना के अन्तर्गत अब तक कितने नलकूप लगाये गये हैं;

(ख) तमिलनाडु में उक्त नलकुप किन-किन स्थानो पर लगाये गये हैं; और

(ग) योजना पर कुल कितना खर्च आया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) वर्ष 1955–56 से मार्च, 1971 तक 85 कुएं। इनके अतिरिक्त 4 उत्पादन कुएं भी खोदे गए हैं।

(ख) जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 720/71.]**

(ग) समन्वेषी कुओं पर 23,78,492,00 रुपए और निक्षेप कुओं पर 76,604.00 रुपए का कुल व्यय होता है।

शरणार्थियों का विभिन्न स्थानों पर भेजा जाना बन्द करना

5717. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरणार्थियों को विभिन्न स्थानों पर भेजना वास्तव में बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं। पश्चिम बंगाल से शरणार्थियों को रायपुर (मध्य प्रदेश) में माना, बिहार में गया और उत्तर प्रदेश में इरादतगंज के केन्द्रीय शिविरों में भेजने का कार्य चल रहा है और 1,13,608 शरणार्थी माना शिविर में, 7,922 गया में और 2,901 व्यक्ति इरादतगंज में भेजे जा चुके हैं। त्रिपुरा से शरणार्थियों को आसाम में चांगसारी, सौर भोग तथा बहालपुर के केन्द्रीय शिविरों में भेजने का कार्य भी चल रहा है और 14 जुलाई, 1971 तक लगभग 20,000 व्यक्ति त्रिपुरा से बाहर भेजे जा चुके हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सम्बलपुर, उड़ीसा के लिए द्रुत कार्यक्रम की क्रियान्विति

5718. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत योजना के अन्तर्गत सम्बलपुर जिले के लिए दी गई राशि चार महिने के अन्दर कार्य को पूरा करने के लिए अभी खर्च की जानी है;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित करने के लिए सम्बलपुर जिले के बारे में राज्य सरकार के प्रस्ताव 13 जुलाई, 1971 को प्राप्त हुए थे । उनकी जांच की जा रही है । स्वीकृति के पश्चात् जो धनराशि आवंटित की जाएगी, उसे 31 मार्च, 1972 से पूर्व व्यय करना होगा ।

(ख) व (ग) के बारे में प्रश्न नहीं उठते ।

झींगरबाह कोयला खान में आग

5719. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झींगरदाह कोयला खान में कोयले में आग लग गई है तथा इसके कारण सरकार को भारी हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो आग को बुझाने के लिए क्या कदम उठाए गए तथा इसमें कितनी सफलता मिली?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख). जी हां । झिंगुरदा कोयला स्वत: प्रज्वलन के लिए अत्यधिक सुग्राही है । 10-5-1971 को खान के एक भाग में आग का पता चला था और 7000 टन कोयला शेल जो कि आग से प्रभावित हुए थे, खोदे गए थे । जब भी आग ध्यान में आई उसी समय प्रभावित क्षेत्र में पानी डालकर आग को बुझा दिया गया है और प्रभावित कोयला और शेल को खोदा गया है । राष्ट्रीय

कोयला विकास निगम ने उस विशेष कार्रवाई के लिए, जो कोयले की परत में स्वतः अग्नि की पुनरावृति को रोकने के लिए की जा सके, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान से परामर्श भी मांगा है।

अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता इत्यादि की शिकायतें

5720. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के उन अधिकारियों के पदनाम क्या हैं जिनके विरूद्ध 1967 से अब तक भ्रष्टाचार दुर्व्यवहार तथा अन्य अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तथा उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : एक विवरण जिसमें 30 जून, 1971 तक की अपेक्षित जानकारी दी गई है, संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 721/71.**]

देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में

RE. FLOOD SITUATION IN THE COUNTRY

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की नवीनतम स्थिति क्या है ? समूचा आरामबाग जलमग्न हो गया है। सैकड़ों मकान गिर गये हैं और हजारों व्यक्ति बेघर हो गये हैं। मैंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को इस बारे में तार भेजा है। मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में क्या किया गया है। वहां बाढ़ से बचाव सम्बन्धी कार्य किये जाने की आवश्यकता है। वहां पर अनाज भेजा जाना चाहिये। मैं यह केवल मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिये कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस सम्बन्ध में तारीख निर्धारित कर दी है। जब यह विषय सभा में लिया जाये, तब आप इस सम्बन्ध में बोल सकते हैं।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

श्री कृष्ण हाल्दर (औसग्राम) खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में संक्षेप में उल्लेख करें।

श्री कृष्ण हाल्दर : लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम 222 के अधीन मैं दुर्गापुर में 15 जुलाई को हुई घटना के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव पेश करता हूं। उस दिन जब मैं अपनी कार में दुर्गापुर के ए० वी० बी० कारखाने के श्रमिकों की बस्ती से, जहां मैं घंटनी तथा

पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों के विषय में जांच करने के लिये गया था, लौट रहा था, तब मेरी कार पुलिस और केन्द्रीय आरक्षित पुलिस द्वारा, जिसका नेतृत्व अतिन मुकर्जी, असिस्टैन्ट-इन्सपेक्टर कर रहे थे, ए० वी० बी० के प्रशिक्षु छात्रावास के निकट रोकी गई । सादे वेष भूषा वाले पुलिस अधिकारी ने मुझे कार से उतरने तथा साथ चलने के लिये कहा । तब मैंने उस पुलिस अधिकारी को संसद का अपना पहचान पत्र दिखाया । इस पर उसने चिल्लाते हुए कहा कि चाहे तुम संसद सदस्य हो, इस बात से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझसे पुनः कार से उतरने के लिये कहा । उसका व्यवहार बड़ा अपमानजनक, अभद्र और असभ्यतापूर्ण था और वह अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहा था उसने मुझे जबरदस्ती कार से उतारा । मेरे बार-बार यह कहने पर भी कि यह अनुचित बात है और इससे वह मेरे संसद सदस्य के रूप में प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर रहा हैं, उसने मुझे पुलिस स्टेशन चलने को बाध्य किया । मेरे साथियों के साथ तो और दुर्व्यवहार किया गया ।

मुझे एम० ए० एम० सी० जांच केन्द्र में ले जाने के बाद उस केन्द्र के सब इन्सपेक्टर ने मुझ से कुछ प्रश्न पूछे और एक घंटे के बाद मुझे मुक्त कर दिया गया । मेरे एक साथी को पुलिस ने पीटा किन्तु मेरे साथ मेरे साथियों को भी मुक्त कर दिया गया । जिस अधिकारी ने मुझसे पूछताछ की, उसने इस समूची घटना के लिये खेद व्यक्त किया । बाद में मैंने एक समाचार देखा जिसमें यह कहा गया था कि एस० डी० पी० ओ० ने कहा कि मेरी कार में एक छुरा प्राप्त हुआ है। मैं स्पष्ट और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यह सफेद झूठ है । और मेरी नजरबंदी को उचित ठहराने के लिये यह कहानी गढ़कर के समाचार पत्रों में छपने के लिये दी गई । मेरी कार से पुलिस ने कुछ भी बरामद नहीं किया और न ही पुलिस को इसमें कुछ प्राप्त हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरी शिकायत की गंभीरता को समझेंगे। मुझे एक घंटे से भी अधिक समय तक नजरबंद किया गया और पूछताछ की गई किन्तु यह मामला अध्यक्ष महोदय को नहीं बताया गया । मैं इसे विशेषाधिकार का मामला मानता हूं। और जिन व्यक्तियों ने मुझे गिरफतार तथा नजरबन्द किया वे प्रथम दृष्टि में ही विशषाधिकार को भंग करने के दोषी हैं ।

मेरा इस तरह अपमान करके और मुझे गिरफ्तार तथा नजरबन्द करके पुलिस ने मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करने के अधिकार से वंचित किया है । मैं एक संसद सदस्य हूं और पश्चिम बंगाल सरकार में भूतपूर्व मंत्री भी रहा हूं । यदि पुलिस मेरे प्रति ऐसा अशिष्ट और अभद्र तथा अपमान जनक व्यवहार कर सकती है तो आप अच्छी तरह सोच सकेत हैं कि सामान्य व्यक्ति, जो इस सभा में विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं ला सकता है के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा । मैं अनुरोध करता हूं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया गया था तो मुझे एक्सप्रेस तार द्वारा तत्काल सूचना भेजी जानी चाहिये थी । मैंने अपने कार्यालय से पता किया है कि इस सम्बन्ध से हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । अतः मैं इस मामले को तथ्यों की जांच करने हेतु गृह मंत्री के पास भेज रहा हूं । वहां से आने पर मैं इसे सभा में रखूँगा ।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम (तिरूचिरापल्ली) : सरकार का स्वयं इसमें हाथ है ।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : क्या मैं यह नहीं कह सकता कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह मंत्री से पूछ रहा हूं कि स्थिति क्या है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आपने माननीय सदस्य का विशेष वक्तव्य सुन लिया है कि उन्हें पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था । अब इस मामले को गृह मंत्री के पास भेजने से क्या लाभ है ? क्या आपको मंत्री के वक्तव्य पर विश्वास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह विश्वास न करने का प्रश्न ही नहीं है। मैं तो गृह मंत्री से तथ्यों की जानकारी चाहता हूं । (**व्यवधान**)

श्री कल्याण सुन्दरम : आप हम पर पूरा विश्वास रख सकते हैं । किन्तु जहां तक पुलिस के इस व्यवहार का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि पुलिस के पास गिरफ्तार के बारे में कोई रिकार्ड नहीं होगा और कल वह कह सकेंगे कि हमने सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया है। अतः गृह मंत्रालय द्वारा जांच कराने के बजाय सदस्य के वक्तव्य को ध्यान में रखा जाये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आखिरकर, मुझे तथ्यों का पता लगाना है ।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Kindly refer it to the Privilege Committee. Such a case was referred to the Privileges Committee last time also.

अध्यक्ष महोदय : पिछली बार भी मैंने ऐसा ही किया हमने उससे जानकारी प्राप्त की थी और तत्पश्चात् मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा था। आप इस प्रकिया को जानते हैं। हम इस प्रक्रिया का पालन करते हैं ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उस पर आपको ध्यान देना चाहिये । (**व्यवधान**)

अनेक माननीय सदस्य खड़े हो गये।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल गिरफ्तारी के तथ्यों के बारे में जानना चाहता हूं जहां तक अपमान किये जाने की बात है, मैं इससे सहमत हूं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये था। मैं यह जानना चाहता हूं कि गिरफ्तारी की सूचना मुझे क्यों नहीं भेजी गई ।

श्री त्रिदीब चौधरी (बरहामपुर) : मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने पहले ही कह दिया है कि पुलिस कभी यह नहीं कहेगी कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह की घटना तीसरी लोक सभा में मेरे तथा श्री मधु लिमये के साथ भी हुई थी । जहाज से उतार कर हमें कार में बिठाया गया और वहां से हमें मुगलसराय ले जाया गया । यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था ।

इस मामले में भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। जब वह संसद सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहे थे तब उन्हें गलत ढंग से नजरबंद रखा गया। अत: इस तथ्य की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय सदस्य के वक्तव्य के आधार पर इस मामले को सीधे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : यदि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है तो वे उन्हे पुलिस स्टेशन कैसे ले जा सकते हैं। पुलिस का तो यह तरीका ही है। दूसरे, सदस्य महोदय ने जो कुछ कहा है उस पर अध्यक्ष महोदय को विश्वास करना होता है। अध्यक्ष महोदय को संसद सदस्यों के अधिकार का संरक्षण करना ही होता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है अथवा नहीं.... (**व्यवधान**)। जहां तक कि अन्य मामलों का संबंध है, यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, यदि उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया था और नजरबंद रखा गया था, तो इससे मेरा संबन्ध है। यह सब आपके समक्ष आयेगा। किन्तु मुझे यह जानना चाहिये कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है.... (**व्यवधान**)

श्री त्रिदीब चौधरी : यदि सदस्यों के विशेषाधिकारों के प्रति अध्यक्ष महोदय का यह दृष्टकोण है, तो मैं सभा कि कार्यवाही में भाग लेना नहीं चाहता।

(**तत्पश्चात् श्री त्रिदिब चौधरी सभा भवन से बाहर चले गये।**)
(**Shri Tridib Chaudhuri then left the House.**)

(**तत्पश्चात् श्रीपी० के० देव : और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।**)
(**Shri P. K. Deo and some Hon. Members then left the House.**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अध्यक्ष महोदय को पूरा अधिकार है कि वह इस मामले पर विचार करने के लिये जितनी भी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करना चाहें, वह करें। हमें इस बात पर विचार करना है कि वह जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसका सम्बंध इस प्रश्न से है कि क्या यह मामला ऐसा है जिसे विशेषाधिकार का मामला कहा जा सकता है अथवा नहीं। यदि दूसरा पक्ष इस बात का प्रतिवाद करे कि सदस्य को नजरबंद नहीं किया गया था तो क्या इससे मामले पर विशेषाधिकार के मामले के रूप में विचार करने में कोई बाधा पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस प्रस्ताव को रद्द नहीं किया है। मैंने अपनी स्वीकृति देने से भी इंकर नहीं किया है। मैं तो गृह मंत्री से इतना जानना चाहता हूं कि क्या सदस्य को गिरफ्तार किया गया था। (**व्यवधान**) मैंने इस बारे में अपना कोई निर्णय नहीं दिया है। यह अभी विचाराधीन है। अपनी अन्तिम स्वीकृति देने से पहले मुझे यह अधिकार प्राप्त है कि मैं इस बात का पता लगा लूं कि क्या सदस्य को गिरफ्तार किया गया था अथवा नहीं। यह परंपरा रही है कि जब किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है और मुझे इसकी सूचना नहीं दी जाती है, तब मुझे यह पूछना होता है कि यह सूचना मेरे पास क्यों नहीं आई है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम सभा छोड़कर बाहर जाते हैं क्यों कि हम इस मामले को गंभीर मानते हैं।

(तत्पश्चात् श्री श्यामनन्दन मिश्र और कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।)

(Shri Shyamnandan Mishra and some hon. Members then left the House.)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह बहुत अनुचित बात है।

श्री एस० एम० बनर्जी : सदस्य द्वारा वक्तव्य देने के बाद मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिये। अन्यथा यह गलत पूर्वदृष्टांत बन जायेगा। और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा पुलिस को प्रोत्साहन मिलेगा। जो हम सदस्यों को बिना किसी भय के पीटेंगे भी और यदि हम सम्पर्क स्थापित करेंगे तो गृह मन्त्रालय हस्तक्षेप करेगा। कृपया अपनी स्थिति में परिवर्तन कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय तो नहीं दिया है। सदस्य के इस वक्तव्य के साथ कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था मैं वहां से भी जानकारी चाहता हूं।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : So far as wrongful restraint, misbehaviour with the Member and disrespect to him are concerned, this matter can be referred to the Privileges Committee.

श्री समर गुह : इसमें न केवल एक सदस्य का विशेषाधिकार अपितु इस सभा के सभी सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है। यदि श्री कृष्ण चन्द्र हालदर को गिरफ्तार किया गया है, तो अध्यक्ष महोदय को सन्देश भेजा जाना चाहिये था। किन्तु उन्हें सन्देश नहीं मिला है। प्रथम दृष्टि में यह विशेषाधिकार का मामला बनता है और यदि अध्यक्ष महोदय इस मामले को विशेषाधिकार समिति को नहीं सौंपना चाहते हैं, तो मैं इसका विरोध करते हुए सभा से बाहर चला जाता हूं।

(तत्पश्चात् श्री समर गुह सभा-भवन से बाहर चले गये।)

(Shri Samar Guha then left the House.)

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : हमारा अध्यक्ष महोदय की निष्पक्षता में पूरा विश्वास है। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस सभा के प्रत्येक सदस्य के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करेंगे। हमें खेद है कि हमारे मित्र सभा भवन से बाहर चले गये हैं। यह ऐसा मामला नहीं था जिस पर उन्हें ऐसा कदम उठाना चाहिये था। आप प्रत्येक सदस्य के अधिकारों के अभिरक्षक हैं और आप निस्सन्देह यह सुनिश्चित करें कि हमारे अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा की जायेगी। निस्सन्देह इस मामले में मैं आपको सहयोग दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जब सदस्य मुझसे मेरे कक्ष में मिले थे तब मैंने उन्हें बताया था कि मैं इसे विशेषाधिकार-भंग मानता हूं किन्तु मैं मंत्री महोदय से गिरफ्तारी के बारे में जानना चाहता हूं। किन्तु यहां पर जो कुछ हुआ है, उस पर मुझे आश्चर्य है। मैंने पहले ही बताया है कि मेरी उनके प्रति पूरी सहानुभूति है।

Shri Ram Chandra Vikal (Baghpat) : Mr. Speaker, I would like to say something on this point.

Mr. Speaker : Now I go over to the next item.

Shri Ram Chandra Vikal : Mr. Speaker, you are competent to give any decision. Sir, you agreed to take it up as a question of privilege. But even then you want to know from the Ministry of Home Affairs in this connection only because of the fact that no communication has been sent to you regarding the arrest of the member. In my opinion the statement made by the Member here is more believable than the telegram or the communication.

Mr. Speaker : It is a procedural matter.

नियमानुसार अध्यक्ष को अवश्य ही जानकारी दी जानी चाहिये । यह सदस्य पर विश्वास करने अथवा विश्वास न करने की बात नहीं है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की समीक्षा और प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : मैं शाह नवाज़ खां की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची, के वर्ष 1969–70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा

(2) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची, का वर्ष 1969–70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-713/71.**]

गुजरात उत्तरजीवी अन्य संक्रामण उत्सादन (संशोधन) नियम

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित, गुजरात उत्तरजीवी अन्य संक्रामण उत्सादन अधीनियम 1963 की धारा 28 की उपधारा (2) के अंतर्गत गुजरात उत्तरजीवी अन्य संक्रामण उत्सादन (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 5 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एच० एम०/1766/एम/जी एस ए/1071/28810/वाई से में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 712/71.**]

कर्मचारी भविष्य निधि योजना सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के वर्ष 1967-70 के कार्य सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, [**ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल० टी० 714/71.**]

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बारे में
RE. CALLING ATTENTION

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कार्य सूची के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल तीन बजे हमने सूचना पट पर आज के लिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जोकि पांच सदस्यों के नाम में है देखा था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत में प्रेक्षक भेजने के बारे में था किन्तु आज जब मैंने सूचना-पट देखा तो यह गायब है।

मेरा निवेदन है शायद सरकार ने उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को वापस लेने के लिये सदस्यों से अनुरोध किया है। आप इस विषय पर ही एक दूसरे प्रस्ताव को गृहीत कर लें। यह प्रस्ताव उस समाचार पर आधारित है। जिसमें कहा गया है कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों का भेजा जाना स्वीकार नहीं किया है। मुझे अफसोस है कि उन सदस्यों ने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि सदस्यों ने उस प्रस्ताव को वापिस ले लिया है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : यदि यह कार्य सूची में प्रकाशित हो जाये तो भी सदस्य उसे प्रस्तुत न करना चाहें तो वह ऐसा कर सकते हैं। वह उसे वापस ले सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : पहले बैलट नहीं होता था। अगर अब उन सदस्यों ने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया है, तो मुझे क्यों वंचित रखा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं है। जिन लोगों के नाम थे उन्होंने प्रस्ताव वापस ले लिया है। मुझे आप बताइये कि क्या ऐसे नियम हैं जिनके अनुसार सदस्य प्रस्ताव वापस नहीं ले सकते ?

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय मैं राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्निलिखित संदेशों की सूचना देता हूं:—

(एक) कि राज्य सभा ने दिनांक 19 जुलाई 1971 को हुई अपनी बैठक में गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971 पास कर दिया है

(दो) कि राज्य सभा ने दिनांक 19 जुलाई, 1971 को हुई अपनी बैठक में पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971 पास कर दिया है।

विधेयक, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में सभा-पटल पर रखे गये

BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA LAID ON THE TABLE

सचिव : महोदय मैं, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में निम्न लिखित विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं।

(एक) गुजरात राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971.

(दो) पंजाब राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971.

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : निम्न सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई :

(1) श्री जे० रामेश्वर राव

(2) महाराजा मार्तण्ड सिंह

(3) श्री अमृत नाहाटा

(4) श्री कृष्ण अग्रवाल

(5) श्री एन० के० पी० साल्वे

(6) श्री झारखण्डे राय

गुजरात बजट

GUJARAT BUDGET

श्री ए० के० साहा (विष्णुपुर) : गुजरात में भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। सत्तारूढ़ दल अन्य दलों के सदस्यों को खरीद रहा है और गुजरात भी राजनीति को दूषित कर रहा है यह बड़े लज्जा की बात है कि एक ओर तो सरकार दल-बदल की प्रवृत्ति को रोकने के सम्बन्ध में कानून बनाने जा रही है, जबकि दूसरी और वह स्वयं ही सदस्यों को बेचने और खरीदने की नीति को प्रोत्साहन दे रही है। हम सत्तारूढ़ दल की इस नीति की भर्त्सना करते हैं। उसके इस दल का राज कई राज्यों में होने वाली घटनाओं से खुल गया है।

बजट प्रस्तावों के सम्बन्ध में वही सिद्धान्त अपनाये गये हैं जो केन्द्रीय सरकार के बजट के लिए निर्धारित किये गये हैं। करों के रूप में कुल 133 करोड़ रुपये की आय होती है और इसमें से प्रत्यक्ष करों के रूप में केवल 22 करोड़ रुपये ही प्राप्त होंगे। शेष 111 करोड़ रुपये की राशि अप्रत्यक्ष करों से

इकट्ठी की जानी है, इसका आम जनता पर काफी कुप्रभाव पड़ेगा तथा इससे मुद्रा स्फीति में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार के कर-ढाँचे से अमीरी और गरीबी का अन्तर और बढ़ जायेगा। इसके परिणाम स्वरूप जनता के कष्ट और बढ़ेंगे।

बजट सरकार की नीति से जुड़ा हुआ है। इससे सत्तारूढ़ दल की, जिसने जनता को साम्प्रदायिकता, जातिवाद, तथा अन्य ऐसे ही रोगों के अलावा कुछ नहीं किया है, सामान्य नीति सामने आती है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि अगर सरकार की लोक तंत्र-विरोधी कार्यवाही जारी रही तो इस राज्य की जनता उसे कदापि सहन नहीं करेगी।

श्री याज्ञिक (अहमदाबाद) : यद्यपि मैं मांगों का समर्थन करता हूं तथापि गुजरात की नई राजधानी पर खर्च के लिए जो राशि मांगी गई है मैं उसके बारे में सन्तुष्ट नही हूँ। अहमदाबाद जैसा नगर हमारे पास होते हुए भी हमें नई राजधानी बनाने की क्या आवश्यकता है। यह शहर गत पांच सौ वर्षों से राजधानी रहा है।

इस नई राजधानी पर 50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। लगभग 30 करोड़ रुपये पहले ही खर्च हो चुके हैं। इंजीनियरों की राय है कि इस पर एक अरब रुपये से कम खर्च नहीं आयेगा।

इसके अलावा नई राजधानी गुजरात के लोगों के लिए सुविधाजनक भी नहीं हैं। सारी रेल गाड़ियां और सारा परिवहन अहमदाबाद होकर आया जाया करेगा। सचिवालय और मंत्रालयों के भवनों तक पहुंचने में 15 मील की यात्रा करनी पड़ेगी। इससे समय और धन दोनों ही नष्ट होंगे।

इस नई राजधानी के निर्माण के विरोध में गत तीन वर्षों से लगातार आवाज उठती रही है। जब बम्बई राज्य का गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के रूप में विभाजन हुआ तो नई राजधानी के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया था, हमें आश्वासन दिया गया था कि इस पर 10 करोड़ रुपये से अधिक खर्च नहीं होगा। नई राजधानी 3 और 4 मील की दूरी में बसाने की योजना बनाई गई थी। परन्तु अब हम पर ऐसी राजधानी लादी जा रही है जिस पर एक अरब रुपये तक का खर्च होगा और यह भार गुजरात की जनता को सहना पड़ेगा। इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो एक समिति नियुक्त करें जो इस विषय की जांच करेगी और यह देखेगी कि क्या इस राजधानी का कम लागत पर निर्माण किया जा सकता है।

यदि नगर के निकट कम खर्च पर राजधानी का निर्माण किया भी गया तो भी यह देखना होगा कि बड़े पैमाने पर जो निर्माण हो चुका है उसका उपयोग कैसे किया जायेगा। इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार और केन्द्र सरकार को विचार करना चाहिए।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : While presenting the Gujarat Budget, the Finance Minister had stated that the Central Government would not only look after the day to day administration of the State, but also pay attention to its development. We are to see how far this assurance has been followed in the present budget. We have also to see how far this budget is able to take the people of the state towards a socialist order which Government profess to do.

If we look at the budget from this angle, we are not convinced that this is a good budget in any way. The hopes aroused in the people of the State that Central Government

would undertake new development works would be belied. There is nothing in the budget either to tax the rich or to stop exploitation of the poor.

So far as the question of lan l ceilings is concerned, although the state has passed a law yet the ceilings fined are the highest in the country. It is 113 acres as compared to 40 acres in Bihar. Is there any proposal in the budget for any scheme to reduce this ceiling and to distribute the surplus land among the landless people ?

Also, there is no provision in the budget for making secondary education free. Even any attempt had also not been made to reduce the wasteful expenditure on administration.

The conditions of Harijans and other backward classes in the State continues to be petiable and they are still subjected to all sorts of indignities. There was a proposal to give ownership of fallow land to Harijans which was in their occupation from 1960 to 1964. My party wants that this period should be extended upto 1970. But there is no provision in the budget in this regard.

It is necessary to force a minimum wage of Rs 5/- for landless agricultural labour so that their economic condition is improved.

Sometime back, there were communal riots in the State and certain officers were found quilty in this regard. They have not so far been punished.

A large reserve of natural gass is available in the state. But there is no scheme in the budget for its exploitation.

The Narmada Scheme is lying in cold storage and the State is suffering from lack of irrigation facilities. Let us resolve this dispute early so that water is made available for irrigation.

Ahmedabad is in industrially developed town, but the concern there have not so far been provided with basic aminities, such as housing. Thus facilities should be provided to them immediately.

There are many factories in Gujarat where small oil engines are manufactured. This industry is facing a lot of difficulties as a result of which it can not progress.

In spite of Narmada River, there is lack of irrigation facilities in Gujarat State. The Narmada Scheme is lyingin cold storage and the state is suffering due to irrigation facilities. This dispute should be resolved immediately so that water is made available for irrigation.

Ahmedabad is an industrially developed town, but even the basic facilities like housing have not been provided to them so far. There should be no further delay in providing them these facilities.

श्री जदेजा (जामनगर) : मैं वर्ष 1971-72 के लिए गुजरात राज्य के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस बजट को तैयार करने वाले बधाई के पात्र हैं ।

इस बजट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और हरिजनों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है जबकि इनके लिये पहले कुछ भी नहीं किया गया था । बजट में अधिक उपज पैदा

करने वाले बीजों तथा उर्वरक का भी उल्लेख किया गया है । किन्तु सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि बहुत से ग्रामीणों ने मिश्रित बाजार एकत्रित कर रखा था और पिछले वर्ष उन्हें भारी हानि उठाना पड़ी । इसका उन्हें जो मुआवजा दिया जा रहा है वह बहुत कम है। यदि किसान किसी भी ढंग से प्रगतिशील योजनाओं का समर्थन करते हैं तो उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना अशोभनीय है और इससे कृषि के विकास में बाधा पड़ेगी ।

सिंचाई सुविधाओं के सम्बन्ध में यदि हम मोटे तौर पर देखें तो पाएंगे कि असली गुजरात में स्थिति अच्छी है परन्तु सौराष्ट्र में एक जिले को छोड़ अन्य सभी जिलों की उपेक्षा की गई हैं। जामनगर में प्रारम्भ से ही हमें सूखा-पीड़ित क्षेत्र मिलते हैं । इन क्षेत्रों में अब तक जो भी सिंचाई सुविधाएं दी गई हैं, वे लघु सिंचाई योजनाएं हैं और इन योजनाओं के लिए लोगों को 10 प्रतिशत लागत देनी पड़ती है जो पानी रोकने वाले बांधों और नीचे से रिसने वाले तालाबों पर खर्च की जाती है । यह बात अनुचित है। पानी के खारे पन को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार को इन क्षेत्रों में संयंत्र लगाना चाहिये क्योंकि अरब महासागर इनके बहुत निकट है ।

भूमि जोतने वालों को भूमि का स्वामी बनाने के संबंध में एक और बात कही गई है । इस योजना का स्वागत है। गुजरात सरकार ने एक योजना कार्यान्वित की है जिसके अन्तर्गत सशस्त्र सेनाओं में कार्य करने वालों को पर्याप्त भूमि देकर उनकी सेवाओं की सराहना की है और बहुत से सैनिक गुजरात में बस गए हैं। इनमें से अधिकांश लोग अन्य राज्यों के हैं। परन्तु विडम्बना यह है कि भूमि ग्रहण करने के पश्चात यह लोग अपनी भूमि बेच कर अपने राज्यों में वापस चले जाते हैं। कुछ इस प्रकार का विधान बनाना चाहिए जिससे कि यह लोग अपनी भूमि न बेच सकें और स्थानीय लोगों को अपने अधिकारों से वंचित न किया जाए।

ग्राम विद्युतीकरण के संबंध में गुजरात तथा सौराष्ट्र के बीच भेदभाव किया जा रहा है। सभी मुख्य नदी घाटी परियोजनाएं और जल विद्युत योजनाएं असली गुजरात में हैं। सरकार को सौराष्ट्र में तटीय रेखा पर कहीं आणविक संयंत्र स्थापित करने पर विचार करना चाहिये । जिससे न केवल विद्युतीकरण की अपितु सिंचाई समस्याओं का भी समाधान किया जा सकेगा।

राज्य में लड़कियों को निःशुल्क प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा देने के प्रस्ताव के लिए सरकार बधाई की पात्र है । गुजरात प्राथमिक में शिक्षा पूर्णतया पंचायतों के हाथ में है। ये पंचायतें शिक्षा को महत्व देने की बजाय अध्यापकों के स्थानांतरण में अधिक व्यस्त रहती है। मेरा अभिप्राय यह नहीं कि प्राथमिक शिक्षा पंचायतों से ले लेनी चाहिए अपितु ऐसे उपाय किए जाने चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा पर दोहरा नियंत्रण किया जा सके और इन पंचायतों का सुधार हो।

6 जिलों में 12 अम्बर चर्खा केन्द्र स्थापित करने की बात कही गई। ये केन्द्र 6 जिलों में ही नहीं बल्कि राज्य के सारे जिलों में स्थापित किए जाने चाहिए ताकि ग्रामों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके ।

गुजरात में गहरे सागर में मछली पकड़ने और मोती निकालने की काफी क्षमता है, किन्तु इसकी उपेक्षा की जाती रही है । इस मामले पर पुनः विचार किया जाना चाहिए और ऐसे कार्यों के लिए इसे अड्डा बनाना चाहिए । स्थानीय एवं विदेशी पर्यटन की दृष्टि से गुजरात में बहुत अधिक

सम्भावनाएं हैं। वन विभाग का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ताकि वन्य जीवन का विकास किया जा सके।

बजट में पुल तथा लोक निर्माण कार्यों की व्यवस्था करने के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा किन्तु केवल धन की व्यवस्था करने और योजनाओं की केवल कागज पर स्वीकृति देने से बात नहीं बनेगी। उन्हें कार्यान्वित करने के लिए ग्रावश्यक स्टाफ भी दिया जाना चाहिए।

ग्राम रक्षक दल तथा परिवार नियोजन के सामाजिक कार्यकर्ताओं को पहले ही बहुत कम पैसा मिलता था, परन्तु राष्ट्रपति शासन काल में अब उन्हें यह भी प्राप्त नहीं होता। सरकार को इस पर ध्यान देकर इसमें सुधार करना चाहिए।

केवल गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जिसने परिस्थितिक परिषद् की स्थापना की है। यह परिषद भविष्य में हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। केन्द्र को भी इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। परन्तु केवल ऐसी परिषद् की स्थापना करना ही पर्याप्त नहीं होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसकी सिफारिशें क्रियान्वित भी की जाएं।

गुजरात में मद्यनिषेध नीति का पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए और इसे प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के लिए गुजरात राज्य को केन्द्र से अतिरिक्त राशि मांगनी चाहिए।

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : Gujarat is one of the most progressive and prosperous states of our country. Unfortunately, the popularly elected Government had to go and the President's rule was imposed due to political defections. The former Government took some very good decisions reference to some of which has been made by earlier speakers.

As far as education is concerned, the State Government had taken a decision that education upto higher secondary education, both for boys and girls, would be free. But that decision has now been changed and it has been decided that education would be free for girls only I am of the view that the matter should be reconsidered.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
Mr. Deputy-Speaker *in The Chair* }

It was also decided by the previous Government that some new fertilizer factories would be set up in this State to make further progress in agriculture and industrial production and certain steps were also taken. We do not know what the present administration is doing about it, but it is necessary to establish some fertilizer factories there taking into consideration the needs of agriculture and the production of oil seed and ground not.

Many cotton textile mills have been closed down in Gujarat and some more might be closed down in the coming month. As a result of this, a large number of mill workers have been rendered jobless, Something is wrong either with the Central assistance which should have been provided or their demand are not being property understood. The Government must pay serious attention to this matter which has a great effect on the economy of the State. Gujarat is very rich in natural gas and oil resources. The ONGC has fixed the gas without considering the matter properly and without obtaining concurrence of the State Government. The price fixed is such which the State Government cannot

afford. The result is that the gas is going waste. The Government should pay attention to this matter also.

It appears from the budget that you are going to implement some schemes for providing assistance to the educated unemployed persons. I think that the sum of Rs. 30 lakh rupees only provided for each scheme could hardly solve this problem.

The dispute between Madhya Pradesh and Gujarat over Narmada waters has been going on for a long time. Both the Governments want to settle the dispute as early as possible. The matter is before the tribunal but both the states can be benefited only if the dispute is settled quickly. As regards reducing the height of the dam Madhya Pradesh is agreeable to some extent.

The amounts earmarked in the budget for public works, drought affected areas and for agriculture are inadequate.

In the end I would request that the elections should be held in Gujarat as early as possible so that popular Government could be formed there. I am also against giving any Laxity in the prohibition. I want this State to be an ideal state in the matter of prohibition.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : महोदय, श्री इन्दुलाल याज्ञिक के अपने भाषण में गुजरात के लिए एक नई राजधानी का उल्लेख किया है। मैं नई राजधानी को गांधी नगर से किसी अन्य स्थान पर ले जाने के पक्ष में नहीं हूं। राष्ट्रपति के शासन काल में गुजरात के लोक पाल द्वारा लिया गया गांधी नगर में निर्माण कार्य को रोक देने का निर्णय उचित नहीं है। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम की धारा 51 (1) के अन्तर्गत गुजरात सरकार ने नई राजधानी के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां प्राप्त की। कहा जाता है कि नई राजधानी के निर्माण के लिए खर्च की गई भारी रकम की स्वीकृति नहीं ली गई है। परन्तु वर्ष 1960 से लेकर गुजरात विधान सभा द्वारा 11 बजट पास किए जा चुके हैं। और नई राजधानी के लिये लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। अत: यह कहना एक व्यर्थ सी बात है कि इसकी स्वीकृति नहीं ली गई है। 30 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने के पश्चात नई राजधानी को गांधी नगर से बदलने से कोई लाभ नहीं होगा। मंत्री महोदय इस सभा को विश्वास दिलाएं कि भारत सरकार राजधानी को गांधी नगर से किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जाएगी।

श्री जगन्नाथराव जोशी : इन्दिरा गांधी नगर।

श्री के० एस० चावड़ा : इंदिरा गांधी नगर नहीं, यह महात्मा गांधी नगर है। गैर-गुजरातियों को यह धारणा है कि गुजरात एक सम्पन्न धनी राज्य है। यह धारणा ठीक नहीं है। जिस राज्य में देश की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की कुल जनसंख्या का 1/5 भाग तथा इसके अतिरिक्त पिछड़ी वर्गों के लोग भी रहते हों, उस राज्य को सम्पन्न कैसे कहा जा सकता है। इस राज्य को ऋण तथा अनुदान देते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

कई बार यह आलोचना की जाती है कि गुजरात एक प्रतिक्रियावादी राज्य है। यदि कोई यह देखे कि बिना नशेबन्दी को हटाए और बिना राज्य लाटरी चलाए गुजरात सरकार ने कितनी उन्नति की है तो उसे पता लगेगा कि गुजरात एक प्रतिक्रियावादी राज्य नहीं अपितु प्रगतिवादी तथा समाजवादी राज्य है। गुजरात में मद्यनिषेध लागू है। यह नीति कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई

गई है। हाल ही में तामिल नाडु राज्य सरकार ने नशाबन्दी हटा दी है जबकि गुजरात सरकार ने ऐसा नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस लिए यह सारी राशि गुजरात को नहीं दी जानी चाहिए।

श्री के० एस० चावड़ा : नहीं, मैंने पहले ही कहा है कि गुजरात एक धनी राज्य नहीं है और इस लिए इस राज्य को ऋण तथा अनुदान देते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए।

वर्ष 1968–69 तक केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों पर खर्च की गई समस्त राशि राज्य सरकार को देती रही परन्तु वर्ष 1969-70 से इसे बन्द कर दिया गया। सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और इन छात्रवृत्तियों पर खर्च की जाने वाली समस्त राशि का वहन करना चाहिए।

भारत सरकार को गैस के तथा अवशिष्ट तेल के मूल्यों की समस्या तथा नर्मदा परियोजना समस्या को हल करने की ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिए।

डा० महिपतराय मेहता (कच्छ) : मैं इस संतुलित बजट का समर्थन करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बिलकुल ठीक कहा है कि सरकार ने चादर देख कर पांव पसारे हैं। गुजरात के पिछले मंत्रिमंडल ने शिक्षा को निःशुल्क करके पाखंड रचा था क्योंकि इस पर 40 करोड़ रुपया लागत आती है जो समस्त राजस्व का २० प्रतिशत है।

यह घाटे का बजट है फिर भी इसमें कराधान की कोई बात नहीं है, इस बात के लिए तो मैं इस बजट का समर्थन नहीं करता। परन्तु इस बजट का में इसलिए समर्थन करता हूं कि इसमें लगभग 98 करोड़ रुपये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रखे गये हैं।

अभी मेरे मित्र श्री चावड़ा ने कहा कि गुजरात एक निर्धन राज्य है फिर उन्होंने कहा कि यह एक प्रगतिशील राज्य है। ये दोनों बातें कैसे सम्भव हैं। मैं आपको गुजरात राज्य के बीच में ही क्षेत्रीय असंतुलन की बात बताता हूं। गुजरात राज्य का क्षेत्रफल 75,000 वर्ग मील है किन्तु उसमें से केवल 10,000 वर्गमील क्षेत्र का ही विकास किया जा रहा है। आप गुजरात राज्य के मानचित्र को देखिये, कच्छ से बनासकंथा, साबरकंथा, पंच महल और डांग ये सभी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। वर्षों पूर्व भी ये ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं। इन सभी वर्षों में दक्षिण गुजरात के शासकों ने शेष गुजरात का शोषण किया है।

सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं की ओर देखिये. जिन क्षेत्रों में 100 इंच वर्षा होती है वहां शत प्रतिशत सिंचाई का प्रबन्ध है और जहां हर दूसरे या तीसरे वर्ष अकाल पड़ता है वहां सिंचाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है। मैं अपने जिले कच्छ की बात करता हूं। उस इलाके में 6 करोड़ रुपये भी व्यय नहीं किये गये हैं। 1960 से अब तक मध्यम आकार का एक भी बांध नहीं बनाया गया है।

बनासकंथा की ओर दृष्टिपात कीजिये, वहां दो वर्ष लगातार भयंकर अकाल पड़ा था, कच्छ में भी ऐसा ही हुआ। राहत कार्यों में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। मुझे यह कहते हुए बहुत शर्म

लगती है कि लड़कियों को दो समय भोजन देने के लिए उनका सतीत्व लूटा गया, राहत कार्य करने वाले अधिकारियों को लड़कियां पेश की गईं। श्रमिकों को कांग्रेस (संगठन) दल के लिए एक-एक रुपया देने पर मजबूर किया गया। यह सब राहत कार्य के नाम पर किया गया। कांडला पत्तन का भी यही हाल है। पिछले 10 वर्षों से यह क्षेत्र अछूता पड़ा हुआ है।

हमें पता नहीं कि हमारा दोष क्या है, हमने क्या गुनाह किये हैं कि अभी तक हमें पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। मैं कोई सुविधा की मांग नहीं कर रहा, कोई ऐश-आराम नहीं चाहता, जीवन की नितांत आवश्यक वस्तु पेय जल की मांग करता हूं।

मेरे क्षेत्र में विकास के लिए कोई सम्भावना नहीं है ऐसी बात नहीं है। वहां विकास की बहुत गुंजाइश है। सर्वाधिक मूल्यवान बाक्साइट कच्चे रूप में यहां उपलब्ध है। एक अन्य मूल्यवान धातु एल्यूमीनियम भी उपलब्ध है किन्तु उसे निकालने के लिए हमारे पास पर्याप्त विद्युत शक्ति नहीं है।

इसी प्रकार यदि आप तटवर्ती क्षेत्रों को देखें तो पता चलेगा कि केवल 200 मील की पट्टी का विकास किया जा रहा है और शेष क्षेत्र वैसे ही पिछड़ा हुआ है।

कांडला को देखें, वहां उर्वरक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। कांडला, तेल परि-शोधन के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है किन्तु वहां कारखाना नहीं लगाया जा रहा है। हम जिन देशों से कच्चे तेल का आयात करते हैं और जिन्हें परिशोधित रूप में भेजते हैं, उनसे यह सबसे निकट है बनासकंथा और कच्छ में मिलने वाले तेल का वहां शोधन किया जा सकता है और कोयली तेल शोधन कारखाना भी वहां से दूर नहीं है उसे भी यह तेल भेजा जा सकता है।

भाभा वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थान ने सिफारिश की है कि पश्चिमी तट पर एक परमाणु शक्ति संयंत्र लगाया जाना चाहिये। इस संयंत्र से न केवल पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है वरन्, उर्वरक कारखाने और एल्यूमीनियम निकालने के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है।

नर्मदा गुजरात के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। इस परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिये। नर्मदा को राजस्थान नहर से मिला कर कच्छ और बनासकंथा में पानी पहुंचाया जा सकता है, इन क्षेत्रों को पानी की अत्यन्त आवश्यकता है। इससे अतिरिक्त इस परियोजना के पूरा हो जाने पर जल को समुद्र में भी पहुंचाया जा सकता है और रक्षा की दृष्टि से भी यह नहर लाभ-दायक सिद्ध होगी। गुजरात सरकार ने अपने दस्तावेजों में यह बात ठीक ही चित्रित की है कि कच्छ के रन की दो एकड़ भूमि को विकसित किया जा रहा है और शेष भाग को नर्मदा के जल द्वारा ही विकास किया जा सकता है।

नर्मदा का जल अपने आप ही वहां नहीं आ जायेगा। उसके लिए प्रयत्न किये जाने चाहिये। किन्तु कच्छ पर व्यय की जाने वाली राशि में कमी हो रही है। पहली योजना में 3 करोड़ रखे गये थे, दूसरी में 4 करोड़ परन्तु तीसरी योजना में केवल 4 करोड़ रुपये इस कार्य के लिए रखे गये।

एक अन्य हास्यास्पद बात यह है कि गुजरात में क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर सड़कों का निर्माण किया जाता है। मैं तो अयूब खां को धन्यवाद देता हूं क्योंकि पाकिस्तान के आक्रमण के समय की कुछ सड़कें बनाई गईं थी।

मुझे विश्वास है कि मैंने जो छोटे-छोटे सुझाव दिये हैं, उन्हें कार्यान्वित करने से क्षेत्रीय विषमताओं को दूर किया जा सकता है।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका): मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कि मुझे आश्चर्य इस बात से होता है कि पिछली सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों को रद्द किया जा रहा है। गुजरात की पूंजी परियोजना के सम्बन्ध में यह कह कर आलोचना की जाती है कि यह सोचा-समझा हुआ निर्णय नहीं था। परन्तु अभी तक सारा कार्य ठीक ढंग से हो रहा था। पहले मैंने भी इस परियोजना का विरोध किया था और अगर मुझे इस सम्बन्ध में निर्णय लेना होता तो शायद मैं अब भी ऐसा निर्णय न लेता लेकिन एक गणतंत्र देश पिछली सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों को नई सरकार आकर एकदम रद्द कर दे यह ठीक नहीं है। पूंजी परियोजना के कार्य को अधूरा छोड़ देने के क्या कारण हैं ? लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित पिछली कई सरकारों ने शिक्षा को निःशुल्क कर देने का निर्णय लिया था। नई सरकार द्वारा इस निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिये था।

दूसरी बात मैं पेय जल के बारे में कहना चाहता हूं। गुजरात में पेय जल की अत्यन्त कमी है। इस कार्य को सर्वोच्च्य प्राथमिकता दी जानी चाहिये। लगभग एक हजार या उससे भी अधिक गांव ऐसे हैं जहां वर्ष के अधिकांश भाग में पेय जल उपलब्ध नहीं होता। पिछली सरकार ने इस संबंध में एक परियोजना बनाने का निर्णय लिया था किन्तु उसके कार्यान्वियन में कठिनाई आयी थी। मुझे आशा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान इस ओर ध्यान दिया जायेगा।

मेरे से पूर्व वक्ता ने पिछली सरकार द्वारा लिए गये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयों अथवा दुर्भाग्यपूर्ण नीतियों की चर्चा की है लेकिन पक्षपात का आरोप लगाना ठीक नहीं है। प्रकृति की ओर से भी कुछ क्षेत्रों को लाभ प्राप्त होते हैं और कुछ कमियां भी रहती हैं जैसे कच्छ में यदि वर्षा नहीं होती तो वहां कमी रहेगी और यदि सौराष्ट्र में कोई बड़ी नदी नहीं है तो वहां बड़ी नदी परियोजना बनाना भी सम्भव नहीं।

शक्ति सम्बन्धी समस्या का समाधान गुजरात में परमाणु शक्ति केन्द्र स्थापित करके ही किया जा सकता है क्योंकि कोयला वहां से बहुत दूर है और पन-बिजली योजना के लिए स्त्रोत नहीं हैं। तेल और गैस जो वहां उपलब्ध है, उसकी सरकार ने बहुत कीमत बढ़ा दी है। कीमत में शतप्रतिशत वृद्धि अनुचित है। सौराष्ट्र के तट के निकट एक परमाणु शक्ति केन्द्र का निर्माण शीघ्र किया जाना चाहिये ताकि पांचवी पंच वर्षीय योजना में वहां पर्याप्त शक्ति उपलब्ध हो सके।

गुजरात में दो मुख्य सिंचाई परियोजनायें हैं, तीसरी है ऊकाए, जो पूरी होने वाली है। पहली माही परियोजना है। कदना परियोजना को राजस्थान और गुजरात के बीच झगड़े के कारण अधूरा छोड़ दिया गया है। यह सर्वविदित है कि इस परियोजना के शीघ्रता से पूरा हो जाने पर एक काफी विस्तृत क्षेत्र में पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सकेगी। केन्द्रीय सरकार को अपने सद्प्रभाव का

उपयोग करके इस झगड़े को समाप्त कराना चाहिये। नर्मदा योजना का सम्बन्ध किसी एक राज्य से नहीं हैं। उसे वैसे भी न्यायाधिकरण को सौंपा जा चुका है। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि इस परियोजना को अतिशीघ्र पूरा कराने का प्रयत्न करें। इससे देश की खाद्य समस्या को सुलझाने में भी सहायता मिलेगी।

शिक्षा को नि:शुल्क बनाने के सम्बन्ध में गुजरात के पिछले मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था किन्तु राष्ट्रपति शासन के दौरान उसे बदल दिया गया है। शायद वित्तीय साधनों को देखते हुए ऐसा किया गया है। मेरा विचार है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में वित्तीय साधनों की कमी नहीं रहनी चाहियें। गुजरात भी भारत के ऐसे कुछ राज्यों में से है जिन्होंने ओवर ड्राफ्ट का दुरुपयोग नहीं किया है। इसलिए राष्ट्रपति शासन के दौरान भी इस राज्य को यह सुविधा मिलती रहनी चाहिये। मैं पुन: आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इन दोनों विषयों पर भलीभांति विचार किया जाये।

Shri Vekaria (Junagarh) : Sir, I rise in support of this Budget. This is the first Gujarat Budget which contains no taxation. Our economy in respect of agriculture is very backward, it needs considerable improvement, I would appeal to the Finance Minister as well as the Government to provide more funds for carrying in research in seeds, soil and other ancillary matters. There is no major irrigation project in Saurashtra. Therefore more and more minor irrigation projects and tubewells should be provided in this region of Gujarat.

Check dams should be constructed to check the flow of rainy water into the sea with a view to making water available from these check dams for irrigational purposes. We have come to know from the report of the Food Corporation that the corporation has procured 54 thousand tons of wheat. If these check dams are constructed and irrigational facilities are provided to farmers, more foodgrains can be produced. Therefore Government should pay more attention to irrigation. Steps should be taken with a view to expenditure installation of power station proposed to be set up in Sauarashtra so that the power can be supplied from it for irrigatinal purposes.

I would like to say that the power station of Porbunder should not be sold to the Birlas as Government of Gujarat propose to do it as this station supplies power to the adjoining villages of Porbunder.

It is proposed to set up an all weather port in Porbundar, but money sanctioned for this port is not being spent thereon. Previously, it was being spent on Surat. I request that this port should be completed as early as possible.

No reform has since been introduced in agriculture in Gujarat. Arrangements should be made for research in agriculture and for the distribution of fallow land among the Adivasis and Harijans.

An amount of Rs. 30 Lakhs has been earmarked for providing employment and it has been said that about 1500 persons would get employment but this amount is a meagre amount and it should be increased to rupees 60 lakhs.

A tourist centre should be opened in Junagrh district because people from all over the country and also from foreign countries visit it for seeing the lions of Gir forests. In addition to the Gir Forests, Somnath Temple there is also an attraction. Therefore, I would request the Government to see to it that a tourist centre is opened there.

Government have earmarked some money in the budget for a dairy at Junagarh. Government should provide more funds for with a view to helping the development of the Government run dairy.

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लेकर अनेक बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। आप उन हालात को तो जानते हैं जिसके कारण हमें इस राज्य के बजट पर विचार करना पड़ा, किन्तु मुझे आशा है कि इस राज्य में शीघ्र ही लोकप्रिय सरकार का गठन होगा।

गुजरात अपेक्षाकृत विकिसत राज्य है। बजट से ही राज्य की आर्थिक स्थिति का पता लग जाता है। इसमें 1.29 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है किन्तु यह घाटा इस वर्ष की आय और बचत से पूरा हो जायेगा। इस राज्य का 14.35 करोड़ रुपया का राजस्व आधिक्य है और इसका पूंजीगत व्यय 46 43 करोड़ रुपया है। योजना के लिये 98.67 करोड़ रुपये रखा गया है जिसमें से 31.60 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता है। इस योजना के अंतर्गत कृषि, सहकारिता, सामुदायिक विकास, सिंचाई आदि पर व्यय किया जायेगा। योजना के बनाते तथा कार्यान्वित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि जनजाति और अनुसूचित जातियाँ तथा छोटे सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों तथा समान के अन्य असुरक्षित वर्गों के कल्याण कार्य पर जोर दिया जायेगा। 25 लाख रुपयों की राशि जनजाति तथा अनुसूचित जातियों के लिये रखा गया है।

जहाँ तक अनाज के उत्पादन का सम्बन्ध है, 1969–1970 के 30.89 लाख टन की अपेक्षा 1970–71 में 35 लाख टन का उत्पादन होगा।

जहाँ तक भूमि सुधारों का संबंध है, राज्य ने इस संबंध में कानून बनाने का कार्य पूरा कर लिया है।

राज्य में बहुत ही सुगठित औद्योगिक क्षेत्र है। भारतीय पेट्रोरासायनिक निगम लिमिटेड ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। 1972 के अन्त तक एरोमेटिक परियोजना के चालू होने की संभावना है। नेप्था क्रेकर के, जिस पर 30 करोड़ रुपये लगने का अनुमान है 1974 के प्रारंभ में चालू होने की संभावना है। कांडला-कालोले में सहकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना की जा रही है।

धुर्वन ताप शक्ति केन्द्र में 280 मेगावाट के अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने तथा उकाई जल विद्युत योजना में 300 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने का कार्य अग्रिम चरणों में है। ग्रामीण विद्युतीकरण में भी काफी प्रगति की गई है। मार्च 1971 के अन्त तक 3951 गांवों में तथा 66,159 कुओं का विद्युतीकरण हो चुका है।

राज्य की चौथी योजना में 2.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की सहायता के किये कार्य सम्बन्धी योजनाएं तथा श्रम प्रधान-योजनाएं अथवा कार्य लिये जायेंगे। विशेष रोजगार प्रधान कार्यक्रम अब कार्य सम्बन्धी अधिकार में शामिल कर दिया गया है और इसमें 43 करोड़ रुपये खर्च होगा और इसमें 940 लाख जन-दिन की रोजगार क्षमता पैदा होगी।

सरकार ने राजधानी को गांधी नगर से अहमदाबाद में स्थानांतरित करने का कोई निर्णय नहीं लिया है और इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना सही नहीं है। राष्ट्रपति के शासनकाल में कुछेक कार्यों को जारी रखने या स्थानांतरित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता इसके लिये लोकप्रिय सरकार के निर्माण की प्रतिक्षा करनी होगी।

भूतपूर्व मुख्यमंत्री द्वारा निशुल्क माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के बारे में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में भी कहा गया है। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य है तथा 11 वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा है। लड़कों की शिक्षा के लिये भी कुछ उपबंध बनाये गये हैं।

निःशुल्क शिक्षा के विस्तार में 2.16 करोड़ रुपये व्यय होंगे और लगभग 4 लाख छात्रों को इससे लाभ पहुंचेगा। वास्तव में निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य पहले ही काफी मात्रा में पूरा कर लिया है जिसमें उन छात्रों को निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा दी जाती है जिनके माता-पिता की आय 3,600 रुपये प्रतिवर्ष से कम आय है।

भूमि राजस्व में भी छूट देने के बारे में भी उल्लेख किया गया है। उसमें कई मान दण्ड भी निर्धारित नहीं किये गये हैं और यह आवश्यक है कि लोकप्रिय सरकार को ही इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा गुजरात राज्य की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following demands in respect of the State of Gujarat were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
1.	राज्य विधान मंडल	41,40,000
2.	सामान्य प्रशासन विभाग	18,37,000
3.	क्षेत्रीय तथा राजनैतिक पेंशनें	97,000
4.	भारतीय राजाओं को निजी थैलियां तथा भत्ते	2,03,000
5.	सामान्य प्रशासन विभाग के सम्बन्ध में अन्य राजस्व व्यय	29,68,000
6.	विक्रय कर	78,09,000
9.	वित्त विभाग	64,93,000
10.	वित्त विभाग के सम्बन्ध में अन्य राजस्व व्यय	3,99,92,000
11.	पेंशनें तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	1,58,46,000
12.	विधिक विभाग	8,09,000

1	2	3
		रुपये
13.	न्याय प्रशासन	1,10,56,000
14.	विधिक विभाग के सम्बन्ध में अन्य राजस्व व्यय	12,95,000
16.	लोक निर्माण कार्य विभाग	12,00,000
17.	सिंचाई और नौचालन	16,77,28,000
18.	लोक निर्माण कार्य विभाग के सम्बन्ध में अन्य राजस्व व्यय	42,41,000
19.	लोक निर्माण कार्य	14,86,74,000
20.	पत्तन और पायलटों का कार्य	2,38,36,000
21.	भू-राजस्व	78,87,000
22.	स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण	17,47,000
24.	राजस्व विभाग	1,61,81,000
25.	डोंग्स जिला	1,06,96,000
26.	दुर्भिक्ष सहायता	14,66,000
27.	राजस्व विभाग के सम्बन्ध में अन्य राजस्व व्यय	1,16,85,000
29.	पंचायतें तथा स्वास्थ्य विभाग	11,65,000
30.	चिकित्सा	6,30,26,000
31.	लोक स्वास्थ्य	6,78,36,000
32.	परिवार नियोजन	2,11,98,000
33.	सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	4,92,97,000
34.	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में अन्य राजस्व व्यय	5,49,37,000
35.	राज्य उत्पादन शुल्क	14,06,000
37.	शिक्षा और श्रम विभाग	7,03,000
38.	शिक्षा	33,96,01,000
39.	श्रम और रोजगार	72,45,000
40.	शिक्षा और श्रम विभाग के सम्बन्ध में अन्य राजस्व व्यय	3,39,25,000

1	2	3
		रुपये
41.	पेंशनें तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	15,00,000
42.	मोटर गाड़ियों पर कर तथा गृह विभाग के सम्बन्ध में अन्य कर तथा शुल्क	5,34,89,000
43.	गृह विभाग	23,64,000
44.	जेलें	39,16,000
45.	पुलिस	9,66,01,000
46.	गृह विभाग के सम्बन्ध में अन्य राजस्व व्यय	46,74,000
47.	उद्योग, खान और विद्युत विभाग के सम्बन्ध में अन्य कर तथा शुल्क	5,18,000
48.	उद्योग, खान और विद्युत विभाग	4,07,000
49.	उद्योग	1,06,41,000
50.	लेखन सामग्री और मुद्रण	1,37,12,000
51.	उद्योग, खान और विद्युत विभाग के सम्बन्ध में विविध व्यय	1,10,95,000
53.	कृषि वन और सहकारिता विभाग	6,00,000
54.	कृषि	6,17,98,000
55.	पशुपालन	1,39,33,000
56.	सहकारिता	1,26,01,000
57.	मीन क्षेत्र	55,07,000
58.	वन	1,22,47,000
59.	कृषि, वन तथा सहकारिता विभाग के संबंध में अन्य राजस्व व्यय	20,56,000
60.	सिविल सप्लाई विभाग	1,67,000
61.	विविध विभाग	1,21,11,000
62.	संसद और राज्य विधान मंडल	9,88,000
63.	पेंशनों के राशिकृत मूल्य की अदायगी	67,000
64.	औद्योगिक और आर्थिक विभाग पर पूंजी परिव्यय	1,54,000

1	2	3
		रुपये
65.	सिंचाई और नौचालन पर पूंजी परिव्यय	16,77,93,000
66.	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	3,59,04,000
67.	गुजरात के लिये पूंजी पर व्यय	1,40,70,000
68.	पत्तनों पर पूंजी परिव्यय	1,56,84,000
69.	भूमि धारियों को प्रतिकर	20,00,000
70.	राजस्व विभाग के संबंध में अन्य निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय	6,07,000
71.	लोक स्वास्थ्य और सिंचाई आदि पर पूँजी परिव्यय	2,24,39,000
72.	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के संबंध में सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	52,00,000
73.	शिक्षा और श्रम विभाग के संबंध में औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	2,00,000
74.	गृह विभाग के संबंध में औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	1,00,00,000
75.	उद्योग, खान और विद्युत विभाग के संबंध में औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	1,50,69,000
76.	बहुउद्देश्यीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	3,33,33,000
77.	कृषि पर पूंजी परिव्यय	16,08,000
78.	कृषि, वन तथा सहकारिता विभाग के संबंध में औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	1,81,46,000
79.	कृषि, वन और सहकारिता विभाग संबंधी अन्य कार्यों पर पूंजी परिव्यय	33,000
80.	वनों पर पूंजी परिव्यय	42,72,000
81.	कृषि, वन और सहकारिता विभाग संबंधी सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	29,95,000
82.	सिविल सप्लाई विभाग संबंधी सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	24,75,13,000
85.	वित्त विभाग संबंधी ऋण और अग्रिम	27,66,000
88.	लोक निर्माण विभाग संबंधी ऋण और अग्रिम	1,45,67,000

1	2	3
		रुपये
92.	पंचायत तथा स्वास्थ्य विभाग संबंधी ऋण और अग्रिम	5,03,000
93.	शिक्षा और श्रम विभाग संबंधी ऋण और अग्रिम	74,63,000
94.	गृह विभाग संबंधी ऋण और अग्रिम	1,40,000
95.	उद्योग, खान और विद्युत विभाग संबंधी ऋण और अग्रिम	7,65,67,000
97	कृषि, वन और सहकारिता विभाग संबंधी ऋण और अग्रिम	1,01,26 000
98.	सिविल सप्लाई विभाग संबंधी ऋण और अग्रिम	2,50,00,000
99.	सामान्य प्रशासन विभाग संबंधी ऋण और अग्रिम	23,40,000

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा गुजरात राज्य की निम्नलिखित मांग मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following demand in respect of the State of Gujarat was put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
90	राजस्व विभाग सम्बन्धी ऋण और अग्रिम	2,60 17,000

मैसूर बजट
MYSORE BUDGET

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मैसूर राज्य के बजट तथा मांगों पर चर्चा करेंगे।

मैसूर राज्य की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
45.	1	**श्री एस० राधाकृष्णन्**	1892 और 1924 के वर्तमान अन्तर्राज्य करारों का उल्लंघन करके कावेरी तथा उसकी सहायक नदियों पर सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्विति को रोकने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।

1	2	3	4	5
45.	2	**श्री एस० राधाकृष्णन्**	कावेरी विवाद को अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन विधिवत् गठित न्यायाधिकरण को सौंपने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।
45.	3	–तदैव–	कावेरी में जल की मात्रा तथा मैसूर राज्य में कावेरी पर निर्मित नयी परियोजनाओं की क्षमता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से तकनीकि विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने की आवश्यकता।	–तदैव–
45.	4	**श्री के० बालतंडायुतम**	कावेरी विवाद को अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन गठित न्यायाधिकरण को सौंपने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
	5	–तदैव–	कावेरी बेसिन में कतिपय योजनाओं के लिए, जिन पर तमिलनाडु और मैसूर सरकार के बीच विवाद है, 7.12 करोड़ रुपये को व्यवस्था।	–तदैव–
45.	6	**श्री जी० विश्वनाथन**	1892 और 1924 के वर्तमान अन्तर्राज्य करारों का उल्लंघन करके हेमवती परियोजना के कार्य को रोकने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं
45.	7	–तदैव–	1892 और 1924 के वर्तमान अन्तर्राज्य करारों का उल्लंघन करके हरंगी परियोजना के कार्य को रोकने की आवश्यकता।	तदैव
45.	8	–तदैव–	1892 और 1924 के वर्तमान अन्तर्राज्य करारों का उल्लंघन करके कावेरी परियोजना के कार्य को रोकने की आवश्यकता।	तदैव
45.	9	–तदैव–	1892 और 1924 के वर्तमान अन्तर्राज्य करारों का उल्लंघन करके स्वर्णवती परियोजना के कार्य को रोकने की आवश्यकता।	तदैव
45.	10	–तदैव–	1892 और 1924 के वर्तमान अन्तर्राज्य करारों का उल्लंघन करके गैर-अनुसूचित नदियों पर सिचाई परियोजनाओं के कार्य को रोकने की आवश्यकता।	तदैव
45.	11	–तदैव–	कावेरी नदी जल विवाद को अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन न्यायाधिकरण को सौंपने की आवश्यकता।	तदैव

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Deputy Speaker, I would draw your attention to rule 340 of the Rules of Procedure and request that the debate should be adjourned because this rule starts :

"At any time after a Motion has been made a Member may move that the debate on the motion be adjourned." I want the adjournment of the debate because according to the latest news flash of P. T. I., Patna the capital of Bihar is threatened by the Ganga River from its North, Poonpoon River from South and Sorie River from West. Though whole of the State is threatened with the fury of the floods but Patna, being the capital of the State, military help has been sought there and people have been informed there of the danger of the floods. Therefore, I would request that the situation created by the danger of floods in Patna may be discussed.

उपाध्यक्ष महोदय : आपका उद्देश्य शायद पूरा हो गया है आपने सदन का ध्यान इस ओर दिला दिया है ।

Shri Ramavatar Shastri : One thing more. The Deputy Chief Minister of Bihar is here and he has told that Bihar has been hit by unprecedented floods. That is why the situation may be discussed at once.

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

Shri Ramavatar Shastri : I have raised this matter under rule 340.

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप इस विषय को उठाना चाहते हैं तो नियमों के अन्तर्गत और भी उपाय हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : नियम 340 के अन्तर्गत सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिये मुझे प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस नियम को आगे पढ़िये । इसमें लिखा है "यदि अध्यक्ष महोदय की राय में स्थगन प्रस्ताव नियमों का दुरुपयोग है ।"

बिहार में हो रही कुछ घटनाओं के कारण मैसूर राज्य के बजट पर चर्चा को कैसे रोका जा सकता है ।

Shri Ramavatar Shastri : About 5 lakhs of people of Patna city have been exposed to the fury of floods.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं कि यह विषय महत्वपूर्ण है किन्तु दूसरे उपायों से आप सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं ।

श्री कृष्ण हाल्दर (औसग्राग) : यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि सत्तारुढ़ दल, जो कि संसदीय प्रजातन्त्र प्रणाली के प्रति निष्ठावान होने के लिये वचन बद्ध है, संसदीय संस्थाओं की जड़ें खोद रहा है, और दमनकारी सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है । वर्तमान सरकार के पाखंडपूर्ण उपदेशों, दल बदलुओं को दिये गये प्रलोभनों तथा रिश्वतों से बहुत अच्छी तरह पर्दाफाश हो जाता है, जबकि स्वयं सरकार दल-बदल पर रोक लगाने के प्रस्तावों के बारे में जोर शोर से बात कर रही है ।

जहां तक बजट प्रस्तावों का सम्बन्ध है, 138 करोड़ रुपये के करों और शुल्कों में से केवल 24 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष करों से राजस्व बजट में इकट्ठे किये जा रहे हैं, और शेष 114 करोड़ रुपये अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से इकट्ठे किये जायेंगे । ये कर प्रतिगामी, असमान तथा जनता विरोधी हैं, जिन से आय में और अधिक अन्तर आयेगा ।

सरकार कावेरी नदी जल विवाद की समस्या सुलझाने में सर्वथा असमर्थ रही है । सरकार अन्य नदी जल विवादों को भी नहीं सुलझा सकी है । राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में नर्मदा जल विवाद तथा महाराष्ट्र तथा मैसूर राज्यों में कृष्णा-गोदावारी जल विवाद अभी सुलझाये नहीं जा सके हैं ।

इन विवादों के न सुलझने के कारण परियोजनाओं की कार्यान्विति में अनावश्यक देरी हो रही है तथा इसी कारण से सम्बन्धित राज्यों और क्षेत्रों में सम्बन्धों में कटुता आ रही है ।

कोलार स्वर्ण खानों का प्रबन्ध अत्यन्त अव्यवस्थित स्थिति में है । लागत समिति तथा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बावजूद भी, इसे खान तथा धातु विभाग को नहीं सौंपा गया है ।

प्रबन्धक मंडल के सदस्य डा० टी० तिम्मय्या ने 1968–69 में एक प्रतिवेदन लिखा जिसमें उन्होंने उसकी कार्य प्रणाली की कटु आलोचना की है । श्री तिम्मय्या का प्रतिवेदन इस सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए और इस उपक्रम की कार्य प्रणाली को सुधारने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए ।

हमने उन अमानवीय परिस्थितियों के बारे में भी सुना हैं, जिनके बीच उस उद्योग के मजदूरों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है । इस उद्योग के कर्मचारियों में, जो जमीन के अन्दर काम करते हैं, तपेदिक रोग का प्रसार बहुत अधिक है और इस रोग से पीड़ित कर्मचारियों को बिना कोई मुआवजा दिये नौकरी से निकाल दिया जाता है । इस घातक रोग के प्रसार को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जाता । हाल ही में घाटा कम करने की आवश्यकता के नाम पर उस प्रतिष्ठान के लगभग 6000 मजदूरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है ।

हम माननीय सदस्यों से अपील करते हैं कि वे सत्तारुढ़ दल द्वारा लोकतंत्री संस्थाओं पर किये जा रहे आक्रमणों के विरोध में इस अनुदान का विरोध करें और सरकार की जन-विरोधी नीतियों के विरुद्ध रोष प्रकट करें ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा (हस्कोटे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के समक्ष पेश किये गये मैसूर राज्य के बजट का स्वागत करता हूं । वर्तमान परिस्थितियों में इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि वहां पर राज्यपाल का शासन है और वहां पर जनता की सरकार नहीं है ।

मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उसने इस बजट में 8 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मुख्य रूप से उत्पादन-शुल्क एवं ब्रिकी कर से जुटाई है । यदि वहां राज्यपाल का शासन न होता तो ये दोनों बातें संभव न होतीं ।

बंगलौर एक विकासशील शहर है और सरकार ने इस शहर के चारों ओर बहुत से उद्योग स्थापित किये हैं। केन्द्रीय उद्योगों में लगभग 3 लाख लोग काम करते हैं। अत: कलकत्ता और बम्बई की तरह इस शहर के लिए भी किसी प्रकार का केन्द्रीय अनुदान दिलाने के लिए राज्य सरकार को कुछ कार्यवाही करनी चाहिये।

मैसूर के पट्टी क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में गन्दी बस्तियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं और लगभग 3 लाख लोग इस पट्टी में रह रहे हैं। वे बहुत ही अमानवीय और अस्वास्थ्य-जनक स्थितियों में रह हैं। इन गन्दी बस्तियों में रहने वाले वे लोग हैं जो हमारी सड़कें बनाते है, जो हमारे बहुमूल्य भवन और कोठियां वनाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक कड़ा परिश्रम करते हैं और आराम के लिये इन गन्दी बस्तियों में वापस जाते हैं। इन गन्दी बस्तियों में जो भयानक स्थिति विद्यमान है उसको एक समाजवादी राज्य में सहन नहीं किया जा सकता। वे उन क्षेत्रों में रहते हैं, जहां उपयुक्त निवास स्थान नहीं है, जहां उन्हें पेयजल उपलव्व नहीं है, जहां शौचालय नहीं हैं, जहां नालियां नहीं हैं और जहां मच्छरों की समस्या बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार को अविलम्ब एक समिति की नियुक्ति करनी चाहिये अथवा विशेषज्ञ जनता के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बैठें और उनकी स्थितियों में सुधार करने और गन्दी बस्तियों की सफाई करने की योजना तैयार करें।

{श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए}
{Shri K. N. Tiwary *in the Chair*}

अब समय है कि केन्द्रीय सरकार ऋणों की पुन: अदायगी के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक आयोग नियुक्त करे। भारत में प्रत्येक राज्य को अपने बजट में से केन्द्र को ऋण और ब्याज की पुन: अदायगी के लिए भारी धनराशि देनी पड़ती है। मैसूर सरकार केन्द्र से 40 करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राप्त करती है और ऋण और ब्याज के रूप में 60 करोड़ रुपया वापस करना पड़ता है। इन ऋणों में से अधिकांश धनराशि तुरन्त लाभ न देने वाली परियोजनाओं पर व्यय की जाती है। केन्द्र को तुरन्त एक ऐसा आयोग नियुक्त करना चाहिये जो यह सुनिश्चित करे कि राज्य इन बड़े ऋणों की प्रतिवर्ष वापसी किस प्रकार कर सकेंगे। जो ऋण राज्यों को दिये जा रहे हैं उनके वापसी भुगतान का सम्बन्ध उनसे प्राप्त होने वाले लाभ से होना चाहिये और इस प्रकार केन्द्र को राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिये।

इस वर्ष मैसुर में अभाव की इतनी अधिक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि मैसूर के अधिकांश भाग में सूखा पड़ने जा रहा है। सामान्यतया जब कभी मानसून जल्दी शुरू हो जाता है तो इस बीच काफी अवधि के लिए सूखा पड़ जाता है। यह हमारा अनुभव है। परन्तु इस वर्ष जबकि मानसून को जून के पहले सप्ताह शुरु होना चाहिये था, वह मई के पहले सप्ताह में शुरू हो गया। इससे न केवल दक्षिण में ही अपितु पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों पर फसल बरबाद हो गई है। राज्य सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये क्योंकि इस वर्ष वहां गत वर्ष जैसी अच्छी फसल नहीं होगी।

कावेरी नदी एक बहुत पुरानी नदी है। यह नदी जितनी मैसूर के लोगों को प्रिय है उतनी ही यह तामिल नाडु के लोगों को प्रिय है। इसकी उपयोगिता के कारण ही यह पवित्र मानी जाती है। इस नदी ने तमिल लोगों और कन्नड़ लोगों को मिला दिया है। वास्तव में कन्नड़ तमिल के अतिरिक्त

कुछ नहीं है। मैसूर का पठार केवल एक जंगल है। 1500 अथवा 2000 वर्ष पूर्व हमारी भाषा तमिल थी। हम सब तमिलवासी थे ।

मैसूर कावेरी नदी के जल में 60 प्रतिशत अंशदान करता है। 25 प्रतिशत जल मद्रास से आता है। मद्रास ने 24 लाख एकड़ भूमि में खेती की है जबकि मैसूर ने केवल 4 लाख एकड़ भूमि में खेती की है। दोनों में कितना भारी अन्तर है। दोनों पक्षों की ओर से काफी कुछ कहा जा सकता है अतः मैं मद्रास के मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को तब तक स्थगित कर दें जब तक कि मैसूर राज्य में एक लोकप्रिय सरकार नहीं बनती। उसके बाद हम एक दूसरे के साथ बैठ कर एक दूसरे की बात मान सकते हैं ।

जब कभी मैसूर राज्य कोई बांध बनाता है अथवा कोई परियोजना प्रारम्भ करता है तो सबसे पहले वहां तामिलवासी आयेंगे। यदि राज्य सरकार हेमवती परियोजना बना रही है तो यह तमिल-वासियों के लिए बना रही है। हम सब भाई हैं अतः एक अच्छे समझौते के लिए अच्छी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिये। हमें मैसूर में लोकप्रिय सरकार बनने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये। हेमवती और अन्य परियोजनाओं का कार्य आगे बढ़ाया जाना चाहिये और इन्हें योजना में शामिल किया जाना चाहिये। 1924 के समझौते के बाद तमिलनाडु के लोगों ने अमरावती और लोअर भवानी परियोजनाएं तैयार की हैं। हमने उनका विरोध नहीं किया। उन्होंने ऐसा 1924 के समझौते के बाद ही किया है। मैसूर ने 1924 का समझौता भंग नहीं किया। समझौते के अनुसार वे केवल 44 लाख घनफुट पानी के हकदार हैं, परन्तु वे इससे अधिक पानी का उपयोग कर रहे हैं। अतः वे अनावश्यक कटुता पैदा कर रहे हैं। ये परियोजनाएं 10 वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गई थीं। उदाहरण के तौर पर काबिनी परियोजना 15 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी। परन्तु आज वे यह चाहते हैं कि इस परियोजना के लिए कोई धन स्वीकृत न किया जाये। यह गलत है।

अन्त में मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह बंगलौर आयें और गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी कार्य शुरू करें। यह कार्य **गरीबी हटाओ** कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं यह बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम मैसूर सरकार द्वारा निर्माण किये जा रहे जलाशयों या अधिक भूमि पर खेती करने के मामले में बाधक नहीं बन रहे हैं। हम तमिलनाडु के बारे में केवल यही चाहते हैं कि उनको इस समय जो सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वे सुविधाएं बनी रहनी चाहिये। मैं यह बात तमिलनाडु से आने वाले एक सदस्य अथवा किसी दल से सम्बन्धित एक सदस्य के रूप में नहीं कह रहा हूं क्योंकि जब तमिलनाडु विधान सभा में यह प्रश्न उठाया गया तो सभी दलों ने इसका समर्थन किया था अतः यह एक दलीय मामला नहीं है। न ही यह एक राज्य का मामला है। यह एक राष्ट्रीय मामला है। हम यह जानना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करती है। लोगों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर तथा सिंचाई सुविधाओं को प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं, क्या किसी अन्य भूमि के लिए सिंचाई साधनों को उपलब्ध करने के लिए सदियों से चले आ रहे साधनों को नष्ट कर दिया और उपजाऊ भूमि को सूखी तथा बंजर भूमि में बदल दिया जाये ? केवल इसी बात से हम अधिक परेशान हैं।

यदि मैसूर उस जल को, जिसे अब तक काम में नहीं लाया गया है, उपयोग में लाना चाहता है तो हम मैसूर के इस विचार का स्वागत करते हैं। जैसाकि श्री कृष्णाप्पा ने कहा है कि कावेरी से पहले से ही पूरा लाभ उठाया जा रहा है और यदि अब इस नदी के ऊपरी क्षेत्र में किसी परियोजना के निर्माण की बात सोची जाये तो यह अवश्य ही निचले क्षेत्रों में विद्यमान स्थिति को प्रभावित करेगी।

मैसूर का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य यह तर्क दे रहे हैं कि इस प्रश्न पर दूसरे ढंग से विचार किया जाना चाहिये और वे 1924 अथवा 1892 के समझौतों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं क्योंकि उनके अनुसार उस समय असमान भागिता थी। मैं यह यह सकता हूं कि यह तर्क बाद का है। 1951 में कुर्ग की सरकार कुर्ग क्षेत्र में लक्ष्मणतीर्थ नदी पर सिंचाई निर्माण कार्य करना चाहती थी। उस समय मैसूर सरकार यह चाहती थी कि मद्रास सरकार इस पर आपत्ति उठाये क्योंकि कुर्ग के पास नदी का ऊपरी क्षेत्र है और इससे मैसूर और मद्रास में उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं में बाधा होगी। अतः मद्रास तथा मैसूर दोनों सरकारों ने इसका विरोध किया और अन्ततः यह योजना समाप्त करनी पड़ी।

बाद में कुर्ग की सरकार लगभग 6000 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए हारन्गी पर एक संचायक (स्टोरेज) योजना आरम्भ करना चाहती थी। उस समय भी मद्रास और मैसूर सरकार ने इस पर आपत्ति की थी और इस योजना को समाप्त करवा दिया था अब जबकि कुर्ग का मैसूर में विलय हो गया है, आप हारन्गी की बात कर रहे हैं और वह भी 6,000 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए नहीं अपितु इससे दस गुणा अधिक भूमि की सिंचाई के लिए। अतः 1951 में यदि आप का यह तर्क था कि कुर्ग को अपने क्षेत्र में एक बांध अथवा एक जलाशय बनाने से रोका जाये तो अब हमारा यह तर्क है कि आप कोई बांध न बनाये जिसमें हमारी सिंचाई सुविधाओं पर प्रभाव पड़े।

1953 में मैसूर सरकार ने काबिनी घाटी में कुल 6,000 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए काबिनी जलाशय के निर्माण को आरम्भ करने के अपने इरादे के बारे में मद्रास सरकार को सूचित किया था। दिनांक 15 मई, 1956 के अपने पत्र में मैसूर के मुख्य अभियन्ता ने मद्रास के मुख्य अभियन्ता को मापने के कार्य में भाग लेने के लिए आंमत्रित किया था। 1953, 1951 तथा 1956 में मैसूर की 1924 में हुए करार तथा गेजिंग और इसी प्रकार के अन्य मामलों के सम्बन्ध में जानकारी थी। उसके बाद कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। अब मेरा विचार है कि काबिनी परियोजना से प्रारम्भ में 6,000 एकड़ भूमि की सिंचाई के बजाय अब एक ऐसा जलाशय बनाने की योजना बनाई जा रही है जिससे 1,26,000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सके।

पुनः 1964 में मैसूर सरकार ने हेमवती परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार को एक परियोजना प्रतिवेदन पेश किया था। उस प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से यह बताया गया था कि पानी की पूरी क्षमता का उपयोग करना सम्भव नहीं है क्योंकि हेमवती नदी मैसूर और मद्रास के बीच हुए 1924 के कावेरी समझौते में आती है। वे स्वयं इस बात से सहमत हुए थे कि 1924 का समझौता मान्य है और उनके प्रतिवेदन में यह बात बिल्कुल स्पष्ट की गई थी कि परियोजना का निर्माण मद्रास और मैसूर के बीच हुए 1924 के समझौते को ध्यान में रखकर किया जायेगा। यह बात 1924 में कही गई थी। अतः जो बात 1951, 1953, 1959 और 1964 में मान्य थी, वह, अब यह कह कर कि भागिता असमान थी, किस प्रकार अब अमान्य हो गई है।

अगस्त, 1968 में एक बार मद्रास के वर्तमान मुख्य मंत्री, जो उस समय निर्माण मंत्री थे, मैसूर के मुख्य मंत्री से मिले थे। चर्चा के दौरान मैसूर के मुख्य मंत्री ने बताया कि 1892 और 1924 के करारों के अनुसार हेमवती परियोजना पर विचार-विमर्श करने के लिए तमिलनाडु यदि अन्तर्राज्यीय करार को आरम्भ कर दे तो मैसूर इसको एक आभार समझेगा। मैं सरकार को चर्चा सम्बन्धी सभी कागजात सभा-पटल पर रखने के लिए कहता हूं। लगभग समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले थे। सम्मेलन में नियमों तथा विनियमों पर चर्चा शुरू हो गई थी। कृष्णराजा सागर बांध के साथ हेमवती जलाशय के निर्माण सम्बन्धी फार्मूले तथा तरीके पर विचार हो चुका था।

किन्तु तत्काल उनके दिल्ली से बंगलौर लौटने पर मैसूर के मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की कि वे केन्द्रीय सरकार की अनुमति बिना ही हेमवती परियोजना पर कार्य आरम्भ कर देंगे। मार्च 1970 में केवल पन्द्रह महीने पहले केन्द्रीय सरकार ने मैसूर सरकार को यह अनुदेश दिये थे कि वे कावेरी बेसिन में काम बन्द कर दें यदि इस पर योजना आयोग की स्वीकृति नहीं मिली है।

मैसूर के मुख्य मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल ने राज्य विधान सभा में यह स्पष्ट रूप से कहा कि कावेरी बेसिन में राज्य सरकार का किसी भी कार्य को बन्द करने का विचार नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संघीय व्यवस्था में यह उचित है कि कोई अपने निर्णय पर अडिग रहे और मनमानी करें। हम राज्यों के लिए अधिक अधिकार चाहते हैं किन्तु अराजकता नहीं चाहते हैं।

कुछ कहते हैं कि वे 1924 के करार की सीमाओं के अन्तर्गत हैं। यदि ऐसा है तो वे 1924 के करार के आधार पर बातचीत के लिए क्यों तैयार नहीं हैं और यदि वे सही हैं तो वे न्यायाधिकरण के समक्ष जाने में क्यों हिचकिचाते हैं।

23 अप्रैल को श्री धर्मवीर ने दिल्ली में कहा कि तमिलनाडु और केरल के साथ कावेरी विवाद का समाधान 1924 के करार के अन्तर्गत हो सकता है किन्तु दो दिन पहले उन्होंने कहा कि वे 1924 के करार की कोई परवाह नहीं करते।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उन्हें तो जनता की भावना को व्यक्त करना है।

श्री सेझियान : श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि यदि मैसूर, तमिलनाडु और केरल राज्यों में इस मामले पर समझौता न हुआ तो केन्द्रीय सरकार इस विवाद को न्यायाधिकरण के समक्ष ले जाने के लिए बाध्य होगी। यह मामला कई वर्षों से अनिर्णीत पड़ा हुआ है। इस पर इंजीनियरों में तथा मुख्य मंत्रियों में बातचीत हुई। हम केवल यह स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि तमिलनाडु के कावेरी डेल्टे में वर्तमान सिंचाई सुविधाएं मिलती रहें। चूंकि इस मामले में दोनों राज्यों में कोई समझौता नहीं है, अतः न्यायाधिकरण के पास ले जाने के लिए यह उपयुक्त मामला है। अब स्थिति यह है कि इस राज्य का प्रशासन केन्द्र के हाथ में है अतः केन्द्र को पूरा अधिकार है कि वह जब तक अनुमति न दे वहां योजनाओं पर आगे कार्य न किया जाये।

अतः जब तक यह प्रश्न तय नहीं हो जाता है, तब तक किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत नियत की गयी रकम का इन निर्माणकार्यों के लिए न प्रयोग किया जाये। इस मामले को मित्रतापूर्ण ढंग से निपटाया जाये।

श्री डी० एस० अफजलपुरकार (गुलबर्गा) : आरम्भ में हमें यह आशा थी कि राज्यपाल श्री वीरेन्द्र पाटिल तथा श्री निजलिंगप्पा के शासन के दौरान किये गये कदाचार तथा अन्याय को दूर करेंगे। किन्तु हमें राज्यपाल के रवैये पर घोर निराशा हुई। उन्होंने एक बार फिर प्रशासन में अकुशलता पैदा की है और राज्य में कोई कानून और व्यवस्था नहीं है।

हजारों फाइलें निपटाये जाने के लिए पड़ी हैं। राज्यपाल ने घोषणा की है कि सप्ताह में पांच दिन काम के दिन होंगे। उन्होंने यह केवल अधिकारियों को खुश करने के लिए किया है। वास्तव में कर्मचारी केवल चार दिन ही कार्य करते हैं क्योंकि शुक्रवार को जल्दी चले जाते हैं और सोमवार को देरी से आते हैं अतः यह निर्णय वापस लिया जाना चाहिए।

कानून और व्यवस्था की स्थिति भी ठीक नहीं है। 9 जुलाई, 1971 को मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में मेडिकल कालेज के रीडर डा० आनन्दम पर किसी व्यक्ति ने हमला किया। अभियुक्त को पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय डा० आनन्दम गिरफ्तार को किया गया और उन्हें थाना ले जाया गया तथा पीटा गया। राज्यपाल पुरानी कांग्रेस के नेताओं की सलाह पर चल रहे हैं जो कुशलता अथवा कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए सहायक नहीं है।

जहां तक कृष्णा नदी के जल का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने 1963 में स्वीकृति दे दी थी। कार्य चल रहा था और मैसूर सरकार ने इसमें करोड़ों रुपये लगाये। तथापि जब कभी योजना में थोड़ा परिवर्तन करना होता है तो भारत सरकार इसमें बाधा डालती है और कहती है कि नये सिरे से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। जब जल वितरण के बारे में कोई विवाद नहीं है तब केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन परियोजनाएं हैं, अर्थात् भुल्लामाड़ी, वेनीपूरा और अमरजा, जिनके सम्बन्ध में स्वीकृति नहीं दी गयी है। इस परियोजनाओं पर स्वीकृति दी जानी चाहिए।

मैसूर सरकार ने लघु तथा उठाऊ सिंचाई के लिए न तो कोई कदम उठाए हैं और न ही उसने बजट में कोई व्यवस्था की है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन बड़ी नदियां हैं, अर्थात् भीमा, कगीना और अमरजा। इन नदियों से लघु सिंचाई की कोई भी योजना सरकार ने आरम्भ नहीं की है। कुओं से सिंचाई के अतिरिक्त लिफ्ट सिंचाई भी आरम्भ की जा सकती है।

सरकार ने एक अध्यापक वाले स्कूलों के लिए इमारत बनाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। एक अध्यापक वाले स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों के लिए इमारते बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। 3 लाख रुपये की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और इसमें वृद्धि की जानी चाहिए।

श्री निजलिंगप्पा के शासन के दौरान केवल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए चार-पांच चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये गये। ये महाविद्यालय प्रति व्यक्ति शुल्क के आधार पर चल रहे हैं। इनमें कुप्रबन्ध और कदाचार बहुत अधिक बढ़ गया है। इनके इस कुप्रबन्ध की ओर हमने केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार का ध्यान दिलाया किन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर हमारे सत्याग्रह करने पर मुख्य मंत्री ने एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की। जांच अधिकारी ने भी पूरी

तरह से जांच नहीं की। इन महाविद्यालयों में प्रत्येक स्थान के लिए 50,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जाता है। अतः मेरा सुझाव है कि सुचारु रूप से न चलने वाले इन महाविद्यालयों को सरकार अपने हाथ में ले ले। श्री रामपुरे ने जो इस सभा में चौदह वर्ष तक रहे, इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला है।

सभापति महोदय : उन व्यक्तियों का उल्लेख न किया जाये जो सभा में उपस्थित नहीं हैं।

डी० एस० अफजलपुरकार : मैं अपने उन शब्दों को वापस लेता हूं।

गुलवर्ग का सिविल अस्पताल ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। इस अस्पताल को जो दवाइयां सप्लाई की जाती हैं वे चोर बाजार में बेची जाती हैं और रोगियों को दवाई नहीं मिलती है। इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सभी बड़े उद्योग एक ओर ही हैं और मेरे क्षेत्र में कोई कुटीर उद्योग भी नहीं है। इस बजट में उद्योगों के लिए निर्धारित 15 करोड़ रुपये मेरे क्षेत्र के कुटीर उद्योगों और अन्य बड़े उद्योगों पर खर्च किये जाने चाहिए।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो उस राज्य के हितों की रक्षा करने और देखभाल करने का उत्तरदायित्व इस सभा का होता है। मुझे इस बजट तथा उससे सम्बन्धित नीतियों का डट कर विरोध करना है। तमिलनाडु और मैसूर राज्यों के बीच सात या आठ वर्ष से विवाद चला आ रहा है। इन वर्षों के दौरान मैसूर में चुपके-चुपके कई योजनाओं का निर्माण किया जाता रहा। इन्हीं योजनाओं के लिए बजट में व्यवस्था की गई है और अब उन पर इस सभा की मोहर लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी कारण मैं बजट का विरोध करता हूं।

मैसूर के राज्यपाल का कहना है कि 1924 का करार दबाव में आकर किया गया था। इस प्रकार तो कन्नड़ लोगों को तमिलनाडु के लोगों के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। राज्यपाल को इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिये।

वास्तव में पानी का यह बहाव तो पिछले 1500 वर्षों से इसी प्रकार चला आ रहा है। आप इसे रातोंरात बदल देना चाहते हैं। तमिलनाडु के लोग उतना ही जल चाहते हैं जितना उन्हें 1924 से मिलता आ रहा है, वे उससे एक भी बूंद अधिक नहीं चाहते। हम यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपना चाहते हैं क्योंकि हमारा दावा सही है।

इस सभा में आकर मुझे निराशा हुई है। यहां मंत्री प्रशासक के रूप में कार्य नहीं करते, वे तो राजनीति का खेल खेलते हैं। राज्यों के बीच या केन्द्र और राज्य के बीच झगड़ों को राजनीतिक शक्ति हथियाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तमिलनाडु और मैसूर के निर्दोष लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं केन्द्र सरकार को और स्वयं प्रधानमंत्री को इसके लिए उत्तरदायी मानता हूं।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : श्री धर्मवीर द्वारा तैयार किया हुआ मैसूर का बजट प्रगतिशील बजट नहीं है। इसे श्री बीरेन्द्र पाटिल के साथ साठ-गांठ करके तैयार किया गया है और वीरेन्द्र पाटिल तो भ्रष्टाचार के लिए सारे मैसूर राज्य में प्रसिद्ध हैं। श्री धर्मवीर के तीन महीने के शासन काल में प्रगति बिल्कुल नहीं हुई है वरन उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कुछ नहीं किया है।

मैसूर राज्य से लोकसभा के लिए संसद के 20 सदस्य निर्वाचित हुए हैं किन्तु श्री धर्मवीर ने राज्य का प्रशासन चलाने के लिए उनसे कभी विचार-विमर्श नहीं किया। उन पर कभी विश्वास नहीं किया। राज्यपाल तो श्री वीरेन्द्र पाटिल को फिर से एक-बार सभा सौंपना चाहते हैं।

राज्य की आर्थिक व्यवस्था में किस प्रकार से गिरावट आई है, भद्रावती आयर्न वर्क्स इसका एक अच्छा उदाहरण है। उसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया है और यह सब श्री वीरेन्द्र पाटिल की नाक के नीचे किया गया है और इसमें भूतपूर्व औद्योगिक मंत्री का भी हाथ है। इसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिये। इंजीनियरिंग एण्ड कंसट्रक्शन कारपोरेशन आफ मद्रास ने कावेरी जल परियोजना में 12 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। इसमें भी मैसूर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री का हाथ है।

1924 में किये गये करार का आज कोई मूल्य नहीं है। यह समझौता अंग्रेजों के शासन काल में किया गया था। मेरे समाजवादी मित्र अभी भी अंग्रेजी शासन की मर्यादा मानते चले आ रहे हैं। स्वयं 1924 के करार के अनुसार हमें 45 टी० एम० सी० एफ टी पानी लेने का अधिकार है, हम उसी के लिए योजनाएँ भी बना रहे हैं और विकास किया जा रहा है। मैं अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे मामले को यूंही तूल न दें और तमिलनाडु भी अपनी नीति में सुधार करे ताकि हम लोग अच्छे पड़ौसियों की भांति शांतिपूर्वक रह सकें।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : The Central Government has taken over the responsibility of passing the Mysore Budget for 1971-72. It is admitted that there is a dispute and it is not proper for the Central Government to say that since there is no popular Government in Mysore, no decision can be taken in that regard. We are simply evading things in this way. It is no solution to the problem. Prolongation of the dispute is creating bad blood between the people of the neighbouring States and adversely affecting the national unity and emotional integration.

Rivers of India do not belong to any one State. They are the property of the whole nation and their waters bring prosperity to the entire Country. The imbalance in the economic development of the country is the real cause of the dispute. This disparity should be removed. These disputes should be viewed at from the national level and a proper machinery should be created for showing inter State water disputes.

It is good that this is not a deficit budget. But increage in state excise duties is responsible for encouraging the habit of drinking which was against the policy of prohibition.

State Electricity Board has earned about 2.5 crores of rupees due to nationalisation. It is true that enough electricty is produced in Mysore but it is regrettable that there is a large difference in the rates at which electricity is supplied to farmers and industries.

Mysore State should not be kept under President's rule for indefinite period. Elections should be held at an early dat so that popular Government is installed therc before long.

श्री के० के० शेट्टी (मंगलौर) : मैं अपने प्रथम भाषण में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे भावनाएँ और भड़क उठें । हमें मिल-बैठकर इस समस्या का समाधान करना चाहिये ।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं । मालनद के पांच जिलों में संचार शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की सुविधाओं का सर्वथा अभाव है । शहरी क्षेत्रों को तो ये सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं किन्तु गांवों की तो उपेक्षा ही की जाती रही है । इनके विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई थी किन्तु सम्भवतः राजनीतिक कारणों से उसे समाप्त कर दिया गया । मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि एक संविधिक मालनद विकास बोर्ड गठित किया जाये । अकेले मेरे जिले में 50,000 भूमिहीन मजदूर हैं । इनमें से कुछ हरिजन और कुछ गिरी-जन हैं। उन्होंने सरकार को प्रार्थना पत्र दिये हैं कि उन्हें छोटे-छोटे प्लाट दे दिये जायें लेकिन अभी तक उन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है जबकि बड़े-बड़े जमींदारों और पूंजीपतियों को हजारों एकड़ भूमि दी जा रही है । एक व्यक्ति, श्री भूटानी, ने घास से कोई सुगंध तैयार करने के बहाने सरकार से 3,000 एकड़ भूमि ले ली और वहां के वृक्षों को काटकर बेच दिया । अभी तक सुगंध तैयार करने के लिए कुछ नहीं किया । वहां कुछ भूमिहीनों ने छोटी-छोटी झोंपड़िया सड़क के किनारे-किनारे बना ली हैं । अब पुलिस की सहायता से उन्हें वहां से हटाया जा रहा है । इन गरीब व्यक्तियों को रहने के लिए तुरंत जमीन दी जानी चाहिये ।

श्री एम० सत्यनारायण राव (पार्वतीपुरम): मैसूर और तमिलनाडु के विवाद को सुलझाने के लिए एक समिति नियुक्त की जानी है । उस समिति में मेरे दल की ओर से मेरा नाम लिया गया है । मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार ऐसे झगड़े होने ही क्यों देती है । दक्षिण में तो सदा ही एकता रही है । यह दुर्भाग्य की बात है कि अब दक्षिण में एक राज्य दूसरे राज्य के स थ झगड़ रहा है । यदि वास्तव में इस क्षेत्र का विकास करना है, तो केन्द्र को चाहिये कि ऐसे छोटे-छोटे विवाद न होने दे ।

एक ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जावे जो विवादास्पद न हो । वर्तमान राज्यपाल के बारे में द्रा० मु० क० ने भी शिकायत की है । इनका मैसूर से स्थानांतरण किया जाना चाहिए । मैं तमिलनाडु और मैसूर के माननीय सदस्यों से फिर निवेदन करता हूं कि वे अपने भेद-भाव समाप्त करें और यह सुनिश्चित करें कि कावेरी नदी की समस्या का मित्रतापूर्ण तथा शान्तिपूर्ण ढंग से निपटारा हो ।

श्री सी० एम० स्टीफन (भुवत्तुपुजा): महोदय, बजट की मांगों पर यह वाद-विवाद, कावेरी जल विवाद पर वाद-विवाद हो गया है क्योंकि एक ऐसे मामले को जो तीन राज्यों के विवाद का विषय है पहले निपटाया जाना चाहिए था और फिर विशिष्ट योजनाएं स्वीकृत की जानी चाहिए । विवाद को निपटाया हुआ समझा गया है और परियोजनाएं बजट में शामिल की गयी हैं तथा धन-राशि भी नियत की गई है। अतः इससे यही अर्थ निकलता है कि यह केन्द्र की स्वीकृति से किया गया है क्योंकि मैसूर राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत है । अब तक जो वाद-विवाद हुआ है उससे ऐसा

लगता है कि यह विवाद केवल मैसूर और तमिलनाडु के बीच है किन्तु केरल की भी इसमें महत्व-पूर्ण रुचि है । हमारे मुख्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है और जब भी द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय बात-चीत हो तो हमारी राय भी ली जानी चाहिए । अगर पारस्परिक समाधान नहीं निकलता है तो इस मामले को एक न्यायाधिकरण को सौंपा जाना चाहिए ।

जल-विद्युत परियोजनाओं पर केरल का भावी औद्योगिक विकास आधारित है और ये परि-योजनायें भारत सरकार के पास निर्णय के लिए पड़ी हुई हैं। ये योजनाएं कावेरी के जल पर आधा-रित हैं किन्तु अन्य योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं । इस बात पर हमारी सबसे बड़ी आपत्ति है ।

यदि काबिनी बांध पूरा किया गया तो केरल का बड़ा भारी भाग नष्ट हो जायेगा । इससे उनको लाभ हो सकता है किन्तु हमें लाभ नहीं होगा ।

1924 का करार मैसूर और भूतपूर्व मद्रास प्रेसीडेंसी के बीच हुआ था । उस समय मला-बार केरल का एक हिस्सा था । अतः उन्हें जो भी लाभ मिले उसका अनुपातिक लाभ केरल को भी मिलना चाहिए ।

जो भी समझौता हो उसमें केरल को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए । जब तक करार नहीं किया जाता है तब तक किसी परियोजना पर काम नहीं चलना चाहिए । यदि ऐसा न किया गया तो अनावश्यक अन्तर्राज्यीय तनाव तथा झगड़ा पैदा हो जायेगा क्यों कि इस मामले में राज्यों के महत्वपूर्ण आर्थिक हित हैं और दोनों राज्यों में लाखों व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा । हमारी मांग है कि निपटारे का प्रयत्न किया जाये और यदि यह सम्भव नहीं है तो इस मामले को एक न्यायाधिकरण को सौंपा जाये । केरल को समस्त मामले में सम्मिलित किया जाये ।

***श्री एम० कतामुतु** (नागापट्टिनम): महोदय, मैसूर सरकार द्वारा कावेरी नदी पर बांध बनाने से तमिलनाडु में भय तथा भ्रमपूर्ण स्थिति है क्योंकि कावेरी नदी हजारों वर्षों से सिंचाई का स्त्रोत रही है । यदि तमिलनाडु को कावेरी का पानी न दिया गया तो सारा राज्य नष्ट हो जायेगा । विशेषरूप से तंजौर, तिरुचिरापल्ली जिलों में कृषि कार्य बन्द हो जायेगा । इन परिस्थितियों पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए ।

मैसूर सरकार ने पलार नदी पर जिससे हमारे यहां सिंचाई होती थी, एक बांध बनाया और उसके परिणामस्वरूप नदी सूखी पड़ गयी है और उसमें रेत ही रेत हो गयी है । यदि हेमवती श्रौर काविनी में भी बांध बनाये गये तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी नहीं मिलेगा । यही कारण है कि हम इस विवाद को न्यायाधिकरण को सौंपना चाहते हैं ।

मैसूर सरकार केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बगैर बांधों पर आगे निर्माण कार्य कर रही है और केन्द्रीय सरकार भी चुप है । इससे केन्द्रीय सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया मालूम होता है और इससे यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार मैसूर सरकार को प्रोत्साहित कर रही है और इन परि-योजनाओं में उसकी सहायता कर रही है ।

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

* Summarised translated version based on english translation of the speach delivered in Tamil.

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि 1924 के करार की आज कोई वैधता नहीं है। परन्तु इस करार की केवल इस कारण उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि यह ब्रिटेन के शासनकाल में किया गया था।

यह राज्यों के पारस्परिक हित में है कि अन्तर्राज्यीय करारों का पालन किया जाये। यदि ऐसे करारों को अवैध ठहराया जाये अथवा उनका निरादर किया जाये तो हम राष्ट्रीय एकता की आशा नहीं कर सकते हैं।

इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार की चुप्पी सम्भवतः मैसूर में होने वाले चुनावों के कारण है। वित्त मंत्रालय ने जो मैसूर बजट इस सभा में पेश किया है उसमें मैसूर राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के लिये भी व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्रालय का यह कर्त्तव्य होना चाहिए था कि वह मंत्रालय पहले यह सुनिश्चित करता कि जिन सिंचाई परियोजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है क्या उन पर केन्द्रीय सरकार की अनमति प्राप्त हो चुकी है।

श्री एन० शिवप्पा (हसन): मेरे आदरणीय मित्र ने केरल की ओर से कहा है कि उन्हें मद्रास से केवल मालाबार मिला है अतः वे 1924 के करार में सम्मिलित नहीं हैं। अतः इस करार का पालन नहीं किया जाना चाहिए। जब केरल करार में सम्मिलित नहीं है तो केरल कैसे यह कह सकता है कि यह मामला न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाये।

तमिलनाडु का यह तर्क समझ में नहीं आता है कि 1924 का करार अभी भी अस्तित्व में है। जब यह समझौता हुआ था उस समय मंगलोर, कोलेगल, बेलारी आदि, जो कि अब मैसूर में हैं, मद्रास में थे। उस समय जल की मात्रा उसी के अनुसार निर्धारित की गई थी। चूँकि ये क्षेत्र अब मैसूर में आ गये हैं अतः हमें 1924 के करार पर फिर से बातचीत करनी चाहिए क्योंकि उस समय पानी की जो मात्रा तय की गयी थी अब हम उससे सहमत नहीं हैं। न्यायाधिकरण को यह मामला सौंपने के लिए कोई आधार नहीं है। साथ ही उन्हें पानी का कोटा मिलता रहा है और यह करार 1974 तक वैध है। अतः इस मामले को उठाने का कारण समझ में नहीं आता है।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : क्योंकि आप इसका इकतरफा उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री एन० शिवप्पा : मद्रास के किसी भी क्षेत्र में क्या वास्तविक बाधा है? क्या वे कह सकते हैं कि किसी भी वर्ष उन्हें इस कारण कठिनाई हुई है। कोई भी बात उठाने का प्रश्न 1974 के बाद ही पैदा हो सकता है। और तब ही केरल भी एक हिस्सेदार के रूप में भाग ले सकता है तथा इन सब प्रश्नों पर, चाहे वह इस करार को समाप्त करने अथवा नया करार करने तथा पानी की मात्रा के सम्बन्ध में हो कि मैसूर, मद्रास और केरल को कितना कितना पानी मिलेगा, चर्चा हो सकती है। यही कारण है कि केन्द्रीय सरकार भी हमेशा यही कहती रही है कि हम सब एक साथ बैठकर इन बातों पर विचार करें।

1924 के करार के अधीन हम 45 टी० एम० सी० का प्रयोग कर सकते हैं। हेमवती परियोजना में 34 टी० एम० सी० तथा काबिनी परियोजना में 9 टी० एम० सी० की क्षमता है। अतः हम अब तक 45 टी० एम० सी० को भी पूरा नहीं कर पाये हैं। अतः हमारे बीच विवाद का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

मेरे विचार से केन्द्रीय सरकार का कोई दोष नहीं है। यदि बजट में अनुसूचित परियोजनाओं के लिए व्यवस्था की गयी हैं तो भी इनके निर्माण कार्य को कोई रोक नहीं सकता है। हमें इनके निर्माण करने का पूरा अधिकार है। अननुसूचित नदियों के बारे में करार का कोई प्रश्न नहीं है। काबिनी और हेमवती भी 45 टी० एम० सी० के अन्तर्गत आते हैं। यदि उन्हें निर्धारित किये गये जल के उपयोग करने का अधिकार है तो हमें भी 45 टी० एम० सी० जल के उपयोग का अधिकार है। यदि केरल सरकार, जो इस समझौते में हिस्सेदार नहीं थी, इस समझौते को रद्द करना चाहती है तो केन्द्रीय सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह मैसूर, तमिलनाडु और केरल सरकारों के बीच हस्तक्षेप और मध्यस्थता करे।

यदि हमारे मित्र एक साथ बैठकर यह विवाद निपटाने के लिए तैयार नहीं है और यदि वे शक्ति तथा दबाव का तरीका प्रयोग करते हैं तथा यदि वे मैसूर को अलग करना चाहते हैं .... (**व्यवधान**) निर्वाचन के लिए यह कोई कुशलता का प्रश्न नहीं है।

मैं केन्द्रीय सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी परियोजनाओं के लिये स्वीकृति क्यों नहीं दी है। इसका कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया है। बजट में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने की बजाय कावेरी पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है। सभी बड़े प्रश्नों पर, मैसूर में लोकप्रिय सरकार की स्थापना होने के बाद तथा जब करार 1974 में समाप्त हो जाये, उठाये जा सकते है। अतः मध्यस्थता के लिए कोई विवाद नहीं है।

जहां तक अननुसूचित परियोजनाओं का संबंध है, $5\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की एगाथी परियोजना के लिये बजट में केवल 50,000 रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस बजट में पर्याप्त धनराशि क्यों नहीं रखी गयी है ताकि उन परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया जा सके। इतना विलम्ब होने के बाद भी मैं यह सुझाव दूंगा कि कुछ परियोजनाओं के निष्पादन के लिये कुछ राशि आवंटित की जानी चाहिए। अभी मैसूर में सिंचाई की कुल क्षमता का 9 प्रतिशत का उपयोग किया जा रहा है और इसे बढ़ा कर 15 प्रतिशत करना चाहते हैं। तमिलनाडु में यह प्रतिशत 40 प्रतिशत है, फिर भी वे संतुष्ट नहीं हैं।

मैसूर के बजट में अननुसूचित परियोजनाओं के लिये धनराशि स्वीकृत करने में सदाशयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। इसमें जिन मदों के लिये व्यवस्था की गयी हैं वे कानून के अन्तर्गत तथा केन्द्रीय सरकार की क्षमता में हैं। केन्द्रीय सरकार समाज तथा हमारे देश के लोगों की भलाई के लिये स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। इसमें कोई भी राजनीतिक कारण नहीं है।

श्री जी० विश्वनाथन (वंडीवाश) : मैसूर राज्य चार राज्यों से अर्थात् महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और केरल से घिरा हुआ है। दुर्भाग्यवश इसका चारों राज्यों से झगड़ा है। महाराष्ट्र से सीमा विवाद, आंध्र से जल विवाद, तमिलनाडु से जल विवाद और केरल से सीमा तथा जल विवाद है।

मैसूर तथा तमिलनाडु दोनों ने हमेशा यह बात मानी है कि कावेरी जल से सिंचाई का हक पहली बात है। श्री शिवप्पा ने कहा कि 1892 और 1924 के करार मैसूर के लिये अनिवार्य नहीं हैं। करारों का पालन किया जाना चाहिये। परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार की इस

संबंध में क्या नीति है। डा० के० एल० राव ने 10 मार्च, 1970 को मैसूर को यह चेतावनी दी थी कि जब तक राज्य सरकार कावेरी परियोजना और अन्य सम्बद्ध मामलों में केन्द्र के निदेशों के अनुसार कार्य नहीं करती है, तब तक नदी परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता नहीं दी जायेगी। अब उसी परियोजना के लिये 7.12 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं जिसके लिए डा० राव ने कहा था कि धनराशि नहीं दी जायेगी। इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि सरकार की नीति क्या है।

डा० राव ने मैसूर के मुख्य मंत्री को एक पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि वह इस बात का आश्वासन दे कि जो काम उन्होंने कावेरी बेसिन में आरंभ किये हैं अथवा आरंभ करने का विचार है उनको रोके, यदि योजना आयोग ने उन कामों की अनुमति न दी हो। अब उन्होंने नीति बदल दी है, इस परिवर्तन का क्या कारण है। एक साल पहले श्री शिवप्पा और लकप्पा ने केन्द्रीय सरकार और विशेष रूप से डा० राव की आलोचना की थी कि जब तक डा० राव केन्द्रीय सरकार में हैं, उनके साथ न्याय नहीं होगा और डा० राव को त्यागपत्र दे देना चाहिए।

{ **श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए**
Shi R. D. Bhandare *in the Chair* }

मंत्री महोदय ने एक वर्ष पहले कहा था इन नदी परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता नहीं दी जायेगी किन्तु अब इनके लिए 7.12 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दी गई है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार की नीति क्या है।

प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मैसूर में चुनाव के दौरान कहा था कि उन्हें विवश होकर कावेरी जल विवाद एक न्यायाधिकरण को सौंपना पड़ेगा। अब वह कह रही हैं कि लोकप्रिय सरकार बनने तक प्रतीक्षा कीजिए। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? केन्द्रीय सरकार इसका उत्तर दे। ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है।

राज्यपाल को चाहिए कि वह राजनीतिज्ञों से भी अधिक शांत स्वभाव तथा गंभीर हो, परंतु दुर्भाग्यवश मैसूर के राज्यपाल एक राजनीतिज्ञ से भी बुरे हैं। वह मामलों को उलझा रहे हैं। उन्होंने एक समाचार पत्र में वक्तव्य दिया है कि तमिलनाडु एक नये सिद्धांत का आविष्कार कर रहा है जिसके अनुसार नदी के निचले तटवर्ती क्षेत्रों को समूचे जल का अधिकार प्राप्त होता है जब कि नदी के ऊपरी तटवर्ती क्षेत्रों को, जहां से नदियां निकलती हैं, जरा भी जल नहीं मिलना चाहिये। हमारी यह नीति नहीं है। राज्यपाल जैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। ऐसे राज्यपाल को या तो अनुशासनबद्ध करना चाहिये अथवा उसे हटा दिया जाना चाहिए।

मैसूर द्वारा हेमवती, हेरंगी, काबिनी, स्वर्णवती तथा अन्य अनुसूचित नदियों पर परियोजनाओं तथा अन्य कार्यों का निर्माण किया जा रहा है। जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता इन कार्यों की कार्यान्विति रोक दी जानी चाहिये।

केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि कावेरी बेसिन में सिंचाई योजनाओं के लिये आवंटित की गई 7.12 करोड़ रुपये की राशि को तब तक रोक दिया जाये जब तक तमिलनाडु तथा केरल सरकारों के बीच इन विवादों पर कोई समझौता नहीं हो जाता।

***श्री चन्द्र गौड** (चिक मगलूर) : अध्यक्ष महोदय, चर्चा का मुख्य विषय कावेरी जल विवाद ही रहा है। मैं अपने राज्य तथा निर्वाचन क्षेत्र संबंधी कुछ आर्थिक तथा प्रशासनिक मामलों पर कुछ कहूंगा।

बेल्लैरी जिले में एक जिला सहकारी बैंक है। इस बैंक का एक मुख्य कार्य कृषकों की आवश्यकताओं के लिये अग्रिम रूप में कृषि ऋण देना है। परन्तु चेयरमैन के कहने पर लगभग 6 वर्ष पूर्व इस बैंक ने इसी क्षेत्र की एक खनन सहकारी समिति को, जिसका स्वामित्व चेयरमैन के ही कुछ परिवार-सदस्यों को प्राप्त है, 15 लाख रुपये का अग्रिम ऋण दिया था। परन्तु अभी तक ब्याज अथवा मूलधन वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। चूंकि लोगों को संदेह है कि बहुत बड़ी राशि का घोटाला किया गया है, इसलिये इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

वर्ष 1971 में मलनद क्षेत्र तथा राज्य के निचले मैदानी क्षेत्र के बीच आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए एक मलनद सुधार बोर्ड स्थापित किया गया था। मलनद क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है कि वहाँ ठीक प्रकार की सड़कें और स्कूल भी नहीं हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मलनद बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए और विभिन्न विकास योजनाएं, जो इस क्षेत्र तथा वहाँ के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसको सौंप दी जाएं।

महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए सरकार को यहां बाल तथा महिला कल्याणकारी बोर्डों की स्थापना करनी चाहिए।

इस वर्ष बजट में बालचर संघ के लिए एक लाख रुपए की व्यवस्था की गई है जोकि पिछले वर्ष की राशि से 62,000 रुपए कम है। नवयुवकों का चरित्र बनाने वाले बालचर संघ को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बजट में की गई व्यवस्था को बढ़ाया जाना चाहिए।

अन्त में मैं इस सभा को राज्य में राज्यपाल के बुरे प्रशासन के कुछ पहलुओं से अवगत कराऊंगा। हाल ही में राज्यपाल ने सरकारी चीनी कारखानों के निदेशक-मंडल का पुनर्गठन किया है। उन्होंने इस मंडल के जो पाँच सदस्य मनोनीत किए हैं, वे सब पुरानी कांग्रेस के हैं। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी मनोनीत किया है जो बहुत समय पहले मर चुका है। राष्ट्रपति के शासनकाल में कार्यकुशलता इस हद तक बढ़ गई है। सरकार को ऐसे मामलों की जाँच करनी चाहिए।

अभी अभी मेरे मित्र श्री विश्वनाथन ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार को मैसूर राज्य को सिंचाई प्रयोजनों के लिए 7.12 करोड़ रुपए नहीं देने चाहिए। यह अनुचित बात है क्योंकि यह धनराशि मैसूर राज्य के लिए ही है।

* कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Kannada.

श्री बालतन्डायुतम (कोयम्बटूर) : कावेरी बेसिन की विवादग्रस्त परियोजनाओं के लिए बजट में 7.12 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। क्या संसद, किसी ऐसी परियोजना को स्वीकृति देगी जो केन्द्रीय सरकार के अनुसार विवादास्पद मामला बना हुआ हो? अब इसमें यही सैद्धांतिक तथ्य निहित है।

केवल मैसूर तथा तमिलनाडु के सामने ही नहीं अपितु केन्द्रीय सरकार तथा संसद के सामने भी सम्पन्न कार्य पेश किया गया है। अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए सम्पन्न कार्य को सिद्धांत बना लेगी।

कावेरी जल विवाद के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने यह तर्क दिया है कि पहले वहाँ लोकप्रिय सरकार होनी जाहिए। अब यदि तमिलनाडु के लोगों को तब तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाता है तो फिर मैसूर सरकार को भी परियोजनाओं पर आगे कार्य रोक देने के लिए कहा जाना चाहिए। तमिलनाडु के राज्यपाल तमिलनाडु तथा मैसूर में तनाव पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैसूर सरकार स्वर्णवती नदी पर बांध बनाने जैसी योजनाओं को इस प्रकार क्रियान्वित करती जा रही है जैसे कोई विवाद है ही नहीं। बजट में कावेरी बेसिन के लिए जो व्यवस्था की गई है वह घातक सिद्ध होगी। केन्द्रीय सरकार मैसूर सरकार की इस अवैध कार्यवाही को उकसा रही है और इसके लिए संसद की स्वीकृति प्राप्त करना चाहती है। बजट से यह व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : इस वाद-विवाद से ऐसा आभास होता है जैसे कि दो देशों के बीच लड़ाई हो रही हो। मैं तमिलनाडु तथा मैसूर दोनों से प्यार करता हूँ और यह मेरी कामना है कि दोनों राज्य अपने अपने विकास कार्यक्रमों को पूरा कर प्रगति करें। दोनों राज्यों को यह विवाद प्रेम से बैठ कर दूर करना चाहिए।

यदि कावेरी योजना क्रियान्वित की जाय तो सारा वायनाद क्षेत्र पानी में डूब जायगा। यह मलाबार क्षेत्र भूतपूर्व अविभाजित मद्रास राज्य का भाग था। उस समय अविभाजित राज्य द्वारा जो भी करार किया गया हो, केरल सरकार उसमें भागीदार है क्योंकि वह उसकी उत्तराधिकारी है। यह केवल तमिलनाडु अथवा मैसूर अथवा केरल के विकास का प्रश्न नहीं है। हम इन तीनों राज्यों को एक क्षेत्र मान कर कावेरी के जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस क्षेत्र के विकास के लिए कर सकते हैं। यदि तीनों राज्यों के नेता सुझबुझ से काम लें तो वे आपस में बैठ कर इस समस्या को सुलझा सकते हैं। गंगा नदी को कावेरी नदी से मिलाने के संबंध में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। उन्नत प्राद्योगिकी के बल पर हम इस सुझाव को क्रियान्वित कर सकते हैं और गंगा तथा कावेरी को मिलाने की इस योजना में लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और संभवतः नीचे दक्षिण में पेरीयार नदी को भी मिलाया जा सकता है। इसलिए मैं सब संबंधित राज्यों से अपील करता हूँ कि कोई कारगार कदम उठाने से पहले हम इस समूचे क्षेत्र की बेहतरी को ध्यान में रखें।

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : मार्च, 1971 को प्रस्तुत किए गए बजट में केन्द्रीय सरकार से ऋण शीर्ष के अन्तर्गत 61.01 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी जिसे वर्तमान बजट में घटाकर 49.51 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जानकार व्यक्ति यह जानते हैं कि पाँचवे वित्त आयोग का पंचाट तथा चौथी योजना के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता का सूत्र मैसूर राज्य के हितों के

विरुद्ध था । इसीलिए केन्द्रीय सरकार ने चौथी योजना के दौरान पांच वर्षों की अवधि में 105.5 करोड़ रुपए की सहायता देने का वचन दिया है । इस योजना के अन्तर्गत लगभग 20 करोड़ रुपए केन्द्रीय ऋण के रूप में दिए जाने थे, परन्तु इस राशि को घटाकर 8.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है । केन्द्रीय सरकार के द्वारा अपने वचनानुसार 20 करोड़ रुपए ऋण के रूप में दिए जाने चाहिए ।

तमिलनाडु राज्य के कुछ माननीय सदस्यों ने पुरानी लक्ष्मणतीर्थ परियोजना का उल्लेख किया है । जब कुर्ग एक अलग राज्य था तब लक्ष्मणतीर्थ नदी पर एक बांध बनाने की सिफारिश की गई थी परन्तु तत्कालीन मैसूर राज्य द्वारा इसका विरोध किया गया था और उन्होंने तत्कालीन मद्रास राज्य से अनुरोध किया था कि वह भी उसका समर्थन करे । तत्कालीन मद्रास सरकार ने मैसूर राज्य का अनुरोध स्वीकार किया और कुर्ग सरकार लक्ष्मणतीर्थ परियोजना क्रियान्वित न कर सकी । अब मैसूर सरकार ने कावेरी बेसिन में कुछ परीयोजनाओं का प्रस्ताव किया है और तमिलनाडु की वर्तमान सरकार ने उन पर आपत्ति की है और इसका कारण यह है कि वे समझते हैं कि आपत्ति करना उनका अधिकार है । यदि मैसूर राज्य तमिलनाडु राज्य का भाग होता तो तमिलनाडु के माननीय सदस्य ये आपत्तियां नहीं करते ।

अतः में तमिलानाडु के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि वे 1924 के तथाकथित करार के कल्पित अधिकारों पर न अड़े रहें अपितु राष्ट्र निर्माण के इस पवित्र कार्य में वे मैसूर सरकार को सहयोग दें । यदि इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंपा जाता है तो न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय करने में 10-15 वर्ष लग सकते हैं । यह दोनों राज्यों के हित में नहीं होगा । मैसूर की जनता यह नहीं चाहती कि उनकी परियोजनाओं से तामिलनाडु की जनता पर कोई बुरा प्रभाव पड़े । मैसूर के लोग केवल अपने राज्य में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं । कावेरी बेसिन में रहने वाले एक करोड़ अस्सी लाख व्यक्तियों को कावेरी के जल से लाभ पहुँचना चाहिए ।

जब केन्द्रीय सरकार ग्रामीण तथा शहरी निर्माण कार्यों के लिए अधिक राशि आवंटित करके बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न कर रही है, तो मैसूर की वर्तमान सरकार ने इस की बिल्कुल उपेक्षा की है । वर्तमान सरकार द्वारा लोक निर्माण व्यय में 1.25 करोड रुपए की कमी की गई है । मैं आशा करता हूँ कि वहाँ निकट भविष्य में लोक प्रिय सरकार बन जाएगी और वह स्थिती को सही कर देगी । उन्होंने शिक्षा व्यय में भी कमी कर दी है जोकि नहीं करनी चाहिए थी ।

मैसूर भूमि सुधार अधिनियम में यथाशीघ्र संशोधन किया जाना चाहिए । वर्तमान अधिनियम के अधीन उचित किराया निर्धारित करना संभव नहीं है । इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी भूमि से किसी भी किराएदार को निकालना निषिद्ध किया जाना चाहिए । वर्तमान कानून के अन्तर्गत मन्दिरों के अधिकारी किराएदारों से भूमि खाली करा सकते हैं । इन किराएदारों को भी जमीन खाली कराने से कानूनी तौर पर बचाया जाना चाहिए ।

नई दिल्ली में टेलीवीजन व्यवस्था है और मद्रास, बंबई और कलकत्ता में भी ऐसी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि मैसूर की राजधानी बंगलौर में भी टेलीवीजन व्यवस्था की जानी चाहिए ।

***श्री के० मालन्ना** (मधुगिरी) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि 1971–72 के मैसूर के बजट में सिंचाई के लिये काफी धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसके लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। कावेरी जल विवाद के सम्बन्ध में भी अनेक सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता।

मेरे विचार में भूमि सुधार एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। गत 20 वर्षों में अनेक स्थानों में भूमि सुधार किये गये हैं, तथापि इसमें पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है।

भूमि सुधार अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसान को उचित किराया देना होगा। भूस्वामी को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला उचित किराया सिंचित भूमि के मामले में कुल उपज के 1/4 भाग से और असिंचित भूमि के मामले में कुल उपज के 1/5 भाग से अधिक नहीं होगा। सिंचित और असिंचित भूमि का वर्गीकरण करने और उपज का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी तहसीलदार की है जो बड़े बड़े भूस्वामियों को लाभ पहुंचाता है किन्तु विवाद होने की स्थिति में अपील पर निर्णय लेने में दो वर्ष से अधिक लग जाते हैं। यदि किराया लगातार दो वर्षों तक नहीं दिया जायेगा तो उसे उस भूमि से बेदखल कर दिया जायेगा।

जहां तक भूस्वामियों को प्रतिकर देने का सम्बन्ध है, इसके लिये कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। इसका भुगतान एक मुश्त में कर दिया जाता है। इससे भी बड़े बड़े किसानों को लाभ पहुंचता है। प्रतिकर को किस्तों में भुगतान करने की प्रणाली होनी चाहिये। मुझे आशा है कि गरीब और भूमिहीन लोगों के हित में इन सभी दोषों को दूर किया जायेगा।

स्वास्थ्य विभाग में लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है। घटिया किस्म की और पुरानी औषधियां अधिक मूल्य में खरीदी जाती हैं। सरकार का इस ओर ध्यान दिलाया गया है। जो कर्मचारी यह कार्य करते हैं, उनकी भी पहचान कर ली गई है। यह मामला राज्य के खुफिया विभाग को सौंपा गया था। दुर्भाग्य की बात है कि इसकी पूरी तरह जांच नहीं की गई है और कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैसुर राज्य में कोलार, तुमकर, हसन और चित्तलदुर्ग जैसे अनेक अन्य जिले समान रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और ये चिरकाल से सूखाग्रस्त तथा अकालग्रास्त हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह क्षेत्रों के विकास के लिये उदारता के साथ वित्तीय सहायता दे।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं एक सुझाव देता हूं कि हमारे देश में अनेक नदियां हैं। अतः सरकार को ऐसा तरीका अपनाना चाहिये जिससे हम प्रत्येक नदी के लिये कावेरी विकास प्राधिकरण, नर्मदा विकास प्राधिकरण, चम्बल विकास प्राधिकरण की तरह एक स्वतंत्र विकास प्राधिकरण स्थापित

* कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarized translated version based on English translation of the speech delivered in Kannada.

करें । ये प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक नदी का विकास करेंगे और इनकी अधिकतम क्षमता का उपयोग कर सकेंगे और तब ये किसी भी राज्य को इस नदी से लाभ उठाने की अनुमति देंगे । राज्य इसका प्रयोग विद्युत, जल अथवा सिंचाई आदि के लिये भी करना चाहेंगे । वे इसके लिये भुगतान करेंगे और स्वतंत्र प्राधिकरण से इसे खरीदेंगे । इस तरह से हम अनेक बड़ी नदियों का विकास कर सकेंगे । यह कोई नया विचार नहीं है । टेनेसी घाटी प्राधिकरण द्वारा न केवल व्यापक रूप से विकास-कार्य किया गया है, अपितु इसके द्वारा किये गये कार्यों के लाभ वर्षों तक मिलते रहेंगे । इसी तरह से अन्य प्राधिकरण भी स्थापित किये गये हैं । इससे समूचे देश को लाभ होगा और इससे कुछ हद तक तो राष्ट्रीय एकता की भावना भी पैदा होगी ।

श्री ए० के० कोत्राशट्टी (बेलगांव) : मेरे बेलगांव जिले में दो बड़ी सिंचाई परियोजनायें हैं । एक मल्लाप्रभा परियोजना और दूसरी घाटप्रभा परियोजना है । घाटप्रभा परियोजना का कार्य चार चरणों में पूरा होना था । दूसरे चरण तक कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और तीसरे चरण के लिए मैसूर सरकार ने 1967 में प्रस्ताव भेजे थे किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इसकी अभी तक मंजूरी नहीं दी है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसकी मंजूरी शीघ्र ही दे ।

इसके अतिरिक्त एक हरिनाला परियोजना भी है । इस परियोजना को केन्द्रीय सरकार ने बहुत पहले स्वीकृति दे दी थी तथा इस पर 83.41 लाख रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया था । इस परियोजना से 10,750 एकड़ भूमि में सिंचाई होनी थी । यह परियोजना 1967 में आरंभ की गई थी तथा इस पर 7 लाख रुपये की धनराशि खर्च हो चुकी है । किन्तु इस परियोजना को एकदम छोड़ दिया गया है । इसका कारण यह है कि किसी धनी व्यक्ति की भूमि इससे जलमग्न हो जाती थी। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाये, क्योंकि उस धनी व्यक्ति ने, जिसकी भूमि जलमग्न होती थी, तत्कालीन मुख्य मंत्री पर दबाव डाला और मुख्य मंत्री ने काम बन्द करवा दिया ।

राष्ट्रपति का शासन लागू किए जाने के बाद मेरे राज्य का प्रशासन खराब होता गया है। कर्मचारियों की कार्यकुशलता कम हो गई है । पहले सप्ताह में 6 कार्य दिवस हुआ करते थे । राज्यपाल ने घटाकर 5 कार्य दिवस कर दिये हैं । दूसरी बात यह हैं कि कुछ अधिकारी दो से अधिक पद संभाले हुए हैं । मेरी धारणा तो यह हैं कि किसी भी अधिकारी के लिए यह संभव नहीं है कि वह दो से अधिक पदों का कार्य ठीक ढंग से कर सके । अतः एक निदेश जारी किया जाना चाहिए कि कोई भी अधिकारी एक से अधिक पद न संभाले ।

राज्यपाल ने कुछ विभागों के प्रमुख अधिकारियों को, जो सेवा-निवृत्त हो गये थे, पुनः नियुक्त कर लिया है तथा कुछ मामलों में उनके सेवा-काल को तीन वर्षों तक बढ़ा दिया गया है । और लोक-निर्माण विभाग के कुछ अधिकारियों, जिनका काम बहुत अच्छा था, के सेवा-काल में वृद्धि करने से इंकार किया गया है । इस तरह राज्यपाल ने इस बारे में मनमाना रवैया अपना लिया है । कुछ पदों पर ऐसे अधिकारी कार्य कर रहे हैं जिनकी आयु 74 अथवा 75 वर्ष है । इन सब बातों से प्रशासन की कार्य कुशलता कम हुई है । अतः शीघ्र चुनाव कराये जाने चाहिये, ताकि जल्दी ही लोकप्रिय सरकार गठित की जा सके ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : महोदय, मैं सभा का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं । वह यह है कि यदि राज्य में विधान मंडल होता तो इस राज्य के बजट पर एक महीने तक चर्चा होती किन्तु आज हमने यहां गुजरात का बजट दो घंटों में पारित कर दिया है और हम दो घंटों में ही मैसूर राज्य का बजट पास करने जा रहे हैं । यदि हम राज्यों के बजट पर एक या दो महीने तक चर्चा न करें तो कम से कम इन पर दो या तीन दिन तक तो चर्चा अवश्य की जाये ।

इस देश में तमिलनाडु और मैसूर दोनों ही भिन्न पड़ौसी राज्य हैं । इनमें विवाद क्यों होना चाहिए । प्रधान मंत्री को चंडीगढ़ की तरह इस मामले को भी सुलझाना चाहिए । वह सभी संबंधित व्यक्तियों को आमंत्रित कर, इस मामले पर चर्चा कर इस पर निर्णय दें ।

श्री पीलू मोदी ने सुझाव दिया है कि टैनेसी घाटी प्राधिकरण की भांति नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए । सिंचाई मंत्री महोदय ने बताया है कि वह कावेरी को गंगा के साथ मिलाने पर विचार कर रहे हैं और सर्वेक्षण किया जा रहा है । यह अच्छी बात है । इससे राज्यों में पानी की कमी भी दूर हो जायेगी और हम बाढ़ के प्रकोप से भी बच सकेंगे

श्री आर० वी० स्वामीनाथन (मदुरै) : मुझे खेद है कि कावेरी जल के इस मामले को 'विवाद' के रूप में माना गया है । समझौता किये जाने के हजारों वर्ष पूर्व यह जल तमिलनाडु के तंजौर जिले की ओर बहता रहा है और इस क्षेत्र के लोगों को यह मिलता रहा है । मैं मैसूर के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस विषय में कुछ उदारता और समझदारी से काम लें ।

गंगा-कावेरी परियोजना के बारे में एक नये प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव तो माना जा सकता है, किन्तु कावेरी नदी के जल के बारे में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

यह विवाद मैसूर और तमिलनाडु के बीच है । किन्तु अब केरल भी शामिल हो गया है । यदि यह मामला कुछ समय तक और अनिर्णीत रहा, तो हो सकता है कि कुछ और राज्य भी बीच में आ जायें । अतः इसका शीघ्र निर्णय करना हमारे हित में है ।

अब समय आ गया है जब कि हम अन्तर्राज्यीय विवादों को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करें । मुझे आशा है कि सरकार और प्रधान मंत्री इस सुझाव की ओर ध्यान देंगी ।

*__श्री सिध्दरामेश्वर स्वामी__ (कोप्पल) : सभापति महोदय, मैसूर के हैदराबाद-करनाटक क्षेत्र में तुंगभद्रा नहर के समीप पानी रिसने के कारण लगभग 20,000 एकड़ भूमि खेती योग्य नहीं रही है । किसान यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वे उस भूमि का क्या करे । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में शीघ्र कदम उठाये कि भूमि खती योग्य हो जाये ।

दूसरी बात यह है कि किसानों को गन्ने के लिए उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, यद्यपि सरकार ने इसका मूल्य निर्धारित कर दिया है ।

*कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarized translated version based on English translation of the speech delivered in Kannada.

तीसरी बात यह है कि वाडी और गडाग के बीच एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए 1927 में सर्वेक्षण किया गया था तथा 1957 में इस कार्य के लिए पुन: एक और सर्वेक्षण किया गया था। हमें पता नहीं है कि इन सर्वेक्षणों के प्रतिवेदन का क्या हुआ है। रायचूर के आंतरिक भाग में रेलवे लाइन की बहुत अधिक आवश्यकता है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आवश्यक रेल लाइन की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : महोदय, कावेरी विवाद के संबंध में बोलने से पहले मैं बजट की प्रमुख बातें सभा के समक्ष रखता हूं।

वर्ष 1971-72 के संशोधित बजट अनुमानों में राजस्व खाते में 7.78 करोड़ रुपये का अधिशेष है जब कि पहले 2.88 करोड़ रुपये की घाटे की व्यवस्था का अनुमान था।

अब कुल मिला कर 15.72 करोड़ रुपये की घाटे की व्यवस्था है। जहां तक आयोजना व्यय का संबंध है, बजट में 72.55 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और प्रशुल्क समिति की सिफारिशों के अनुसार विद्युत प्रशुल्क में संशोधन आदि करके राज्य सरकार ने 2.5 करोड़ रुपया जुटाया है।

ग्रामीण कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय योजना हेतु 3.68 करोड़ रुपये की व्यवस्था है और चौथी योजनाकाल में इस मद पर 15 करोड़ रुपये का परिव्यय होने का अनुमान है। बजट में ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के लिए 2.38 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी है। इसके लिए 12 जिले चुने गये हैं।

सहकारी संस्थाओं के शेयर पूंजी में निवेश के लिए 1.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

ग्रामीण जलपूर्ति के अन्तर्गत वर्ष 1970-71 के दौरान सरकार ने 2.[illegible]6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 278 योजनाएं स्वीकृत की हैं। इससे पहले वर्ष में 867 योजनाएं स्वीकृत की गई थी जिनकी अनुमानित लागत 8.51 करोड़ रुपये थी।

नगरीय जलपूर्ति के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये की लागत की यौजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

बंगलौर जैसे विकासशील नगरों की समस्याओं, गंदी बस्तियों की सफाई की समस्याओं तथा अन्य महानगरीय समस्याओं पर उनके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जायेगा। संभवतः बंगलौर की ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार योजना बनायेगी।

कावेरी जल विवाद के बारे में शंकाएं व्यक्त की गई हैं। सदस्यों को ज्ञात है कि कावेरी बेसिन के आयोजना से भिन्न कुछ कार्यों के लिए 7.2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। योजनागत व्यय के लिए भारत सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है और वह इस संबंध में वचनबद्ध नहीं है। यह बजट तो तथ्यों का विवरण हैं। इसीलिए विवरण में यह कहा गया है कि बजट में कावेरी बेसिन के उन कतिपय सिंचाई योजनाओं के लिए आयोजना से भिन्न 7.12 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल की गई है, जो गत वर्ष से चली आ रही है।

इस संबंध में कुछ राजनैतिक और संवैधानिक वास्तविकताएं हैं। हम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की उपेक्षा करके समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि

मैसूर में शीघ्र ही जनता द्वारा निर्वाचित सरकार बनें । इस विवाद को निपटाने के लिए सिंचाई मंत्री सम्बद्ध व्यक्तियों की एक बैठक बुला रहे हैं और प्रधान मंत्री ने भी इस संबंध में समुचित वातावरण तैयार करने की अपील की है ।

मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं । इस वर्ष मैसूर द्वारा केन्द्र को अनुमानतः 45.74 करोड़ रुपये वापस किए जायेंगे। इसकी तुलना में उसे 49.51 करोड़ रुपये की राशि का ऋण केन्द्र से मिलने की आशा हैं । मैसूर सरकार को इस वर्ष करों के अंश और सांविधिक अनुदानों के रूप में 48 करोड़ रुपया मिल रहा हैं । इस प्रकार राज्य से अन्तरण की राशि केन्द्र से अन्तरण की राशि से अधिक नहीं है । राज्य सरकार को 10.38 करोड़ रुपये का आयोजना अनुदान भी मिलेगा । अब मैं बजट सभा की स्वीकृति के लिए पेश करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1-4 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Cut Motions Nos. 1-4 were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया ।

The Cut Motion No. 5 was put to Vote.

सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में 37 : विपक्ष में 71.

The Lok Sabha divided : Ayes 37, Noes 71.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The Motions was negatived.

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 6-10 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Cut Motions Nos. 6.10 were put and negatived.

सभापति महोदय : कटौती प्रस्ताव संख्या 11 की विषय-वस्तु वही है जो कटौती प्रस्ताव संख्या 2 की है और वह प्रस्ताव पहले ही अस्वीकृत हो चुका है । इसलिए इसे मतदान के लिए नहीं रखा जा सकता है ।

सभापति द्वारा मैसूर राज्य की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई :

The following demands in respect of the State of Mysore were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
1.	4——आय पर कर—निगम कर को छोड़कर	6,91,000
2.	9——भू-राजस्व	3,22,40,000
3.	10——राज्य उत्पादन शुल्क	1,03,99,500
4.	11——मोटर गाड़ियों पर कर	19,97,500
5.	12——बिक्री कर	84,33,500
6.	13——अन्य कर तथा शुल्क	13,55,000
7.	14——स्टाम्प	14,37,500
8.	15——रजिस्ट्रेशन फीस	24,76,500
9.	18——संसद/राज्य/संघ-राज्य-क्षेत्र विधान मंडल	74,15,500
10.	19——सामान्य प्रशासन	3,62,70,000
11.	21——न्याय प्रशासन	1,27,13,500
12.	22——जेलें	72,44,000
13.	23——पुलिस	6,38,86,500
14.	25——पूर्ति और निपटान	2,33,500
15.	26——विविध विभाग	1,65,72,000
16.	27——विज्ञान विभाग	37,10,000
17.	28——शिक्षा	36,88,69,500
18.	29——चिकित्सा, 30 लोक स्वास्थ्य और 30क——परिवार नियोजन	13,01,52,000
20.	31——कृषि	8,32,65,500
21.	32——ग्रामीण विकास	1,74,16,000
22.	33——पशु पालन	1,81,31,500
23.	34——सहकारिता	2,49,68,000
24.	35——उद्योग	10,63,05,500

1	2	3
		रुपये
25.	37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	3,76,18,500
26.	38—श्रम और रोजगार	95,48,500
27.	39—विविध, सामाजिक और विकास संबंधी संगठन	6,46,73,500
29.	43—सिंचाई, नौवन, तटबंध और जलनिकासी कार्य (वाणिज्यिक)	9,47,04,000
30.	44—सिंचाई, नौवहन, तटबंध और जलनिकासी कार्य (गैर-वाणिज्यिक)	2,75,90,000
30ख.	48—सिंचाई, नौवहन, तटबंध और जलनिकासी कार्यों पर पूंजी परिव्यय	1,74,00,000
31.	50—लोक निर्माण कार्य	24,69,45,500
31क.	52—लोक निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय	3,41,66,500
32.	53—पत्तन और पाइलट का कार्य	8,61,500
33.	64—अकाल सहायता	2,39,38,000
34.	65—पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	3,54,68,000
35.	66—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशन	96,500
36.	67—भारतीय राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	8,000
37.	68—लेखन सामग्री तथा मुद्रण	1,12,70,000
38.	70—वन	5,44,73,500
39.	71—विविध	8,25,83,500
40.	72—पेंशनों के राशीकृत मूल्य	19,29,500
41.	76—अन्य विविध प्रतिकर और समनुदेशन	1,19,66,500
42.	92—जमींदारी प्रथा की समाप्ति पर जमींदारों आदि को मुआवजे की अदायगी	16,16,500
43.	94—लोक स्वास्थ्य के सुधार पर पूंजी परिव्यय	78,94,000

1	2	3
		रुपये
44.	96—औद्योगिक तथा आर्थिक विकास पर पूँजी परिव्यय	6,83,65,500
45.	99—सिंचाई, नौवहन, तटबंध तथा जल निकासी कार्यों (वाणिज्यिक) पर पूँजी परिव्यय	19,59,00,000
46.	100—सिंचाई, नौवहन, तटबंध तथा जल निकासी कार्यों (गैर-वाणिज्यिक) पर पूँजी परिव्यय	62,66.500
47.	101—विद्युत योजनाओं पर पूँजी परिव्यय	16,66,500
48.	103—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय	2,86,49,500
50.	110—पत्तनों पर पूंजी परिव्यय	33,34,500
50क.	114—सड़कों तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	3,33,000
51.	119—वनों पर पूंजी परिव्यय	28,00,000
52.	120—पेंशनों के राशीकृत मूल्य का भुगतान	17,92,000
53.	124—सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	13,89,98,000
54.	थ– राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम	15,45,57,000

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 23 जुलाई, 1971/1 श्रावण, 1893 (शक) को ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 23, 1971/Sravan 1, 1893 (Saka).

NAI DUNIA PRESS, INDORE 490—11-71